खण्ड-115, अंक-4
गुरूवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(18 दिसम्बर, 1952 ई0)

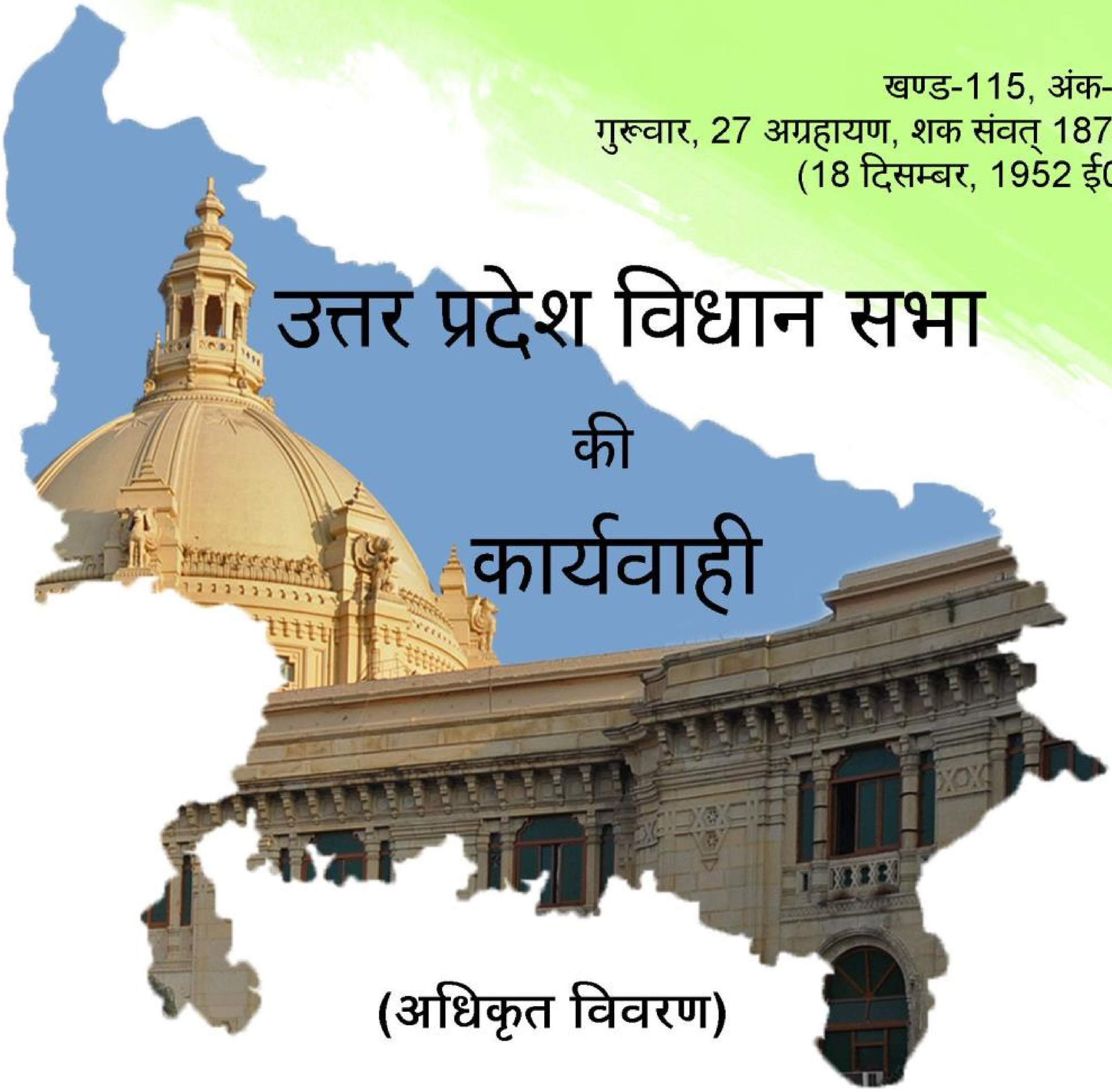

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 115 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भबर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलानाथ सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महदेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खाँ, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीर सेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुलवाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर

सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[१ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किये गये।]

गन्ने की क़ीमत में कटौती का भुगतान

*३—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या सरकार बतलायेगी कि गन्ना की कीमत में जो रुपया, दो आना कटौती का सरकार ने काटा था उसको सरकार किसानों को वापिस देगी या नहीं? यदि हां, तो कब तक?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—दो आने कटौती की रकम का भुगतान किसानों को किया जा रहा है और प्रयत्न यही है कि यह रकम शीघ्रातिशीघ्र अदा हो जाय। लेकिन यह निश्चित बताना कठिन है कि किस तिथि तक यह रकम पूरी अदा हो जायगी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अब इस दो आने की कटौती की कितनी रक़म बाकी है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह रक़म १३ लाख, ५० हजार, ६ सौ कुछ रुपया बाकी है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह दो आने की कटौती किस लिये की गयी?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—एक किस्म से सेविंग कराने के लिये की गयी थी?

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस कटौती की रकम में से किसानों की तरफ से जमींदारी फंड में भी रुपया दिया गया था।

विधान सभा

श्री हुकुम सिंह---जिन लोगों ने दरख्वास्तें दीं उनका उसमें से मुजरा करके लिया गया।

चीनी मिलों पर गन्ने की बक़ाया कीमत

*४---श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बतलायेगी कि १९५१-५२ के गन्ना की क़ीमत के कुछ रुपये अब भी चीनी मिलों पर बक़ाया हैं? यदि हां, तो कितने?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी हां, १९५१-५२ सीजन के गन्ने के मूल्य का लगभग चार करोड़ रुपया प्रदेश की चीनी मिलों को अभी अदा करना बाकी है।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस रकम की अदायगी का जो प्रयत्न किया जा रहा है वह क्या प्रबन्ध है?

श्री हुकुम सिंह--- मिलों को बहुत सख्त आदेश दिये गये हैं कि जल्द से जल्द रुपया अदा करें दें।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस रुपये का कितना हिस्सा किसानों को दिया जा चुका है?

श्री हुकुम सिंह---अब साढ़े तेरह लाख बाकी हैं। पहले एक करोड़, बयासी लाख था। घटा लीजिये कितना हुआ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह गन्ने का जिन लोगों को रुपया दिया जा चुका है, उनमें से अधिकांश को यह शिकायत है कि उनको रुपया नहीं मिला?

श्री हुकुम सिंह---ऐसा तो मुझे मालूम नहीं।

*५---श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार इस रुपये की अदायगी के लिए अन्तिम तिथि नियत करेगी और उसमें सुस्ती करने वाली मिलों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इस रुपये की अदायगी के लिये सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है। अन्तिम तिथि नियत करना प्रायः असम्भव है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को कोई यह आदेश दिया है कि जिन मिलों के ऊपर अब भी बकाया किसानों की है, पिछले साल की, उनके प्रासीक्यूशन किये जायं?

श्री हुकुम सिंह---हां।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह रुपया किसानों की स्वीकृति से काटा गया?

श्री हुकुम सिंह---सम्भवतः ऐसे ही हुआ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसी कौन कौन सी मिलें हैं जिनके प्रासीक्यूशन के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को लिखा गया है।

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इस प्रकार से बहुत से किसान ऐसे अब भी हैं जो अपना रुपया वापस लेना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह---जिनका बकाया है वे सब लेना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दो आने कटौती जो अब तक शेष है वह किन-किन जिलों की है?

श्री हुकुम सिंह---इसकी तफसील इस वक्त नहीं है।

*६---श्री नारायणदत्त तिवारी--[८ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किया गया।]

*७-८---राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---[२४ दिसम्बर, १९५२, के लिये संख्या ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

राजकीय नौकरियों के लिये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षायें

*९---श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किन किन राजकीय नौकरियों के लिये मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा (Combined Competitive Examination) होती हैं और ऐसी परीक्षा कब से प्रारम्भ की गयी?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---(१) यू० पी० सिविल 'इक्जीक्यूटिव ब्रांच, (२) यू० पी० पुलिस सर्विस तथा (३) यू० पी० एकाउन्ट्स सर्विस के लिये मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा (पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा) होती है। ऐसी परीक्षा सन् १९५१ ई० से प्रारम्भ की गई है।

श्री पुत्तूलाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा होने की वजह से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होने वाली सरकारी आमदनी में क्या अन्तर पड़ा?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जितना रुपया हमने बजट में उनके लिए पहले से रखा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

श्री पुत्तूलाल---जब से मिली जुली परीक्षा हुई क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि परिगणित जाति के लोगों का इन सर्विसेज में पूरा पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यह कोई विशेष संबंध इस बात से रखता है या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इससे सहूलियत तो ज्यादा होनी

चाहिये। जो कोई भी इस परीक्षा में शरीक हों वह एक परीक्षा के बदले में तीन में दाखिल हो सकता है और तीन में से अगर किसी एक के लिये भी योग्य हो तो लिया जा सकता है। इससे दायरा बढ़ता है, घटता नहीं।

श्री पुत्तूलाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जब से मिली जुली परीक्षा हुई है तब से कोई भी डी० एस० पी० परिगणित जाति से नहीं लिया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सिर्फ दो ही परीक्षाएं हुई हैं। एक १९५१ में और एक १९५२ में जिसमें कि पांच १९५१ में रखे गये थे और पांच ५२ में। फिर उनमें पांच को छः कर दिया गया ताकि दस का उसमें अंश आ जाय।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मिली जुली प्रतियोगिताएं क्यों चालू की गयी हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---इसलिये चालू की गयी हैं कि जो कोई उम्मीदवार खड़े हों परीक्षा के लिए उनको तीन दफा न आना पड़े और एक ही मर्तबा में वह खड़े हो सकें और एक के लिये अगर योग्य न समझे जायं और दूसरे के लिए अगर योग्य हों तो उसमें ले लिये जायं, जिससे उनके लिए तकलीफ कम हो, खर्चा कम हो और सब के लिये सुभीता हो।

*१०-१२---श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---[२६ दिसम्बर, १९५२, के लिये संख्या १३-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१३-१४-श्री गेंदा सिंह---[१ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किये गये।]

आगरे में ताज के समीप वेअर की आवश्यकता

*१५--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि आगरा में जो सन् १९४८-४९ में प्लानिंग कमेटी थी उसने ताज के समीप एक weir बनाने की सिफारिश की उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)---१९४८-४९ में आगरे में कोई जिला प्लानिंग कमेटी नहीं थी। एक स्थानीय कमेटी ने आगरा नगर सुधार संबंधी योजनाओं पर विचार करते हुये एक weir बनाने का सुझाव नगर पालिका आगरा को दिया था। नगर पालिका आगरा ने इस सुझाव को Localself Engineering Department आगरा को भेज दिया। चूंकि यह कार्य बहुत बड़ा और अधिक व्यय का है अतः इस पर Localself Engineering Department द्वारा व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह वेअर बनने में कितना समय लग जायगा ?

श्री फूल सिंह---चूंकि वह कागज नगरपालिका आगरा के पास था, उन्होंने सीधा उनको भेजा तो वहां से मालूम करके ठीक बताया जायगा और कोशिश की जायगी कि जल्द से जल्द उत्तर मिल जाय।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—[१५ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किया गया।]

२-४—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[१ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किये गये।]

अमरोहा शुगर मिल में किसानों को गन्ने के मूल्य के बदले चीनी

५—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अमरोहा शुगर मिल में किसानों को पिछले वर्ष के गन्ने के मूल्य के बदले में ८५ रु० प्रति बोरी के हिसाब से चीनी दी जाती है और फिर वही चीनी ७८ रु० प्रति बोरी ली भी जाती है?

श्री हुकुम सिंह—सरकार को इतना ही ज्ञात है कि अमरोहा मिल में पिछले वर्ष के गन्ने के मूल्य के बदले में उन्हीं किसानों को ८५ रु० प्रति बोरी के हिसाब से चीनी दी जाती है जिन्हें कि उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु सरकार को अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि उक्त मिल फिर वही चीनी ७८ रु० प्रति बोरी उनसे वापस भी ले लेती है।

गुड़ उद्योग की उन्नति के लिये सहायता

६—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार ने गुड़ उन्नति योजना के अन्तर्गत उन्नतिशील कोल्हू तथा कढ़ाव प्रत्येक जिले में भेज दिये हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—इस वर्ष गुड़ उन्नति योजना जिन जिलों में चल रही है उन जिलों में किसानों को उन्नतिशील कोल्हू तथा कढाव तकावी पर देने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

७—श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)—[१ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किया गया।]

किसी गांव में पुलिस के कथित अत्याचार के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री गजेन्द्र सिंह जी ने एक काम-रोको प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसी गांव में पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार आदि बातें लिखी गई हैं जो निश्चित नहीं है और इसमें एक जगह के बारे में ऐसी बात है जिसको गोल मोल ढंग से लिखा गया है। ऐसी अवस्था में मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश हो।

श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मन्त्री द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—सदन में परसों, यानी १६ तारीख को, श्री राजनारायण जी के भाषण के संबंध में जो स्पष्टीकरण हुआ उसके संबंध में मैंने यह कहा था कि मैं इस संबंध में, अपना जो निश्चय है वह सदन को बताऊंगा उसे जो मैं अब बताना चाहता हूं।

तारीख ९ दिसम्बर, १९५२ को श्री राजनारायण जी ने एक संशोधन के समर्थन में भाषण देते हुये अपने तर्क की पुष्टि में प्रमाण रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले का आंशिक उद्धरण जो ए० आई० आर० इलाहाबाद रिपोर्ट, १९५१ के २२२ पन्ने पर है, पढ़कर सुनाया और जिस पर मेरे पास तारीख १० को स्वशासन मंत्री जी ने एक पत्र के द्वारा शिकायत भेजी कि उस उद्धरण तथा भाषण प्रसंग द्वारा इस सदन में यह भ्रम उत्पन्न हुआ, तथा अन्य कोई जो इस उद्धरण और भाषण को पढ़ेगा उसको भी यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि हाई-कोर्ट ने इस सरकार को दिवालिया या इनएफिश्येंट यानी अयोग्य, या बेईमान कहा है जब कि फैसले में इसके विपरीत अर्थ निकलता है। इसलिये उन्हें यह संकल्प यानी मोशन लाने की अनुज्ञा दी जाय कि उस दिन के उस भाषण का वह भाग उस दिन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

इसके पश्चात् दूसरे दिन माननीय राजनारायण जी के भाषण की प्रतिलिपि जो उनके पास भाषा तथा व्याकरण की अशुद्धियों की दुरुस्ती के लिये भेजी गई थी मुझे दफ्तर से प्राप्त हुई, जिसमें मैंने देखा कि भाषा तथा व्याकरण की अशुद्धियों के अलावा माननीय राज-नारायण जी ने ऐसे शब्द जोड़े हैं, जो कुछ अंश में भाव का भी परिवर्तन करते हैं। मेरा दफ्तर ऐसे भाव परिवर्त्तनों को मेरी स्वीकृति के बगैर नहीं कर सकता। इसलिये यह भी प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हुआ कि तारीख ९ की कार्यवाही में माननीय राजनारायण जी के भाषण के सही शब्द यदि कायम रहें तो क्या लिखे जायं।

इस कारण मैंने यह उचित समझा कि सदन के सामने यह प्रश्न स्पष्टीकरण के लिये आ जावे और माननीय स्वशासन मंत्री जी का तथा श्री राजनारायण जी का इस पर कथन सुनकर मैं यह निर्णय कर सकूं कि आया उस भाषण के वाक्य और उक्त उद्धरण हटाने का ही केवल प्रश्न है या इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का भी प्रश्न उठ सकता है और यदि मैं इस नतीजे पर आजाऊं कि यह केवल उक्त भाषण के अंश को हटाने का ही प्रश्न है तो क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी को अनुमति देना उचित होगा कि वे संकल्प उपस्थित कर और सदन के निर्णय को प्राप्त करके उसके अनुसार मैं निर्णय दूं अथवा मैं स्वयं इस प्रश्न का निर्णय करूं। इस दृष्टि से तारीख १६ को मैंने केवल स्पष्टीकरण के हेतु सदन में सीमित विवाद की इजाजत दी जिसमें माननीय स्वशासन मंत्री, माननीय राजनारायण जी, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने इन प्रश्नों पर प्रकाश डाला और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी संकेत किया कि वे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहते। इन कथनों से तारीख ९ के माननीय श्री राजनारायण जी के भाषण के संबंध में जो स्पष्टीकरण हुआ और जो अपने हेतु के संबंध में माननीय श्री राजनारायण जी ने कथन दिया उन्हें सामने रखते हुये मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि यह प्रश्न अब विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता और केवल प्रश्न माननीय श्री राजनारायण जी के ९ तारीख के भाषण के आंशिक अंग को हटाने का ही रह जाता है। मैंने यह भी निश्चय उसी समय प्रगट किया कि मैं स्वयं इसका निर्णय करूंगा कि आया आपत्तिजनक वाक्यों का संशोधन किया जाय: जैसा कि माननीय श्री राजनारायण जी ने चाहा था अथवा उन्हें हटा दिया जाय। इस विषय से संबंधित दोनों दिनों के भाषणों तथा कथनों और हाईकोर्ट के

फैसले से संबंधित भाग पढ़ने से निर्विवाद स्पष्ट होता है कि हाईकोर्ट का यह फैसला नहीं था कि यह सरकार दिवालिया, अयोग्य अथवा बेईमान है बल्कि उसके विपरीत जज ने सरकार के विरुद्ध किये उक्त दावे को खारिज किया और इस प्रकार के दावे को सार्वजनिक हित की दृष्टि से अनुचित बताया। ऐसे दावों के अनौचित्य पर विचार करते हुये जो हाई कोर्ट के माननीय जज ने तर्क उपस्थित किया उसका एक अंश मात्र वह उद्धरण है जो श्री राजनारायण जी ने सदन में पढ़कर सुनाया जिसमें हाईकोर्ट के फैसले में सरकार पर लांछन लगाने के विरुद्ध जिक्र किया गया है कि वह जनता के हित में नहीं होगा। माननीय श्री राजनारायण जी के स्पष्टीकरण के कथन का तात्पर्य भी यही था कि उनका उद्देश्य सदन को बताने का यह नहीं था कि जज ने यह फैसला दिया कि सरकार इस प्रकार की है। मेरे प्रश्न पूछने पर उन्होंने यहां तक कहा कि उनका उद्देश्य आमतौर पर सरकारों के प्रति संकेत करने का था और प्रस्तुत सरकार पर नहीं था। इस आदरणीय सदन की प्रथा के अनुसार माननीय श्री राजनारायण जी का उद्देश्य स्वीकार करके यह प्रश्न उठता है कि आया जो भाषण माननीय श्री राजनारायण जी का लिखा गया अथवा जो सुधार माननीय श्री राजनारायण जी कुछ वाक्यों में कर के उसमें शब्द बढ़ाना चाहते हैं उनसे जिस उद्देश्य को उन्होंने स्वयं बताया वह स्पष्ट व्यक्त होता है या नहीं। मैंने बहुत गौर से मूल रिपोर्टरों द्वारा लिखित भाषण की प्रति तथा जिस प्रकार माननीय राजनारायण जी भाषण के रूप में हेरफेर चाहते हैं दोनों आवृत्तियां गौर से पढ़ीं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों रूपों में यह भ्रम कायम रहेगा कि वक्ता का उद्देश्य यही है कि माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सरकार उक्त प्रकार की है। मूल आवृत्ति से बिलकुल ही स्पष्ट है और माननीय श्री राजनारायण द्वारा सुधारी प्रति से फैसले में संकेत "तथा रिमार्क" शब्द के प्रयोग से भी यही भ्रम उत्पन्न होता है क्योंकि जिस स्थान पर प्रमाण रूप में यह उद्धरण दिया गया और जिन जज के फैसले या रिमार्क्स से माननीय श्री राजनारायण जी ने इस सरकार को हटाने तक का नतीजा निकाला उनसे उक्त भ्रम कायम रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार के भ्रमात्मक आंशिक उद्धरण का जो अर्थ का विपर्यास करते हों उन्हें प्रमाण रूप में इस सदन के सामने लाना किसी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा के लिये हानिकर है और इस कारण सदन की प्रतिष्ठा पर भी ठेस पहुंचती है।

इस कारण मैं उक्त आपत्तिजनक वाक्यों को माननीय राजनारायण जी के ९ तारीख के उक्त भाषण में इस आदरणीय सदन की उस दिन की कार्यवाही में मूल रूप में अथवा संशोधित रूप में कायम रखना इस सदन की प्रतिष्ठा तथा भाषण मर्यादा की दृष्टि से अनुचित समझता हूं और यह निर्णय देता हूं कि निम्न वाक्य उक्त भाषण से हटा दिये जायं। वे वाक्य इस प्रकार हैं—

एक उदाहरण मैं आप के द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। वह देखेंगे" ...." , यहां से लेकर वह उद्धरण है जो कि सदन के सामने आ चुका है। "इस तरह के फैसले श्रीमन् हमारे सामने हैं। अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सम्मानित सदन के सामने रखें तो वह देखेगा कि वहां पर बड़ी २ खामियां इस सरकार की बताई गई हैं। एक (जैसा ओम प्रकाश गुप्त के केस में मैंने पहले कहा) सम्मानित जज ने तो यहां तक फैसला (में) दिया है कि (ऐसे दावे यह संकेत करते हैं कि) या तो गवर्नमेंट दीवालिया है, या बेईमान है या, अयोग्य है, तो क्या यह फैसला (संकेत) एक सम्मानित जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभनीय है? इस (ऐसी) सरकार को किसी जज का यह रिमार्क (फैसला) हटाने के लिये क्या काफी नहीं है। क्या इस (ऐसी) सरकार को, इस (ऐसी) निकम्मी सरकार को जिसके बारे में जज का इतना बड़ा फैसला (रिमार्क) है निकालने का अधिकार जनता के हाथ में नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि देना (जाना) चाहिये।" ये शब्द निकाल दिये जायं।

[श्री अध्यक्ष]

[श्री राजनारायण द्वारा शोधित शब्द कोष्ठकों () में रखे गये हैं]

मैं इस विषय में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो सदन के विवाद तथा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में स्वस्थ प्रथा से संबंधित है। इस प्रकार के आपत्तिजनक वाक्यों को हटाने के दो तरीके हैं। एक तो इस आदरणीय सदन में किसी संकल्प द्वारा आपत्तिजनक वाक्य हटाये जा सकते हैं। दूसरे स्वयं अध्यक्ष उन आपत्तिजनक वाक्यों को हटा दे। यह दोनों ही प्रथाएं उपयोग में विधान सभाओं में लायी गयी हैं। और इसके उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। मैं यहां पर सदन का समय उन उदाहरणों के लिये नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन दोनों प्रकार के उदाहरण मुझे मिले हैं। इन प्रथाओं में से इस मामले में किस प्रथा का अनुकरण करना उचित होगा इस पर मैंने विचार किया। इस सदन में साधारणतया यही प्रथा रही है कि अध्यक्ष आपत्तिजनक वाक्यों को हटाते रहे और इस प्रकार एक उदाहरण यह भी हुआ है कि माननीय नारायणदत्त जी के विरुद्ध उनकी शान के खिलाफ अश्लील वाङ्मय के एक शब्द का प्रयोग माननीय विष्णुशरण दुब्लिश जी ने किया था। मेरे सामने उसके संबंध में श्री झारखंडे राय जी ने आपत्ति की और मैं समझता हूं कि और लोगों ने भी इसकी चर्चा की। उसके बाद मैंने इस प्रकार की आज्ञा दी कि यह शब्द हटा दिया जाय। और भी उदाहरण इस तरह के समय समय पर इस सदन के मिलते हैं कि अध्यक्ष ही इस प्रकार के आपत्तिजनक वाक्यों को हटा देने का काम किया करते हैं। हमारे पास जो नियम है उनमें भी स्पष्ट रूप से यह भार अध्यक्ष के ऊपर ही सौंपा है कि किस तरह से इस सदन की कार्यवाही प्रकाशित हो क्योंकि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है और उसको बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है। इस आदरणीय सदन की स्वयं प्रतिष्ठा जनता के समक्ष बहुत अधिक है और इसके विवाद के समय में अगर कोई ऐसे वाक्य जनता के सामने जाते हैं जिनसे जनता यह समझे कि इस सदन के सदस्य इस प्रकार के हैं जो कि इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं जो कि बाहर भी उच्चारण करने को योग्य नहीं होते हैं या बाहर सभ्य समाज में जारी नहीं है तो ऐसी अवस्था में इस सदन की प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंच सकती है। इसलिये यह नियम बना दिया गया कि किस प्रकार से वह कार्यवाही प्रकाशित हो, यह अध्यक्ष ही निर्णय करें। यदि अध्यक्ष स्वयं समझें कि इस आदरणीय सदन की राय लेने की आवश्यकता है: उस वक्त वह राय लेकर निर्णय करें तो दूसरी बात है। लेकिन जहां स्पष्ट कोई बातें हैं और अध्यक्ष इस नतीजे पर आते हैं कि पार्लियामेंटरी वादविवाद करने के तरीके के विपरीत कोई बात कही गयी है तो वह स्वयं उन वाक्यों को हटा सकते हैं। इस प्रथा में अल्पसंख्यक लोगों का हित भी निहित है। मैं उदाहरणार्थ यह बात सदन के सामने रख देना चाहता हूं कि मान लिया जाय कि इस प्रकार का कोई आपत्तिजनक वाक्य का बहुमत के लोगों में से किसी सदस्य ने यहां पर प्रयोग किया और सदन के अल्पसंख्यक सदस्यों पर आक्षेप किया और उसके ऊपर अल्पसंख्यक लोगों ने आपत्ति उठायी कि वह वाक्य हटा दिया जाय। तो अगर संकल्प द्वारा ही हटाने का प्रश्न है तो संभव है कि बहुत बुरी बातें भी जो अल्पसंख्यक लोगों के विरुद्ध कही गई हों वे बहुमत से, अगर बहुमत जोश में हो, यह निर्णय होना संभव है कि वह वाक्य न हटाया जाय, हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि यह सदन ऐसा निर्णय करेगा जिससे कि आपत्तिजनक वाक्य को हटाने में किसी तरह की कठिनाई हो, इस सदन से यह आशा की जाती है। लेकिन जैसा कि भावावेश होता है, कभी कभी सदन में क्रुद्ध भाव होता है, ऐसे समय ऐसा हो सकता है कि अल्प संख्यक लोगों की आपत्ति वाजिब होते हुये भी और उनके प्रति अपमानजनक भाषण होते हुये भी उसे हटाने के लिये सदन अनुमति न दे। तो ऐसी अवस्था में कार्यवाही में ऐसे शब्द रह जायेंगे जो आपत्तिजनक हैं। इसलिये इस सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने का भार अगर अध्यक्ष के ऊपर होता है तो यह उचित ही है। इस मामले में जरा गड़बड़ी इस कारण हो गयी कि तत्काल आपत्ति नहीं की गयी थी। इसीलिये मैंने उचित समझा कि थोड़ा बहुत प्रकाश इसके ऊपर डाला जाय। जो हमारा

नया नियम २२३ है उसमें लिखा हुआ है कि कार्यवाही संचालन करने के बारे में कोई नियम न हो तो ऐसे समय में अध्यक्ष यह निर्णय करेगा कि किस प्रकार से कोई कार्यवाही हो। उस अधिकार को उपयोग में लाकर मैंने यह उचित समझा कि यहां पर कोई संकल्प भी न हो, स्पष्टीकरण भी हो जाय और मैं स्वयं निर्णय करूं जिसमें यह स्वस्थ प्रथा भी जारी रहे कि अल्प संख्यक लोगों को भी किसी तरह की कभी आगे चलकर हानि न हो। और अध्यक्ष ही प्रथा के अनुसार स्वयं निर्णय करे कि कौन से वाक्य प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं और यदि खिलाफ हैं तो ऐसे वाक्यों को हटाना चाहिये या नहीं। इसीलिये इसके ऊपर मैंने स्वयं निर्णय देने का भार अपने ऊपर लिया और जो निर्णय मैंने दिया उसके अनुसार आपत्तिजनक वाक्य हटा दिये जायंगें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आप से निवेदन किया था कि ९ तारीख के भाषण के संबंध में दोनों पक्षों ने अपने अपने मत स्पष्ट तरीके से रख दिये हैं। आपके प्रति और आपके निर्णय के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुये मुझे यह कहना पड़ता है कि दुनिया के तमाम पार्लियामेंट.....।

श्री अध्यक्ष—जो मैंने अभी निर्णय दिया है उसके ऊपर मैं आपको रिमार्क्स करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन, आपने जो आज्ञा दी है वह बहुत ही स्पष्ट है लेकिन इसके साथ ही एक प्रश्न और उठता है कि क्या किसी सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक विवाद करने से प्रोसीडिंग्स से वे शब्द एक्स्पंज किये जायं इसके संबंध में आपकी क्या राय है क्योंकि किसी व्यक्ति के लिये आपत्तिजनक शब्द कहे जायं तो उनका तो प्रोसीडिंग्स से एक्स्पंज किया जाना उचित मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य इसी पर बिला इसको समझे हुये विवाद कर रहे हैं। जो निर्णय मैंने अभी दिया है वह विवाद करने के बारे में नहीं है। जो जज का फैसला है उसके बारे में जो श्री राजनारायण जी ने उद्धरण वक्तव्य दिया, उस फैसले के विपरीत दिया। इसलिये कि यह जो फैसला है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार के लिये आपत्तिजनक बात हो। बिना समझे हुये आपने प्रश्न पूछा इसलिये जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इंटरप्रिटेशन करने के राइट को इस तरह से हमसे छीना जाता है। इसलिये इसके विरोध में मैं ५ मिनट के लिये इस सदन से अलग होता हूं।

(इसके उपरान्त विरोधी दल के नेता तथा दल के अन्य सदस्य सदन से उठ कर चले गये और पांच मिनट बाद वापस आ गये।)

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार जारी रहेगा।

---

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सभा त्याग करने पर वैधानिक आपत्ति

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं, अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—उठाइये, क्या आपत्ति है ?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)—मैं यह वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा के विरुद्ध विरोधी दल के सदस्य भवन से निकल गये हैं। इसलिये भवन का अपमान किया गया है। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिये इसके ऊपर आप निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—इस सदन में से कोई प्रोटेस्ट में निकल गया या सदन से बाहर चला जाय, यह एक आम प्रथा सी दिखाई देती है। अगर केवल तर्कशास्त्र से सोचा जाय, बुद्धि से सोचा जाय तो हां यह हो सकता है कि अपमान हो लेकिन जो प्रथा चली जाती है "शास्त्रात् रुढिर्बलीयसी" यह कहावत है, यह रुढि होने की वजह से मैं यह समझता हूं कि जब कोई अपमानजनक या अपमान सूचक कोई शब्द जाते समय इस्तेमाल न करे तब तक आपत्ति उठाई नहीं जा सकती है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

†खंड ९ (क्रमागत)

‡**श्री जयराम वर्मा** (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि यह उपधारा अगर अपने वर्तमान रूप में रहे तो इसका अर्थ यह होगा कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी अगर किसी भी कारण से, बरख्वास्त होता है तो वह नगरपालिका का सदस्य होने के योग्य नहीं रहेगा, इसके लिये वह अयोग्य ठहरा दिया जायगा लेकिन "दी रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल ऐक्ट, १९५१" के अन्तर्गत विधान मंडल और संसद के, सदस्यों के लिये जो अयोग्यता लिखी हुई है उसका अर्थ यह है कि अगर कोई राज्य कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी भ्रष्टाचार और राजद्रोह के कारण बरखास्त होता है तो वह संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकेगा। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार या राजद्रोह के अतिरिक्त और किसी कारण से बरखास्त होता है संसद और विधान मंडल का सदस्य तो हो सकेगा लेकिन वह किसी नगर पालिका का सदस्य नहीं हो सकेगा। यह परिस्थिति मुझे थोड़ी सी अवैधानिक सी लगती है। इसलिये मैंने अपने संशोधन के द्वारा यह प्रयत्न किया है कि यह जो नियम के विरुद्ध बात मालूम होती है वह हटा दी जाय। दूसरी बात तो मैंने अपने संशोधन मे परिवर्तित करने की कोशिश की है वह यह है कि कल जो संशोधन माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है उसमें "ए लोकल अथारिटी" शब्द रक्खे हैं मैंने शब्द "ए" की जगह पर "ऐनी" रख दिया है। उससे अर्थ में कोई परिवर्त्तन नहीं होता, थोड़ा फोर्स बढ़ता है। शब्द "ए" का इतना जोर नहीं है जितना शब्द "ऐनी" का है इसलिये मैंने "ए लोकल अथारिटी" की जगह पर "एनी लोकल अथारिटी" शब्द रख दिये।

दूसरा परिवर्तन जो मैं अपने संशोधन के द्वारा चाहता हूं वह यह है कि जहां इस उपधारा में "दी स्टेट" शब्द रखे हुये हैं उसकी जगह पर शब्द "एनी स्टेट" रख दिये जायं। इसका

---

†१५ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में दिया है।

‡ श्री जयराम वर्मा का संशोधन १७ दिसम्बर, १९५२, के कार्यवाही में छपा है।

अर्थ यह होगा कि केवल इस राज्य सरकार के कर्मचारी जो बरखास्त हो, नगरपालिका का सदस्य होने के अयोग्य न हो, बल्कि हमारे देश में किसी भी राज्य सरकार का कर्मचारी चाहे वह किसी कारण से या मेरे संशोधन के अनुसार भ्रष्टाचार और राज्यद्रोह के कारण बरखास्त हुआ हो वह नगरपालिका का सदस्य न हो सके। इस तरह मैंने अपने संशोधन के द्वारा इस बिल की वर्तमान उपधारा को इस रूप में परिवर्तन करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हो जाय तो अधिक उपयुक्त होगा और अगर माननीय मंत्री को मेरी बात उचित मालूम होती हो तो वह उसे स्वीकार कर लें ।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन द्वारा यह कोशिश की गई है कि जो कर्मचारी डिसमिस हों वह केवल करप्शन या डिस्लवायलटी के लिये डिसमिस हों वह न खड़े हो सकें, बाकी सब लोकल बाडीज में खड़े हो सकें। जैसा कि माननीय सदस्यों को अनुभव होगा कि लोकल बाडीज खास कर म्युनिसिपैलिटीज में काफी सुधार की आवश्यकता है और जितना इस मामले को किया जाय उतना ही थोड़ा है यह कई बार होता है कि एक कर्मचारी बरखास्त होता है लेकिन यह जरूरी नहीं है, चाहे वह करप्शन या डिसल्वायलटी के कारण ही डिसमिस हो, लेकिन यह नहीं लिखा जाता। लोकल अथारिटीज में मुश्किल हो जायगा इस तरह का कारण देना। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उनका डिसमिसल के लिये बाकायदा एक बहुत एलोबोरेट प्रोसीजर होता है लेकिन लोकल बाडीज में ऐसा नहीं होता, इसमें काफी दिक्कतें आ जायेंगी। इसलिये वे कर्मचारी जो राज्य सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने या जिनको लोकल अथारिटीज ने निकाला है, जिनको डिबार कर दिया हो उनका मेम्बरशिप के लिये अलग रहना ही मुनासिब होगा। इससे फायदा यह होगा और म्युनिसिपैलिटीज का शासन सुधरेगा। इसलिये मैं मूवर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस लें ले।

श्री जयराम वर्मा---मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

[श्री रामनारायण त्रिपाठी के स्थगित संशोधन पर विवाद।]

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आदरणीय, महोदय, मैं सिम्बल के संबंध में उस दिन कह रहा था कि म्युनिसिपल चुनावों के लिये सिम्बल सिस्टम एडाप्ट करना चाहिये। उस दिन मैं यह भी कह रहा था कि मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि जब इतने दिनों से म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव करने के लिये माननीय मंत्री जी लालायित थे और आज भी माननीय मंत्री जी म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव जल्दी कराने की बात समय समय पर इस सदन में कहा करते हैं। तो क्या कारण है कि माननीय मंत्री जी ने अभी तक किस प्रथा से चुनाव हो इस पर अपनी सम्मत्ति स्थिर नहीं की है। मुझे आश्चर्य है यह देखकर कि इस सरकार की जो गति-विधि है वह जनतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। यह सरकार अपने मनमाने ढंग से काम किया करती है और मारेलिटी और आनैस्टी का जो तकाजा है उसके विपरीत यह सरकार अपने कदम उठाया करती है। मैं समझता हूं यह उस तरीके पर फिर आना चाहती है।

श्री मोहनलाल गौतम---प्वाइन्ट आफ आर्डर, आपने जो रूलिंग पिछले दिनों मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से पढ़कर सुनाई थी उसको आवेश में हमारे माननीय सदस्य भूल गये हैं। क्या इस तरह के सख्त लब्ज इस्तेमाल करना उचित होगा ?

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, उन्हें कुछ सहन करना चाहिये।

---

*श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन पर श्री राजनारायण १६ दिसम्बर, १९५२, को भाषण कर रहे थे कि सदन स्थगित हो गया। यह भाषण उसके क्रम में है ।

श्री राजनारायण---मैं कह रहा था कि मेरे सामने बहुत से उदाहरण रखे हैं हाईकोर्ट के और दूसरे जिनसे मालूम होता है कि इस सरकार को गतिविधि जनतंत्र के विरुद्ध है। जिनमें ऐसा कहा जाता है कि यह सरकार बेइमानी के रास्ते पर चलती है। उस सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि वह किस प्रथा को चुनाव के लिये चलाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष---आपने जो "बेइमानी" शब्द प्रयोग किया है यह अनपार्लियामेंटरी है। इसको उपयोग में न लाया जाय चाहे वह किसी के लिये भी हो।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि हमें जो बार-बार कहा जाता है कि इसकी (सरकार की) नीयत पर आक्षेप नहीं करना चाहिये इसके संबंध में मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और आपके ज़रिये से माननीय सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की नियत पर आक्षेप करने की हमारी इच्छा नहीं रहती है किन्तु इस सरकार के काम ही ऐसे होते हैं कि जिससे इसको उस कोटि में लाया जा सकता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। श्रीमन्, एक बार नहीं मैंने बार-बार उदाहरण इस सदन के सामने रखे और सिम्बल सिस्टम के बारे में इस सदन से निवेदन किया कि जब तक सिम्बल का सिस्टम अख्तयार नहीं किया जायगा तब तक आजकल के जमाने में सिक्रेसी मेंटेन (जनतन्त्र प्रणाली) नहीं हो सकती। जो वोटर है उनका विश्वास नहीं होगा कि जिसे वोट दे रहे हैं वह उनका वोट सीक्रेट रहता है या नहीं। आजकल का समाज दो बड़े-बड़े भागों में बंटा हुआ है। एक तरफ तो सत्ताधारी लोग हैं और दूसरी ओर पीड़ित और सताये हुये लोग हैं जो बालिगमताधिकार के आधार पर सब वोटर हो सकते हैं और सब वोटर होने पर भी उनको वह गारण्टी नहीं मिलती है। उनको गारण्टी तब मिलती है जब कि वह अपना वोट किसी को देता है और उसके बाद उसके ऊपर कोई सत्ताधारी तबका अपना किसी प्रकार का दमनचक्र नहीं चलाता है लेकिन अभी तक हमारे सामने यह साफ तौर से नहीं रखा गया कि मंत्री महोदय किस प्रकार की प्रथा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय मानसिक व्याख्या या उनकी मनोवृत्ति की व्याख्या कर रहा हूं कि वह कहां जा रहे हैं। मैंने उस दिन भी सदन में कहा था कि चुनाव का सिस्टम ऐसा भी है, अभी देखने में आया कि जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने-अपने कार्ड को छपा कर बंटवा दिया और जब परदे के पीछे बैलेट बाक्स रखे गये और जो भी कार्ड लेकर आया उस से जहां चाहें परचा गिरवा दिया गया। इस तरह की चुनाव की प्रणाली अख्तयार की गई उस पार्टी के द्वारा जिसकी सरकार आज यहां कायम है। यह बात आज स्पष्ट हो चुकी है कि जो नीति सरकार पार्टी अपने आंतरिक ढांचे में अख्तयार किये हुये हैं वही वह आगे भी अपनी सरकार के लिये अख्तयार करना चाहती है, इस में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। मैंने पहले भी इशारा किया था कि जो चुनाव का तरीका अख्तयार किया गया था वही चुनाव का तरीका म्युनिसिपल एलेक्शन्स में क्यों नहीं अख्तयार किया जाता है और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि वह सिम्बल सिस्टम से क्यों घबराते हैं? श्रीमन्, उसी दिन जब माननीय स्वशासन मंत्री जी ने बार-बार इस सदन में चुनौती दी कि कोई उदाहरण दिया जाय कि कौन सा काम ऐसा हमने किया जिससे नियत पर शंका है। उस पर मैंने कहा था कि एक काम नहीं सैकड़ों हजारों काम मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतला सकता हूं जिनसे यह नतीजा निकल सकता है कि इस सरकार की नीति प्रजातंत्र के विरुद्ध है वह डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि अनडेमोक्रेटिक है, डिक्टेटोरियल तानाशाही है और रिएक्शनरी प्रतिक्रियावादी है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि रिएक्शनरी के माने गोल होते हैं, वैसे तो कोई भी अपने को रिएक्शनरी कह सकता है लेकिन मेरा कहना यह है कि जब हम कसौटी पर कसते हैं तो आज के जमाने में जो लिस्ट सिस्टम को नहीं रखता उसको न रखने वाला व्यक्ति रिएक्शनरी है। जिस तरीके से सरकार चुनाव कराना चाहती हैं वह ऐसा तरीका है जिस के द्वारा सरकार अपनी सत्ता को आने वाले चुनाओं में कायम रख सकें और चाहती हैं कि जब हम सत्ता पर बैठ गये हैं तो चुनाव सिस्टम ऐसा रखें जिस से आगे आने वाले म्युनिसिपल

बोर्ड के चुनाव में हमारे उम्मेदवार हावी रहें। अखबारों से सब को मालूम है कि अब तक जितने लोकल बाडीज़ के चुनाव हुये हैं उसमें आज की जो सत्ताधारी पार्टी है वह चारों खाने चित्त गिरी है और उसीसे सचेत हो कर माननीय स्वशासन मंत्री जी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लिस्ट सिस्टम को ढकेल कर हटा दिया जाय और वह इस उत्तर प्रदेश में जो सब से बड़ा प्रदेश है चारों खाने चित्त न गिरें। इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उदारता के साथ इस पर विचार करें क्योंकि वह अपने को क्रांतिकारी कहते हैं लेकिन उसका परिचय वह नहीं देते, कहने से तो कोई क्रांतिकारी नहीं हो सकता केवल उसका कार्यक्रम ही साबित कर सकता है कि वह क्रांतिकारी हैं या नहीं हैं।

श्रीमन्, मैं विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता मगर उस दिन आपकी अनुपस्थिति में माननीय मंत्री महोदय ने सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बहुत सी चर्चा की थी। उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी अपनी गतिविधि का निरीक्षण करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज उनकी जो मनोवृत्ति है, जिसको मैं दकियानूसी और गैर जनतंत्रवादी कहता हूं, उससे प्रेरित होकर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का साथ छोड़ा है।

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर। इस समय एक मामला शुरू किया जा रहा है कि मैंने किस लिये सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी। अगर आप इसकी आज्ञा देंगे और इसे वह वापस नहीं करेंगे तो मुझे तमाम चीजें एक्सप्लेन करना पड़ेंगी कि मैंने क्यों सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी।

श्री अध्यक्ष—मैं सुन नहीं पाया ठीक से, मैं बातों में लग गया था। माननीय राजनारायण जी ऐसा न करें तो अच्छा है।

श्री मोहनलाल गौतम—वह कहते हैं कि एक मनोवृत्ति है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन उनका यह कहना कि मैंने इसीलिये सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी, यह अनुचित है। इसके स्पष्ट करने के लिये मुमकिन है कि आपको मुझे १ घंटा देना पड़े। इसका इस समय के विषय से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इस विषय में यह रूल है—

"The matter of every speech must be strictly relevant to the matter before the Assembly. A member, while speaking or answering a question shall not express any opinion or make any comment on any matter of fact on which a judicial decision is pending; make a personal charge against a member."

इसका हिन्दी में यह है. "प्रत्येक भाषण का विषय सभा के समक्ष विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिये। बोलते तथा प्रश्न का उत्तर देते समय कोई सदस्य किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा, किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा।"

माननीय मंत्री जी ने यहां यह बिल मंत्री की हैसियत से पेश किया है, श्री गौतम जी की हैसियत से नहीं पेश किया है। इसलिये उनकी व्यक्तिगत बातें असंगत हैं। यदि माननीय राजनारायण जी इस किस्म की बात कहेंगे तो वह व्यक्तिगत हो जाती है, कि उन्होंने क्यों सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी। इसलिये व्यक्तिगत होने के कारण यदि उसका अब आप जिक्र करेंगे तो वह सदन की कार्यवाही से हटा दिया जायगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपके ज़रिये एक निवेदन करना चाहता हूं। आपकी अनुपस्थिति में माननीय मंत्री जी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया था कि किन बातों से प्रेरित होकर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी।

श्री अध्यक्ष—अगर प्रश्न उठाया गया हो और वह कायम रह गया हो तो उसके जवाब देने का अधिकार दूसरे सदस्य को हो सकता है। उस रोज ऐसी बात थी कि मेरी अनुपस्थिति में कुछ भाषण ऐसा हुआ जिसमें इस प्रकार का जिक्र हुआ और वह कायम रहा, इसलिये उसका प्रत्युत्तर जवाब देते वक्त दिया गया, जिसको जवाब देने का अधिकार है, वह चाहे तो जवाब में उसका जिक्र करदे। लेकिन किसी दूसरे मौके पर इस वजह से कि कल की कार्यवाही में यह बात हुई थी, कोई बात कहना उचित नहीं है क्योंकि सदन में तो बहुत सी कार्यवाही होती है इसलिये १० या १५ दिन पहले जो बात यहां कही गयी है उसका उत्तर आज देना अनुचित है। यदि माननीय स्वशासन मंत्री ने किसी बात का जिक्र इस वक्त किया है तो उसका जवाब आप आज दे दें। यदि उनके भाषण का वह हिस्सा कायम रहेगा तो आपका जवाब भी कायम रहेगा नहीं तो दोनों हटा दिये जायेंगे लेकिन यह नहीं हो सकता कि अगर पहिले किसी वक्त वे कोई बात कह चुके हैं तो उसके जवाब देने की इजाजत आपको आज मिल जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब मैं पहले बोल रहा था तो मैंने कहा था कि सिम्बल सिस्टम को रखा जाय। मैं पुनः आपके अनुसार माननीय स्वशासन मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि आखिर स्वशासन मंत्री जी सिम्बल सिस्टम को रखने में क्यों हिचक रहे हैं मैं जानना चाहता था कि वे उसके कारण को सफाई के साथ हमें बता देते तो हमें ज्यादा बहस करने की आवश्यकता न होती। इसलिये श्रीमन् मैं पुनः चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, स्वशासन विभाग के मंत्री जी पुनः इस बात की सफाई करें कि सिम्बल सिस्टम को सफाई के साथ अख्तियार करने में कौनसी चीज बाधक हो रही है जब कि इसी सिम्बल सिस्टम को अख्तियार करके अपने प्रान्त की जनता इतने बड़े चुनावों में भाग ले चुकी है। जब सारी जनता उस सिस्टम से परिचित हो चुकी है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फिर उस सिस्टम के न रखने की क्या वजह हो सकती है। मैं उस तत्व को खोजने का प्रयत्न कर रहा था जिसको ध्यान में रख कर उन्होंने यह फैसला किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे सारे देश में इस तरीके को अपनाने से जो हालत हो रही है उसको देखकर भयभीत तो नहीं हो गये हैं। और इसी कन्क्लूजन (नतीजे) पर पहुंचने के लिये यह वस्तु-स्थिति हमारे सामने है। इसलिये श्रीमान् जी मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से फिर यह निवेदन करूंगा कि वे सिम्बल सिस्टम को अख्तियार करें, उसको अख्तियार करने में न हिचकिचायें अगर वे हिचकिचाते हैं तो जो अधिकार जनता के हाथ में बालिगमताधिकार का दिया हुआ है उस अधिकार को पुनः इसके द्वारा छीनना होगा। फ्रीली (स्वतन्त्र) चुनाव करने और बालिगमताधिकार का जो जनता को अधिकार है उसको समाप्त कर देना होगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य के नये तर्क अगर समाप्त हो गये तो पुराने तर्कों को न दुहरायें।

श्री राजनारायण—तो जब तक माननीय स्वायत्त शासन मंत्री सिम्बल सिस्टम को न मानेंगे तब तक उसके मानी ये होंगे कि जनता को जो बालिगमताधिकार का अधिकार मिला हुआ है उसको वे छीनने पर तुले हुये हैं क्योंकि एक अधिकार को देना और दूसरे तरीकों से उन्हीं अधिकारों को सही तरीके पर काम में न लाने देना ही यह बताता है कि सरकार उन अधिकारों को देना नहीं चाहती है। इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर इस सदन से यह अपील करूंगा कि यदि माननीय मंत्री जी किसी कारण से इस संशोधन को न मानें तो सदन इस बात की कोशिश करे और हमारे सिद्धांतों की गुरुता और गहराई को देखते हुये तथा विकसित समाज की पद्धति को किसी प्रकार भी अख्तियार करने में न हिचकिचायें और हमारे संशोधन को अपनी अनुमति प्रदान करें।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाब वाला, लीडर आफ दी अपोजीशन की तकरीर को मैंने सुना। सवाल सिर्फ यह था कि सिम्बल सिस्टम मंजूर किया

जाय या न किया जाया या इस सवाल को जब रूल्स बनाये जायं तब रक्खा जाय या क्या। लेकिन इस सिलसिले में बिलावजह गरमागरम बहस हुई और हमारे लीडर आफ दी अपोजीशन ने गवर्नमेंट की नीयत पर भी हमला करना शुरू कर दिया।

मैं इसकी बाबत कुछ कहना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक शेर पढ़ देता हूं---

"इतनी न बढ़ा, पाकिये दामन की शिकायत।
दामन को जरा देख, जरा बन्दे क़बा देख।।"

तो पहले अपने आपको देख लेना चाहिये तब दूसरे के ऊपर हमला करना चाहिये। आपकी क्या हालत है, इसके ऊपर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। हुजूरवाला, सवाल यह है कि रूल १३-जी जो इसमें दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, "मेथड ऐंड मैनर आफ एलेक्शन"। तो पहले जो म्युनिसिपल ऐक्ट बन चुका है उसमें भी यही तरीका था, कोई मेथड नहीं दिया हुआ था बल्कि रूल्स उसके लिये बन गये हैं। अगर खेर कमेटी की रिपोर्ट को भी देखें जिस पर आप बहुत जोर देते हैं और हर वक्त खेर कमेटी का नाम याद रखते हैं उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है सिवा इसके कि जनरल कहा गया है। लेकिन उसके पहले जो रूल्स बन गये हैं म्युनिसिपैलिटीज के लिये जो मेथैड आफ एलेक्शन था, किस तरीके से वोट पड़ेगा, सिम्बल सिस्टम से वोट पड़ेगा, लिस्ट सिस्टम से वोट पड़ेगा या किस सिस्टम, से वोट पड़ेगा, वह अलग रखा गया है। लिहाजा इस जगह इसका सवाल उठाना मेरे खयाल में मुनासिब नहीं है। जिस वक्त रूल्स बनाये जायं उस वक्त यह बात कहनी चाहिये और तब उसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वह गौर करेगी। अब सिम्बल सिस्टम की बाबत यह कहना कि असेम्बली में डबल मेम्बर कंस्टीटुएंसी थी या सिंगल मेम्बर कंस्टीटुएंसी थी, सिंगल मेम्बर कंस्टीटुएंसी ज्यादा आसान है या डबल मेम्बर कंस्टीटुएंसी लेकिन अगर म्युनिसिपल बोर्ड वार्ड सिस्टम से तीन सीट्स रखी गयीं या चार सीट्स रखी गयीं और उसमें अगर सिम्बल्स रखे गये तो उसमें बड़ी दिक्कतें पेश आयेंगी। उसकी वजह यह है कि आप यह देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मेरा सिम्बल दो बैलों की जोड़ी है और दूसरी पार्टियों के दूसरे सिम्बल हैं तो वोटर्स को उसका खयाल रखना पड़ेगा कि कितने निशान हैं। अगर ७ सीट्स हैं और ७ इनडिवीजुअल को वह वोट देना चाहता है तो उसकी दिक्कतें कितनी बढ़ जायंगी, इसका भी खयाल रखना चाहिये। लिहाजा मेरे ख्याल में यह सब रूल्स में दिया हुआ है। जब कि तमाम ऐक्ट बन जायगा और रूल्स बनेंगे उस वक्त इस मसले पर गौर किया जायगा और मेरे ख्याल में उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी इस मसले पर ज्यादा जोर दे तो मुनासिब होगा। क्योंकि वही वक्त मुनासिब है। इस वक्त जब कि रूल्स बने ही नहीं हैं यह सवाल प्रिमेच्योर उठाया गया है मुझे उम्मीद है कि मेम्बर साहब इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देंगे और अपने अमेंडमेंट को वापस ले लेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---२१७
विपक्ष में---२५।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में चुनाव की प्रणालियों की बहस का दिन था और कई प्रकार से चुनाव कराने की प्रणालियों पर विचार था और हमें अफसोस है कि दो तीन ऐसे अच्छे सुझाव ठुकरा दिये गये। इस समय हमारी तरफ से इस बात की कोशिश हुई कि सिम्बल (चुनाव का चिह्न) के बारे में कि ऐसा निर्णय अवश्य लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—बहुत शोर हो रहा है। मैं सदन में शान्ति चाहता हूं जिसमें माननीय वक्ता की बातें सुनी जा सकें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह बार बार घोषणा होती रही है कि उसका इरादा यह कतई नहीं है कि एक भी वोटर को कोई दिक्कत महसूस हो और वह आजादी के साथ निर्भय हो कर जिसको चाहे अपना वोट दे न सके। सिम्बल सिस्टम ही एक प्रणाली है जिससे मतदान पूर्ण रूप से गुप्त रक्खा जा सकता है तथा लोग निर्भय होकर मत दे सकते हैं। इसीलिये इस सिम्बल सिस्टम पर जोर देने का मेरा मंशा है। वैसे इस विषय को लेकर मैं कई महीनों से काफी परेशान था। जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव सन् १९४८ में हुये तब इस बात की भी घोषणा हुई थी कि तमाम म्युनिसिपल बोर्ड्स के भी चुनाव होंगे तो मेरे सामने यह प्रश्न बार बार आया और इस प्रश्न पर चिन्ता मुझे इसलिये है कि पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव के अवसर पर मैंने स्वयं काफी दिलचस्पी ली और उसमें मैंने देखा कि जितने प्रभावशाली व्यक्ति थे चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हों या न हों, इंडिविजुअल प्रभावशाली व्यक्ति जिनका बड़े-बड़े जमींदार होने की हैसियत से बहुत बड़ा असर था उन्होंने वोटरों को पकड़वाकर मंगाया और बारी बारी से पोलिंग एजेंट के सामने, हर रकबे के अलग अलग और हर गांव के अलग अलग प्रभावशाली एजेण्टों को रखा गया था, और वोटरों से कहा गया कि अगर तुम हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं दोगे तो हमको मालूम हो जायगा और करीब करीब ९० फीसदी मतदाताओं को पोलिंग एजेण्टस के सामने पोलिंग अफिसर को बतलाना पड़ा कि हम फलां फलां व्यक्ति और व्यक्तियों को वोट देना चाहते हैं यही कारण मेरी मानसिक परेशानी का था और मैंने सोचा कि जब कभी मौका आयेगा मैं इस बात पर जोर अवश्य डालूंगा। सरकार की तरफ से कई वक्ताओं ने भाषण किये और इस बात पर हम सब एक मत हैं कि करीब करीब ८५ फीसदी नहीं तो ८० और ७५ फीसदी के लोग हमारे शहरों में भी पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो प्रणाली इस समय रायज है उसके लिये कोई चारा ही नहीं रह जाता, जो शिक्षित हैं उनके सामने तो एक लम्बी सूची उम्मीदवारों की रहती है, वह पेश की जा सकेगी और पेश करने पर अगर वह चाहें कि वह उस बैलट बाक्स को अलग रख कर मार्क लगा दें तो उनकी सुविधा है। लेकिन यह सुविधा और सीक्रेसी की बात सिर्फ पंदरह बीस फीसदी आदमियों के लिए लागू हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आखिर चुनाव का मतलब क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह चुनाव जिसमें ८५ फीसदी वोटर अपने मत को आजादी से, निर्भय होकर व्यक्त न कर सकें, यह फार्स नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी अपने भाषण में देंगे। पचासी फीसदी जनता जिस चुनाव में फ्रीली अपना वोट एक्सरसाइज न कर सके तो उस चुनाव से मैं बेहतर यह समझूंगा कि हर म्युनिसिपल बोर्ड के लिये गवर्नमेंट की तरफ से नामजदगी हो जाया करे। इस सम्बन्ध में कई आपत्तियां उठायी गयीं। एक आपत्ति यह उठायी गयी कि प्लूरल मेम्बर वार्ड्स ज्यादा प्रचलित हैं। पिछले चुनाव में डबिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी थीं और एक आदमी को एक या दो उम्मीदवारों को वोट देने पड़े। लेकिन सदन के हर सदस्य को मालूम है कि एक-एक चुनाव क्षेत्र में पंद्रह-पंद्रह

बक्स एक पोलिंग बूथ पर रखे गये। जो वोटर जाता था पन्द्रह बक्सों में ढूंढ़ कर अपने उम्मीदवार को वोट देता था। बहस यह है कि मान लीजिये तीन सीटें हैं, तीन पोलिटिकल पार्टीज हैं, और उनके नौ उम्मीदवार हैं। छः उम्मीदवार स्वतन्त्र मान लेते हैं। तो पन्द्रह से ज्यादा डिब्बे नहीं होंगे। मसलन एक कांग्रेस पार्टी है उसने तीन उम्मीदवार खड़े किये और अगर हरिजन है तो उसके बक्स पर बैलों की जोड़ी घेरे में रखी जा सकती है। मान लें कि इन तीन उम्मीदवारों में एक का पहले नम्बर पर बक्स पड़ता है दूसरे का सातवें नम्बर पर पड़ता है और तीसरे का पन्द्रहवें नम्बर पर पड़ता है। तो जो उम्मीदवार जानते हैं कि बैलों की जोड़ी का चिह्न है और अगर वह जरा भी कांग्रेस को वोट करने की फिक्र करेंगे तो गलती नहीं होगी क्योंकि परिक्रमा तो डिब्बों की हर हालत में करनी ही पड़ेगी। तो अगर दिन भर का हर्ज करके वोट देने कोई गया है तो नम्बर एक, नम्बर सात और नम्बर पन्द्रह पर तीन बैलों की जोड़ी देख कर वोट न डाल सके यह अव्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल व्यावहारिक है। और कलर सिस्टम के बारे में भी यह सवाल उठाया गया है। कि बहुत से लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। सचमुच आज कल इस रंगों के वैज्ञानिक युग में कोई नहीं कह सकता कि कितने कलर होते हैं और कौन कलर है। इसलिए मैंने दोनों रख दिये हैं। दोनों में कलर और सिम्बल में जो भी सुविधाजनक हो उसे लिया जा सकता है।

दूसरी बात खर्चे के बारे में कही गयी। उसमें बताया गया कि इतने सिम्बल्स छपाने पड़ेंगे और तमाम खर्चे का जो भार है वह म्युनिसिपल बोर्ड पर पड़ेगा। उनकी हालत यूंही खराब है। जिसके कारण वे अपना काम नहीं चला पाती हैं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अगर इसके लिये सरकार को विशेषाधिकार से कुछ रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को ग्रांट के तौर पर देना पड़े तो मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से कोई भी विरोध नहीं किया जायगा परन्तु मेरा ख्याल है कि खर्च का प्रश्न कोई खास प्रश्न नहीं है कि इतना खर्चा बढ़ जायगा जो म्युनिसिपल बोर्ड उठा नहीं सकेंगे। और सिम्बल्स की जो बात है, पिछले चुनावों की वजह से एक-एक पार्टी ने एक-एक सिम्बल को अरबों की संख्या में बांटा और सरकारों की तरफ से और अखबारों की तरफ से और विभिन्न पार्टियों की तरफ से इतना प्रचार हो गया है कि अब कोई दूसरा सिस्टम उनको पसन्द भी नहीं आयेगा।

तो अध्यक्ष महोदय, सदन का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात अवश्य उठाई गयी थी। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इससे एक प्रश्न उठेगा। विरोधी दल के सदस्यों में नहीं, जनता में उठेगा कि आखिर एक सरकार जब पिछली पार्लियामेंट के और असेम्बलियों के चुनाव में एक प्रथा अपना चुकी है तो उसको क्या हिचक है कि म्युनिसिपलिटियों के चुनावों में सिम्बल प्रणाली न रखी जाय। सरकार भी चुनावों से लाभ उठा सकती है इस शंका को सरकार को निर्मूल कर देना चाहिये। क्योंकि प्रजातन्त्र प्रणाली में सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। जब सरकार को चुनाव की व्यवस्था करनी पड़ती है, जब व्यावहारिक रूप में चुनावों के एग्जिक्यूशन का सवाल होता है उस समय सरकार एलेक्शन नहीं लड़ती है बल्कि वह पार्टी लड़ती है जिसकी सरकार होती है। और कहने का अभिप्राय यह है कि अस्सी प्रतिशत जनता जो मौजूदा प्रणाली की वजह से फ्रीली अपने वोट नहीं दे सकती, सीक्रेसी के साथ गुप्त रूप से नहीं दे सकती अगर उसी पुरानी चुनाव प्रणाली को अपनाया जाय तो इसका नतीजा यह होगा कि हम उस एलेक्शन को बिल्कुल फार्स बना देंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गौर करेगी और मेरे संशोधन को उचित महत्व दिया जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ कहा गया, उसका तो यहां उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है और बहुत सी चीजें इससे सम्बन्ध भी नहीं

[श्री मोहनलाल गौतम]

रखतीं और मनोवृत्ति वग़ैरा का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका कि यह सब्जेक्टिव फ़ैक्टर भी हो सकता है। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही निवेदन अपने भाषण में किया था कि सिम्बल भी हो सकते हैं। ऐसी चीज नहीं है कि मैं उसके सिद्धान्त का विरोधी हूं। लेकिन अगर दो एक मेम्बर हों तो सिम्बल में आसानी हो सकती है और अगर ४।५ सीट्स कांस्टिट्युएंसी हो उसमें जो दिक्कत होगी वह मैं बता रहा था। लेकिन आज इस वक्त मेरे लिये यह कहना कि सिद्धान्त क्यों नहीं मानता, यह गलत है, क्योंकि मैंने सिद्धान्त को कभी नामंजूर नहीं किया। मैंने पहले ही निवेदन किया था और मुझे अब भी कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि मैं इसके सिद्धान्त को मानता हूं। उसमें जो दिक्कतें हैं उन पर मैंने सदन का ध्यान दिलाया; और इस पर कितना खर्चा होगा क्या-क्या डिफिकल्टीज आयेंगी, इन सब पर विचार करके रूल्स जब बनेंगे तो यह इसके बारे में तय हो जायगा। हो सकता है कि सिम्बल ३/४ कांस्टीटयुएंसीज में पासिबिल हो। मैं उन तमाम दिक्कतों को दोहराना नहीं चाहता जो मैंने पहले भाषण में कही थीं। इसलिए रूल्स बनते वक्त इस बात पर विचार हो सकता है कि सिम्बल बन जायं। लेकिन उसको मैंने सिद्धान्त के रूप में मंजूर किया था और अब भी मुझे उसमें विरोध नहीं है, लेकिन कानून में लाने में तो यह हो जायगा कि सिवाय सिम्बल के दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता और अगर उसमें कुछ कठिनाई हुई तो फिर इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा कि फिर एक अमेंडिंग बिल लाया जाय। तो रूल्स में यह चीज ली जायगी। सिम्बल का मसला उससे निकला नहीं है। उस पर भी विचार हो सकता है और दूसरी चीजों पर भी विचार हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में शब्द "and by fixing symbols or colour of ballot boxes to be allotted to party or individual candidates as in the case of State Assembly elections." बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ९ की प्रस्तावित नई धारा 13-D की उपधारा (*a*) की अन्तिम पंक्ति के शब्द "therein" के बाद शब्द "except when dismissed on political grounds" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज कर देना चाहता हूं कि यहाँ 'एक्सेप्ट डिस्मिस्ड आन पोलिटिकल ग्राउंड्स' लिखा हुआ है। मेरा संशोधन है कि 'एक्सेप्ट व्हेन डिस्मिस्ड आन पोलिटिकल ग्राउंड्स"। यह शायद प्रिंटिंग की गलती है या स्लिप आफ पेन हो सकती है।

श्रीमन्, यह संशोधन जो है बहुत छोटा संशोधन है और बहुत उपयुक्त है। इसमें बहुत तर्क देने की आवश्यकता भी नहीं मालूम पड़ती। यह संशोधन जो है म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों की अयोग्यता से सम्बन्ध रखता है। इसमें यह लिखा हुआ है—

"13-D. A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he—

(*a*) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein,"

इसके बाद मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि "एक्सेप्ट व्हेन डिस्मिस्ड आन पोलिटिकल ग्राउंड्स"। अध्यक्ष महोदय, डिस्मिसल के जो अधिकार हैं सरकार को हैं, और सरकार के विभागीय अध्यक्षों को हैं और इस अधिकार का अगर सदुपयोग किया जाय दो इसमें कोई बात नहीं और संशोधन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन आमतौर से सरकार, सरकार की पार्टी के लोग और विभागीय अध्यक्ष इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और खासकर के राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक पार्टी बन्दी में आकर के। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जो कुछ मैं कहूंगा उसे सुनने की कृपा करें। तो यह संशोधन इस वास्ते रख रहा हूं कि जो डिस्मिसल का अधिकार है उसका सरकार की तरफ से और सरकार के विभागीय अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और खास कर के जो अध्यक्ष लोग हैं, किसी विभाग के अध्यक्ष हैं, या जिले के जिलाधीश हैं, वे इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और पार्टी के दबाव में आकर सरकार की जो पार्टी है, उन लोगों के दबाव में आकर इस अधिकार का दुरुपयोग होता है और इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह डिस्मिसल का जो अधिकार है जो आज कल लोग डिस्मिस किये जाते हैं अगर वह किसी करप्शन, भ्रष्टाचार आदि में डिस्मिस होते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कभी कभी इस दुरुपयोग से बेकसूर और राजनीतिक सिद्धान्त के आधार पर बहुत से आदमी बर्खास्त किये जाते हैं। तो ऐसी हालत में उन व्यक्तियों को रोजी रोटी से वंचित करके फिर उनके राजनीतिक अधिकारों से उन्हें वंचित करना उचित नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आई० एन० ए० वाले जो हैं वह मिलिटरी में नहीं लिए जाते हैं। इसी प्रकार अगर उनको भी लोकल बाडीज में, म्युनिसिपल बोर्डों में सरकार यह चाहती है कि ऐसे आदमियों को राजनीतिक अधिकार से भी वंचित किया जाय तो यह उचित नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार चुनाव के दौरान में अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में अनुचित दबाव अपने कर्मचारियों पर डाला करती है। और बहुत से व्यक्ति जो उनके विरोधी दल के होते हैं उनके नातेदार, रिश्तेदार सम्बन्धी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी विरुद्ध कार्यवाही की जाती है इस वास्ते श्रीमन् मैं यह प्रार्थना करूंगा कि ये शब्द "एक्सेप्ट व्हेन डिसमिस्ड आन पोलिटिकल ग्राउंड्स" जोड़ दिये जायं। यदि पोलिटिकल कारणों से किसी को डिस्मिस किया जाता है उसको कम से कम नागरिक अधिकार से वंचित न किया जाय। दूसरी बात मेरी समझ में यह नहीं आती है कि ऐसे डिस्मिस किये हुये सरकारी कर्मचारी जब पार्लियामेंट के मेम्बर हो सकते हैं, असेम्बली के मेम्बर हो सकते हैं तो फिर उनके स्थानीय संस्थाओं के सदस्य होने पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जाता है। जब वे विधान सभा और लोक सभा के योग्य हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड के योग्य क्यों नहीं हैं। जितना उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का काम लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों का है उससे कम जिम्मेदारी का काम स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का है, तो फिर क्या कारण है कि वह लोक सभा और विधान सभा का उम्मीदवार हो सकता है परन्तु स्थानीय संस्थाओं का नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसी दशा में उसको इस अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन अवश्य स्वीकार किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन उतनी ही सीमा तक महदूद रह जाता है जितनी सीमा तक माननीय मूवर ने इसको रखा है। एक बात मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि राजनीतिक विचारों के लिये कोई कर्मचारी बरखास्त नहीं किया जाता। जो बरखास्त होता है वह किसी और बात

[श्री मोहनलाल गौतम]

के सम्बन्ध में बरखास्त होता है । अगर आप यह कहें कि पोलिटिकल ग्राउंड्स पर जो बरखास्त हुआ है उसकी बरखास्तगी मुनासिब नहीं है, इसलिये उसको दूसरी कैटेगरी में रख दिया जाय और बाकी जो बरखास्त हुये हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रख दिया जाय, तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। जो कर्मचारी लोकल बाडीज के हैं, वे किसी भी पोलिटिकल पार्टीज में हिस्सा लें, चाहें वे कांग्रेस को सपोर्ट करें, चाहे वे किसी ऐसे दल को सपोर्ट करें जो कांग्रेस के विरोध में हो, और यदि वह निकाला जाय तो क्या आप उसके कुसूर को कम समझते हैं, और जो बेचारा किसी इगनोरेंस की वजह से निकाला जाता है, उसके कुसूर को क्या ज्यादा समझते हैं। यदि उनको कार्य करना है तो उनको किसी पोलिटिकल ऐक्टीविटी में हिस्सा नहीं लेना चाहिये चाहे वह कांग्रेस के हक में हो, चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो और अगर वे हिस्सा लेते हैं तो उनको अपनी जगह पर नहीं रहना चाहिये। जो लोग पोलिटिकल ऐक्टीविटीज में हिस्सा लेते हैं और वे डिबार नहीं किये जाते हैं तो इससे उनको इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि वे यह समझेंगे कि यदि हम पोलिटिकल ऐक्टीविटीज में हिस्सा लेंगे तो हम एक सिर्फेट आदमी समझे जायेंगे। तो जो जरा सी गलती कर दे उसको डिबार कर दिया जाय और जो मुलाजिम होकर ऐक्टिवली राजनीति में हिस्सा ले, जिसका उसको अधिकार नहीं है, तो उसको दूसरी तरह ट्रीट किया जाय, यह उचित नहीं है। पोलिटिकल ग्राउंड बड़े विस्तृत माने रखता है, यह छोटी चीज नहीं है।

दूसरी एक बात और अर्ज कर दूं । जो मिसालें विष्ट साहब ने दी वे हो सकती हैं, मैं उनको चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह हर केस में हो। आज बहुत सी म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जहां कांग्रेस वालों का बहुमत नहीं है, और यदि कोई आदमी इस लिये निकाला जाता है कि उसने कांग्रेस के एलेक्शन्स में हिस्सा लिया, तो भी मैं उसको इजाजत देना नहीं चाहता। "पोलिटिकल ऐक्टिविटीज" शब्द इतने विस्तृत हैं कि यदि उनको इगनोर किया गया तो बहुत ज्यादा इंडिसिप्लिन बढ़ेगा। इसलिये इन शब्दों के जोड़ने से बहुत ज्यादा कम्प्लिकेशन्स बढ़ जायेंगे। इस तरह की जो मिसालें विष्ट जी ने दी हैं, उनके निकालने के लिये पोलिटिकल ग्राउंड्स नहीं होती हैं, उनको निकालने के लिये कोई दूसरा बहाना ढूंढ़ लिया जाता है। इसलिये आपका जो मतलब है पोलिटिकल ग्राउंड्स का, वह कवर नहीं होगा। ऐसी दशा में ऐसे प्राविजन का रखना मुनासिब नहीं होगा।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो अभी संशोधन के रूप में उपस्थित किया गया है मैं इसका विरोध करता हूं । जिन लोगों को स्थानीय संस्थाओं में काम करने का अनुभव प्राप्त है वे कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अगर यह स्वीकार कर लिया जाता है तो इस का नतीजा क्या होगा, हर एक इम्पलाई और हर एक मुलाजिम जो इन संस्थाओं के होंगे उनका एक तरह का अधिकार हो जायगा कि वे पोलीटिकल पार्टीज में भाग लें या पार्टी बनावें, राजनीति में भाग लें तथा वहां की जो लोकल पालिटिक्स हों उसमें वह इन्टर करें और इसका प्रत्यक्ष नतीजा यही होगा कि बोर्ड में और दलबन्दी बढ़ेगी और हर एक इम्पलाई यह समझेगा कि हम जो चाहें करें और जैसा बर्ताव चाहें वैसा बर्ताव करें। इस मामले में मैंने देखा है कि और मेरा अपना २२ वर्ष का तजुर्बा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो पार्ट लेने लगते हैं और पार्टीबन्दी करने लगते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि एफीशेंट वर्किंग आफ दि बोर्ड नहीं हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य महोदय ने जो यह संशोधन पेश किया है वह बिलकुल अव्यवहारिक है और मैं तो समझता हूं कि यह काम उससे करप्ट तरीके से या और किसी कारण से जो गवर्नमेंट के इम्पलाई डिस्मिस किये जाते हैं, उससे ज्यादा यह दोषपूर्ण समझा जाना

चाहिये, अगर वह इम्पलाई दलबन्दी करते हैं। क्योंकि हम तो यह आशा करेंगे कि बोर्ड के हरएक मुलाजिम और गवर्नमेंट के अन्य जो भी कर्मचारी हों उनको पार्टीज से अलग रहना चाहिये। मैंने यह देखा है और तजुर्बे में आया है कि बहुत से लोग वहां पार्टीबन्दी करने लगते हैं। डाट फटकार दिया जाता है कि आप इस पार्टी पालिटिक्स में हिस्सा न लें तो खामोश हो जाते हैं। लेकिन अगर यह संशोधन पास हो गया तो वे और पार्ट लेने लगेंगे। यह संशोधन म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है लेकिन अगर यह पास हो गया तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय सदस्य महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे दोबारा गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इस संशोधन को वापस ले लें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं जयेन्द्र सिंह के संशोधन का पूरा समर्थन नहीं करता हूं किन्तु इतना कहना आवश्यक समझता हूं कि उनका मतलब यहां ठीक-ठीक नहीं लगाया जा रहा है। मेरा विचार यह है कि माननीय जयेन्द्र सिंह का मतलब यह नहीं था कि जिस कर्मचारी ने खुल्लम खुल्ला किसी पोलिटिकल एक्टिविटी में भाग लिया हो उसको भी एगजेम्प्ट कर दिया जाय। जहां तक मेरा विचार है उनके कहने का मतलब केवल यही था, और इसलिये उन्होंने इस सदन के माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया, कि कई बार और कई जिलों में शायद उनके जिले में ही हुआ हो कि बहुत से व्यक्तियों को झूठ और गलत तरीके से पोलिटिकल एक्टिविटीज में भाग लेने के कारण नौकरी से हटा दिया गया हो। यह मिसाल बहुत काफी पाई जा सकती है और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि शायद इस का उपाय यही होगा कि वे अपनी अपीलों और अर्जी द्वारा अपना बार हटाने की कोशिश करें। प्रत्यक्ष रूप से यह बार हटना असंभव दिखलाई देता है क्योंकि आखिर कोई एक कर्मचारी अगर पोलिटिकल एक्टिविटीज में काम न करे और फिर भी उसको जिले के अफसरान हटा दें तो यहां लखनऊ में जहां कि उसकी अपील आयेगी उसकी सुनवाई कम ही हो सकती है, इसलिये नहीं कि यहां की सरकार सुनना नहीं चाहती बल्कि इसलिये क्योंकि उसकी अपील उसी चैलेंज से आयेगी जिसने उसको खारिज किया है। तो इतना कहना मैं आवश्यक समझता था कि अगर माननीय मंत्री जी किसी न किसी तरीके से इस पर ध्यान दे सकें तो अच्छा हो। हालांकि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको खुल्लम खुल्ला पोलिटिकल पार्टीज और ऐक्टीविटीज में भाग लेने के कारण निकाला गया। साथ ही साथ ऐसे भी लोग काफी हैं जो कि बिना किसी प्रकार पोलिटिकल पार्टीज या ऐक्टीविटीज में भाग लेने के बावजूद भी नौकरी से निकाल दिये गये। इसके उदाहरण देना न इस समय उचित है और न उससे कुछ काम ही बनता है। मगर मैं अन्त में फिर यही कहूंगा कि अगर हो सके तो माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इस सदन के सदस्यों को और हमको इस विषय पर अपने विचार बतायें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जयेन्द्रसिंह विष्ट के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। पोलिटिकल ग्राउण्ड पर जो लोग नौकरी से अलाहिदा किये जायं उनको चुनाव में हिस्सा न लेने देने का विचार माननीय स्वशासन मंत्री जी का है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है मैं इतना कह सकता हूं कि मारल टरपीट्यूड या नैतिक अपराधों से लोगों को चुनाव से अलग रखने की गुंजाइश तो कानून में की गयी है लेकिन अब तक हमारी निगाह के सामने यह बात नहीं गुजरी कि पोलिटिकल बैकग्राउण्ड पर जो लोग बरखास्त किये जायं उनको भी चुनाव में हिस्सा न लेने दिया जाय। मैं नैतिक अपराधों की तुलना राजनीतिक अपराधों से नहीं करना चाहता हूं। यह सही है कि यह बात आपत्तिजनक है कि एक मुलाजिम मुलाजिमत करते हुये भी राजनीतिक पार्टियों से सक्रिय कार्य करे। जैसा कि माननीय ब्रजविहारी मिश्र जी ने कहा, वह हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी राय को बहुत वजन

[श्री बेंदासिंह]

देता हूं, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि लोकल अथारिटी के मुलाजिमीन के संबंध में यह कानून बन रहा है तो जहां तक मैंने पढ़ा उसमें कहीं लोकल अथारिटी का प्रश्न नहीं है। उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जिक्र है। मान लिया हमने कि (लोकल अथारिटी,) स्वायत्त शासन विभाग के मुलाजमीन के संबंध में अगर यह बात है तो मैं सिर्फ यह निवेदन माननीय मिश्र जी से करना चाहता हूं कि आजकल स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों की कुछ यूनियनें बनी हुई हैं और उन यूनियनों के चलाने वाले लोग राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं और संबंध ही नहीं रखते बल्कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नेतृत्व में वह यूनियनें अपना संगठन बनाये हुये हैं। उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों का बड़ा सक्रिय संबंध है और उन यूनियनों में बैठ कर जो उनके हित की रक्षा की बात होती है या जिस तरह से वे आन्दोलन करते हैं उनको पोलिटिकल ग्राउण्ड कह देना बहुत कठिन नहीं है। तो यदि इस कारण हम उनका जो एक बुनियादी अधिकार है उस बुनियादी अधिकार से उन्हें वंचित करते हैं तो यह अन्याय होगा। और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सारा कनफ्यूजन जो पैदा हो रहा है यदि कल माननीय स्वशासन मंत्री जी इसका दायरा कुछ और संकुचित कर देते तो यह इतना बड़ा सवाल न पैदा होता। हमारे सामने चुनाव के बहुत से तरीके हैं और उसमें अयोग्यता की एक कसौटी रखी गयी है। लेकिन यह जो नई क्वालिफिकेशन लगाई जा रही है यह डिसक्वालीफिकेशन मालूम हो रही है इसलिये हमें इसके स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि नैतिक अपराध के लोगों को रोका जाय कि वह चुनाव में हिस्सा न ले सकें यह बात तो हमारी समझ में आती है। लेकिन राजनीतिक विचार रखने के कारण यदि किसी को रोका जाता है तो उसके राजनीतिक विचारों से आप दूसरों को लाभ नहीं उठाने देते। यदि राजनीतिक विचार वाले कुछ आदमी म्युनिसपैलिटीज में आ जायेंगे तो म्युनिसपैलिटीज उनसे लाभ उठायेंगी। यदि कोई ऐसे राजनीतिक विचारों का मजबूत आदमी है कि वह अपनी नौकरी को भी तिलांजली दे सकता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी को अवसर देना चाहिये कि उसके विचारों से म्युनिसिपैलिटी फायदा उठा सके। म्युनिसिपैलिटीज में राजनीतिक विचार के आदमियों के आने से वहां पर घरेलू झगड़े समाप्त हो जायेंगे जैसा कि माननीय ऐजाज रसूल साहब ने कहा था वहां पर लालटेनों का झगड़ा खड़ा हो जाता है। यदि हम विस्तृत और उदार ढंग पर खुद राजनीतिक विचारों से प्रेरित होकर काम करें तो म्युनिसिपैलिटीज का काम अच्छा हो सकता है। हालांकि मैं समझता हूं कि लालटेनों के झगड़े से ऊपर उठना जरा कठिन होगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इनका काम ठीक तरह से चल सके तो ऐसे लोगों को आने का अवसर दें, हो सकता है कि उनमें कोई अध्यापक हो, कोई चपरासी हो या कोई छोटा म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी हो और राजनीतिक विचार रखता हो और इसी कारण वह बरखास्त किया गया हो तो वैसी हालत में उसको वैसा अवसर दिया जाय। मैं अपने विचारों को रखते हुये सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर उदारता से विचार करे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---श्री मलखान सिंह बोल लें।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम कहां से कहां पहुंचे जा रहे हैं। एक जमाना था जब इस बात पर बड़ा जोर था कि पोलिटीकल ग्राउण्डस की बिना पर हमारा जो पैदायशी हक है वह मारा नहीं जाना चाहिये। केवल मोरल टरपीट्यूड की या नैतिक पतन की बात जैसी कोई बात हो तो वह ठीक है। लेकिन आज हमारे मंत्री महोदय स्वयं इस बात को इसमें ला रहे हैं कि अगर कोई आदमी नौकर है, गवर्नमेंट सरविस में है और वह राजनीतिक विचारों के कारण

डिस्मिस होता है तो उसे इस तरह की फांसी लगा दी जाती है कि उसको जो पोलिटिक्स में मानविक अधिकार मिले हुये हैं उस पर हमेशा के लिये कुठाराघात हो जाय। हमेशा के लिये इसलिये कह रहा हूं कि इसमें कोई मियाद नहीं है कि एक साल बाद, दो साल बाद या दस साल बाद किसी को इस बात की इजाजत दे देंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड या असेम्बली में कभी खड़ा हो सके। इसलिये मैं समझ रहा हूं कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। प्रगतिशीलता की ओर जाने के बजाय हम प्रतिगामी शक्ति की ओर प्रेरित होकर जा रहे हैं। जैसा कि श्री गेंदासिंह जी ने कहा, मैं समझता हूं कि अगर पोलिटीकल ग्राउण्डस के कारण किसी को कोई जीविका से ठुकरा सकते हैं तो क्या अधिकार है कि आप उसका यह अधिकार भी छीन लें कि वह किसी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़ा न हो सके। उन्होंने कहा कि नौकर के लिये बुरी बात है कि वह नौकरी करे और राजनीतिक पार्टीज में हिस्सा ले। मैं समझता हूं कि कोई आदमी जब नौकरी करता है और राजनीतिक पार्टीज हिस्सा लेता है तो वह ऊपर के लोगों से कहता है कि आप मुझे निकालिये। आप में हिम्मत न हो तो दूसरी बात है लेकिन आप ईमानदारी से उसके पोलिटीकल व्यूज की उसको सजा दे दें तो ठीक है लेकिन डबल सजा की बात कि वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये मैं जो संशोधन रखा है उसका जोरों के साथ समर्थन करता हूं और किसी हालत में हमें उसका यह अधिकार जो पोलिटिकल ग्राउण्ड्स पर डिस्मिस हुआ हो। हरगिज उसका यह अधिकार नहीं छीना जाना चाहिये और मैं आपके सामने बहुत सी मिसालें जो आज घटित हो रही हैं जो बहुमत की पार्टी है वह कर रही है उनको रख सकता हूं। किसी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, लिहाजा वह डिस्मिस कर दिया गया। अब आपने कहा कि उसको खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर ठंडे दिल से विचार करे कि हम किसी के ऊपर पोलिटिकल खयालात की वजह से जबरदस्ती दो दो सजायें लाद रहे हैं, उसकी बरखास्तगी और फिर उसको आगे पोलिटिकल फील्ड, जिसका उसे जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे भी हम उसे रोकें यह एक गैर मुनासिब बात है, बेईन्साफी की बात है, इसके ऊपर हमें कड़ा कदम लेना चाहिये।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जवाबदाला, स्पीकर साहब इस संशोधन पर जो बहस इस भवन में हुई मैंने उसे बहुत गौर से सुना। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस पर जो संशोधन आया है वह ज्यादातर मिस एप्रिहेंशन की वजह से है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन रक्खी गई हैं, ऐसे लोग जो पोलिटिकल ग्राउन्ड्स की वजह से बरखास्त किये गये हैं यह इस कानून में पहली दफा रक्खी जा रही है और इससे पहले ऐसी कोई पाबन्दी नहीं थी। यह बात सही है लेकिन सवाल पैदा होता है कि आया इसकी जरूरत है या नहीं है। दुनिया में जहां जहां भी डैमोक्रेसी चलती है यह बात तय कर दी गई है कि डैमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट भी चलती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक हुकूमत या मिनिस्ट्री और दूसरी परमानेंट सर्विसेज। इन दोनों के अलग-अलग अधिकार हैं, अलग-अलग जूरिस्डिक्शन हैं। गवर्नमेंट बदलती रहती है, दूसरी सरकार आ जाती है लेकिन परमानेंट सर्विसेज अपनी जगह पर कायम रहती हैं और वे फेथफुली जो हुकूमत उस समय होती है उसकी पालिसी को चलाती हैं। हमारे मुल्क में पहली मर्तबा डेमोक्रेसी आई है और इस बात की जरूरत है कि हम सही किस्म के कंवैंशंस कायम करें। हम ऐसे उसूल और तरीके बनायें जिनसे हमें डेमोक्रेसी को सही रास्ते पर चलाने में मदद मिले। इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेसी आ गई है, डेमोक्रेसी पर हम अमल कर रहे हैं लेकिन वे तमाम एनवायरमेंट्स जिनके कारण एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कायम रह सकती है वे नहीं आये हैं। वे तमाम भावनायें जो इसके साथ पैदा होनी चाहिये वे अभी तक हमारे मुल्क में पैदा नहीं हुईं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यह है कि हम उतने अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं हैं जिस तरह से कि दूसरे मुल्क हैं जिनमें १००, २००, ५०० वर्ष से डेमोक्रेसी चल रही है। हमारी

[श्री सुल्तान आलम खां]

सरकार को ऐसी सूरत में ऐसी होशियारी से कदम उठाना है ताकि सही किस्म के कंवैंशंस पैदा हो सकें। और इसी कन्वैन्शन के साथ यह चीज सामने लायी गयी है कि न सिर्फ ऐसे लोग बल्कि वे लोग भी जिनको पोलिटिकल ग्राउण्ड पर बरखास्त किया गया हो या डिस्क्वालिफाई किया गया हो। इसमें बहुत लोग आये हैं जो कई तरह के काम और पेशा करते हैं। उन तमाम लोगों को डिस्क्वालिफाई करना है जिन्होंने अपने कैरियर में मिसकंडेक्ट का सबूत दिया हो उनको डिस्क्वालिफाई कर दें। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसका काम पार्टी पालिटिक्स से बिलकुल बाला रहता है और अपने फरायज को अंजाम देता है तो उसका इससे कोई मतलब नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई शख्स पार्टी के बन्धन में पड़ता है तो वह एक गलत उसूल पैदा करता है और वह डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है तो कोई गलत बात नहीं है। ऐसी हालत में जब कि हमारे मुल्क में डिमोक्रेसी के कदम अभी जम रहे हैं किसी शख्स ने अपनी जिन्दगी में मिसकंडेक्ट का सबूत दिया है अगर उसको भी इसका राइट देते हैं तो यह हमारे लिये कोई अच्छी बात नहीं होगी।

मेरे मित्र ने अपनी तकरीर में यह अभी फरमाया था कि इसका मकसद शायद यह है कि गवर्नमेंट के सामने यह बात लायी जाय कि बाज केसेज में वह फैसला कर देते हैं तो उसकी तरफ सरकार की तवज्जह दिलायी जाय। ऐसा होता रहता है कि बाज मर्तबा लोग गलत तरीके पर बरखास्त हो जाते हैं। उस सूरत में उनको हक पामाल हो जाता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं अपने मित्र से इसमें इत्तफाक नहीं करता। हो सकता है कि उनके ख्याल में ऐसी बात आयी हो लेकिन मैं यह समझता हूं कि उन वाकयात को नोटिस में लाने का यह मौका नहीं है। इसके लिये दूसरा मौका होगा। जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बजट आयेगा तब वहां पर इस चीज को गवर्नमेंट को नोटिस में लाया जा सकता है। इस तरीके से यह चीज सामने लायी जा सकती है। इस वक्त तो हमारे सामने एक कंक्रीट प्रोपोजल है कि आया उन लोगों को जिन्होंने पोलिटिकल ग्राउण्ड पर या और तरह से मिसकंडेक्ट का सबूत दिया है उनको इसके अन्दर शामिल करें या नहीं करें। एक चीज और है इसके अन्दर जो प्रोविजो दिया हुआ है और इस प्रोविजो के मातहत यह डिस्क्वालिफिकेशन दूर की जा सकती है और वह यह है कि—

"Provided that in cases of (*a*) and (*b*) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf."

अगर कोई ऐसा केस सामने आता है कि जिसमें बेइन्साफी हुई हो तो उस चीज को गवर्नमेंट के सामने लाया जा सकता है और इसके मातहत गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वह डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दे।

अब सवाल यह रह जाता है कि आया गवर्नमेंट के ऊपर इस मामले में विश्वास किया जा सकता है या नहीं कि अगर यह चीज गवर्नमेंट की नोटिस में लायी जायगी तो डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव किया जायगा। इसके मुताल्लिक यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सवाल इस जगह पर मीनिंगलेस है। जो गवर्नमेंट इम्पावर होती है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है और करना भी चाहिये लेकिन जहां तक कैबिनेट या मिनिस्ट्री का ताल्लुक है वह एक परमानेण्ट चीज नहीं है। वह बदलती रहती है। तो जो चीज इस गवर्नमेंट के लिये कही जा सकती है वह आने वाली गवर्नमेंट के लिये भी कही जा सकती है। यह क़ानून जो बन रहा है वह किसी एक गवर्नमेंट के लिये नहीं बन रहा है बल्कि परमानेण्टली वह स्टेट्यूट बुक पर आ रहा है और सब को इसको फेथफुल्ली डिस्चार्ज करना होता है। ऐसी सूरत में जब कि हम अपनी म्युनिसिपैलिटीज में पहली मर्तबा अडल्ट फ्रैन्चाइज ला रहे हैं, ज्वाइण्ट एलेक्टोरेट ला रहे हैं और पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर एक्सपैरीमेण्ट कर रहे हैं जैसा कि हमने पार्लियामेंट या असेम्बलीज के लिये किया है उसी तरह से इसको भी करना है और साथ ही जब कि हम यह जानते हैं कि लोकल बाडीज की हालत ऐसी है कि जिसमें

बहुत खामियां हैं उनको दूर करना है और ऐसे लोगों को लाना है जो अच्छे तरीके से पार्टी से बाला रह कर सही तरीक़े से काम कर सकें और अपनी पावर को गलत तरीक़े से इस्तेमाल न करें अगर इन चीजों को हम सोचें तो मुमकिन है हो सकता है जैसा कि कहा भी गया कि कुछ लोगों के इण्टरेस्ट सफ़र करें लेकिन देखना यह है कि कुछ लोगों के इण्टरेस्ट्स के मुकाबले में हम म्युनिसिपल बोर्ड्स या उनके ज़रियें से कुल नेशन या कण्ट्री के काज को कैसे सफ़र होने दें। किसी इण्डीविजुअल के काज से म्युनिसिपिल बोर्ड का काज ज्यादा अहमियत रखता है और खास करके हम आने वाले चुनावों में जब कि एक नई भावना ला रहे हैं एक नया तजुर्बा करने जा रहे हैं और एक नये उसूल पर डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं तो हमें अपने यहां नए कन्वेन्शन्स लाना पड़ेंगे ताकि हम अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा प्योरिटी और एफ़ीशियेन्सी ला सकें, इस चीज़ को हमें खासतौर से मद्देनज़र रखना चाहिये। जब इस कसौटी पर इस तरमीम को हम कसते हैं तो मालूम होता है कि वह मिसएप्रिहैन्शन पर बेस करती है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबिल मूवर साहब इसको वापस ले लेंगे और गवर्नमेंट पर यह विश्वास करेंगे और देखेंगे कि ऐसा करने से उन्होंने अपना मतलब हासिल कर लिया।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर अब बहस बन्द की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन-जिन माननीय सदस्यों के भाषण अपने संशोधन के संबंध में सुने उनसे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि या तो उन्होंने जो कुछ मैंने कहा उसको वे समझ नहीं सके या जान बूझ कर उन बातों पर न बोल कर और और बातों पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किये। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कर्मचारियों को ऐसी छूट न होनी चाहिये। इस संबंध में मैंने पहले ही शुरू में अपना विचार स्पष्ट कर दिया था कि यह प्रश्न तो केवल उन्हीं व्यक्तियों से संबंधित है जो कर्मचारी बरखास्त किये गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह छूट खाली म्युनिसिपल कर्मचारी, सेण्ट्रल गवर्नमेंट या स्टेट के कर्मचारियों को दी जाय कि वह जिस पार्टी में चाहें खुल्लमखुल्ला काम करें। यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है, प्रश्न तो केवल इतना ही है कि डिस्मिसल के अधिकार का दुरुपयोग होता है, इसके उदाहरण देने की या साबित करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है कि ऐसी गुंजायश होती है और ऐसा दुरुपयोग हो सकता है और मैंने उदाहरण भी उस वक्त दिया था। माननीय सुलतान आलम खां साहब ने बताया कि इस धारा के आखिर में जो ए० और बी० है उसके अनुसार सरकार को अधिकार है कि वह प्रतिबन्ध को हटा दे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा यह तो सरकार और उसके विभागीय अध्यक्षों की विहम्स पर है कि वह उसको जैसे चाहें इस्तेमाल करें। और हम किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार उनका दुरुपयोग न करेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कर्मचारी बरखास्त किये गये हैं, और जैसा कि मैं उदाहरण दे रहा था, नाम मैं नहीं लूंगा, चुनाव होने के बाद भी उम्मीदवार के दोस्तों ने कहीं चाय पार्टी खा लिया और सरकारी कर्मचारियों को वी पार्टी में बुला लिया और किसी को बरखास्त कर दिया कि तुम्हारे मकान में पार्टी हुई या तुम पार्टी में शामिल थे लिहाजा तुम बरखास्त हुये। क्या यह अधिकार का दुरुपयोग नहीं है? अगर वह कोई कर्मचारी किसी मेम्बर की पार्टी में शामिल होता है और महीनों बाद उसे डिस्मिस किया जाता है तो जो और कर्मचारी थे उन्हें डिस्मिस क्यों नहीं किया जाता? मैं तो यह निवेदन करूंगा कि किसी को भी किसी की चाय पार्टी में शामिल होने पर कोई सजा मिलनी ही नहीं चाहिये। यहां बड़े-बड़े कर्मचारी थे। तो किसी को बरखास्त किया जाता है और किसी को नहीं किया जाता। यह दुरुपयोग की बात है। मैं कोई उदाहरण दे कर सदन का समय नहीं लेना चाहता था क्योंकि माननीय मंत्री जी ने पहले ही स्वीकार कर लिया

[श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट]

कि ऐसा हो सकता है। यदि कोई कर्मचारी किसी उम्मीदवार की हिमायत भी करता है तो उसे बरखास्त नहीं करना चाहिये। जनतंत्रवाद में भाग लेना उसका बर्थराइट है। इंग्लैण्ड में भी, जहां के विधान की हम नक़ल करते हैं और जिसको अपना आदर्श मानते हैं वहां भी लोकल अथारीटीज में चुनाव में ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है कि यदि कोई कर्मचारी किसी उम्मीदवार की हमदर्दी करने के लिये डिस्मिस किया गया हो यानी किसी पोलीटीकल वजह से डिस्मिस किया गया हो तो उसे चुनाव में भाग लेने का हक़ न रहे। मैं केवल यही चाहता हूं कि राजनीतिक आधारों पर निकाले गये किसी भी कर्मचारी को, चाहे वह किसी भी पार्टी से सहानुभूति रखता हो, उसे राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिये इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह तो सभी के लिये यकसां है। यही मेरा संशोधन है। मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—जिस तरह कि मिसालें बिष्ट साहब ने दी हैं मेरे ख़याल में किसी की चाय पार्टी में शरीक़ होने के लिये किसी को भी, चाहे वह किसी पार्टी का हो, बरखास्त नहीं होना चाहिये। चाय पार्टी तो एक सोशल फ़ंक्शन है। उसमें शरीक होना कोई पोलिटीकल एक्टीविटी या इनडिस्सिलिन नहीं है। यदि वह मुझे ऐसी मिसालें बतावें तो मैं उन्हें देखने का आश्वासन देता हूं। यह मुझे नहीं मालूम कि आया वे पहले शासन की हैं जो वहां था या कांग्रेस के शासन की हैं। जो कुछ दूसरे माननीय सदस्य देहरी ने श्री शाह ने, कहा मैं उसको यक़ीन कर सकता हूं। लेकिन जब तक कोई १, २, ४, ६, या १०, २० नाम नहीं बतावें कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसा प्रतिबन्ध होगा तो वह हटा दिया जायगा। मेरी बदक़िस्मती यह है कि मेरी बात बग़ैर सुने लोग उन्हीं प्वाइंट्स को फिर दोहराते हैं। यही बात माननीय गेंदा सिंह जी और मलखान सिंह जी ने कही कि विचारों के लिये बरखास्त होते हैं। विचारों के लिये किसी को बरखास्त नहीं होना चाहिये। माननीय गेंदासिंह जी ने दूसरी बात कह दी उसको भी मैं साफ कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ बने हुये हैं और ऐसे कर्मचारी पार्टीज में हैं। ऐसे लोगों के लिये म्युनिसिपैल्टीज में या और किसी सर्विस में स्थान नहीं होना चाहिये। अगर कोई किसी पार्टी की ऐक्टिव लीडरशिप में काम करता है या ऐक्टिव लीडर के तौर पर काम करता है तो ईमान्दारी इसी में है कि बजाय इसके कि बरखास्त होने का इंतजार करे वह स्तीफा दे दे और खुलकर काम करे।

श्री गेंदासिंह—मैंने यह कहा था कि पोलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वे उन यूनियन्स की लीडरशिप करते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने यही समझा कि वे लोग पार्टीज में काम करते हैं। मैं यह कह रहा था कि अगर कोई कर्मचारी किसी पोलीटिकल पार्टी में शामिल होता है या उसके लिये काम करता है तो उससे मेरा नम्र निवेदन यही है कि वह नौकरी से इस्तीफा दे दे और खुल कर काम करे, तब वह किसी भी पार्टी के लिये खड़ा हो सकता है और विचारों की वजह से उसके ऊपर कोई रोकथाम न होगी। लेकिन इतना तो ज़रूर होना चाहिये किसी भी कर्मचारी को पोलिटिक्स में ऐक्टिव भाग न लेना चाहिये और अगर वह किसी पार्टी में एक्टिव हिस्सा लेता है तो उसको वहां न रहना चाहिये और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार डिसिप्लिन को मेण्टेन रखने में हाउस मेरा साथ देगा। "एनी एम्प्लाई आफ दी लोकल बोडी शुड नाट टेक एक्टिव पार्ट इन पोलीटिकल एक्टीविटीज" यानी किसी भी कर्मचारी को, लोकल बाडीज के कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह किसी भी पोलीटिकल पार्टी में एक्टिव पार्ट ले लेकिन अगर वह किसी भी पोलिटिकल पार्टी के काम में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिये एक ही रास्ता है वह यह कि वह नौकरी से इस्तीफा दे दे और किसी भी स्थान के लिये खड़ा हो। विचारों के लिये किसी को भी कोई सजा नहीं दी जायगी। इसलिये इन दोनों चीजों को अलग रखा जाय नहीं तो म्युनिसिपैलिटीज में काफी अनुशासनहीनता बढ़ जायगी, इसलिये इसको यहां रखना मुनासिब नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ९ की प्रस्तावित नयी धारा की उपधारा (*a*) की अंतिम पंक्ति के शब्द "therein" के बाद शब्द "except when dismissed on political grounds" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (*f*) की पंक्ति ४ के बाद "an" तथा पंक्तियां ५ व ६ निकाल दी जायं।

इस संबंध में मुझको केवल यह निवेदन करना है कि आजकल म्युनिसिपैलिटीज के इन्तजाम के बारे में जो शिकायत है वह यह है कि उनका स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। और उसको ऊंचा उठाने के लिये उसमें अगर चरित्रवान व्यक्ति आते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। और हमारे खयाल में गवर्नमेंट आनरेरी मैजिस्ट्रेट, या आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर उन्हीं लोगों को बनाती है जो चरित्रवान हैं और जिनकी उस नगर या क्षेत्र में प्रतिष्ठा है। तो जो रेगुलर सर्वेंट हैं उनके लिये तो यह कहा जाता है कि वे आफिशियल..... ।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य जरा अपना संशोधन साफ कर दें कि ऐक्ट में से कौन सी चीज आप निकाल रहे हैं।

श्री उम्मेदसिंह---"is in the service of the Government Counsel" तक रहेगा और 'or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector" निकल जायगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

श्री उम्मेदसिंह---तो इस संबंध में मेरा निवेदन यही है कि अगर स्टैंडर्ड म्युनिसिपैलिटियों का बढ़ाना है और उसमें अगर हर क़िस्म के प्रतिष्ठित व्यक्ति को खड़े होने की सुविधा दी जाती है तो कोई वजह नहीं है कि जो अवैतनिक या आनरेरी पदों पर काम करते हैं उनको सुविधा न दी जाय। और मेरा विचार तो यही है कि जब गवर्नमेंट खुद इनको चरित्रवान समझ कर इनको ऐसी जिम्मेदारी देती है तो उनके म्युनिसिपैलिटियों के मेम्बर होने में कोई प्रतिबन्ध उनके खिलाफ न होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य कुछ समय लेंगे?

श्री उम्मेदसिंह---जी नहीं। मुझे कुछ थोड़ा सा निवेदन करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नया क्लाज है। अब तक जितने चुनाव हुये हैं म्युनिसिपैलिटियों के, उनमें आनरेरी मैजिस्ट्रेट और आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर सभी चुनाव लड़े हैं। मेरा खयाल है सन् ४९ में क़ानून बना था और पहले पहल चुनाव हुआ था उसके बाद फिर यह अब आ रहा है। तो इस पर अगर माननीय मंत्री जी विचार कर लें तो कोई खास वजह नहीं है कि उनको इजाजत न दी जाय। मेरा तो खयाल यह है कि अगर ऐसे क़िस्म के चरित्रवान लोग म्युनिसिपैलिटीज में आते हैं तो उससे म्युनिसिपैलिटियों की दशा में उन्नति होगी और म्युनिसिपैलिटियों का स्टैंडर्ड अच्छा होगा।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय सदन के सामने है उसका मतलब यह है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट, आनरेरी मुंसिफ और आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाय कि वह म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़े हो सकें। इस चीज को अमेंडिंग बिल में रखने से यह अभिप्राय नहीं है कि हम माकूल आदमियों को चुनाव में लेने देने से रोकते हैं। लेकिन एक बात तो इस संशोधन के पेश करने वाले भी अनुभव करेंगे कि अगर एक आनरेरी मजिस्ट्रेट, आनरेरी मुंसिफ या आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर चुनाव में खड़ा होता है और सब के पास जाता है। कुछ लोग उसको वोट देते हैं और कुछ नहीं देते। तब उसका दिमाग अगर बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि उसके दिमाग में असर न पड़े और सब के साथ पहले ऐसा न्याय कर सके। लेकिन जो लोग वोट दें उसके हक में तरफदारी हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है और जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया और वह हार गया हो तो उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है कि मुझे इन लोगों ने हराया। तो जिन आदमियों ने उनको हराने में हिस्सा लिया है उनके मामले जब सामने आएं तो जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, हो सकता है कि इंसाफ न कर सके। इसलिये इंसाफ के लिये जरूरी है कि इस तरह के लोगों को चुनाव से अलग रखा जाय। यह बात बिलकुल दूसरी है, वह आनरेरी हो या पेड हो। आनरेरी होने से उनके इंसाफ करने की काबिलियत को कम न कीजिये। इसलिये उनको अलग रखना ही मुनासिब होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मूवर महोदय इसको वापस ले लेंगे।

श्री जम्बेदीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जो तर्क है वह हमारी समझ में नहीं आया। वैसे तो चुनाव में बड़े बड़े ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को, प्राइम मिनिस्टर को भी जनता के सामने जाना पड़ता है तो अगर आनरेरी मजिस्ट्रेट या आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर जनता के सामने जाता है वोट मांगने और वह कामयाब होता है तो सरकार भी यह समझेगी कि जिस शख्स को हमने चुना इस ओहदे के लिये उसका चरित्र ठीक है और भ्रष्टाचार में नहीं पड़ने वाला है और बोर्ड में रह कर ऐसा आदमी काम कर सकेगा। अगर एक आध आदमी ऐसा बोर्ड में रहे तो मेरे ख्याल में बोर्ड का जो स्टैंडर्ड गिरा हुआ है वह उच्च होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (f) की पंक्ति ४ के बाद "an" तथा पंक्तियां ५ और ६ निकाल दी जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (g) निकाल दी जाय और उसके बाद के (h), (i) और (j) को क्रमशः (g), (h) और (i) कर दिया जाय।

श्रीमन्, मेरा इस प्रस्ताव का आशय केवल इतना ही है कि इसमें कुछ योग्यतायें बतलायी गयी हैं उम्मीदवारों के लिये। हमारी पार्लियामेंट या असेम्बली के निर्वाचन में ऐसी किसी प्रकार की योग्यता नहीं है जैसी कि (g) में है। (g) में यह लिखा है कि "is unable to read and write Hindi" हिन्दी लिखने पढ़ने में असमर्थ। ऐसी कोई अयोग्यता हमारे आम निर्वाचन में नहीं है। इसलिये उचित और वांछनीय तो यही प्रतीत होता है कि म्युनिसिपल निर्वाचन में ऐसी कोई अयोग्यता न लागू हो।

मैं इस संबंध में विशेष कुछ न कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। यदि मेरे इस संशोधन के विषय में कोई आपत्ति होगी तो फिर मैं अपने उत्तर में निवेदन करूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में (g) को निकालने के बाद इसका दोबारा आर्डर बदला है । तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि पहले यह निर्णय हो जाय कि (g) निकाली जाय या रखी जाय। उसके बाद जो कांसिकुवेंश्यल चेंजेज होंगे वह हो जायंगे, जैसा कि इस संशोधन में बतलाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—इस संशोधन में यही है कि (g) निकाल दी जाय । श्री मलखान सिंह भी अपना संशोधन पेश कर दें।

श्री मलखानसिंह —माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है, "खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (g) निकाल दी जाय।"

जैसा कि अभी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा है, चूंकि हमारी पार्लियामेंट या असेम्बली के मेम्बरों के लिये ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वह हिन्दी लिखना पढ़ना जानते हों, इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स के लिये यह क्वालिफिकेशन रखना, मैं समझता हूं कि गैर मुनासिब है । यहां पर इतना कह देना ही काफी होगा और मैं समझता हूं कि इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय ठाकुर मलखानसिंह जी के कहने के बाद तो मैं इसको अवश्य स्वीकार करूंगा ही । मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (g) निकाल दी जाय और उसके बाद के (h), (i) और (j) को क्रमशः (g) ,(h) और (i) कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तुत नयी धारा 13-D के पहले प्रतिबंध के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

" Provided further that in the case of (*h*) the disqualification shall cease as soon as the arrears are paid. "

श्रीमन्, जो धारा १३–डी की उपधारा (एच) है वह इस प्रकार है—

" (*h*) is in arrears in the payment of Municipal Tax or other dues in excess of one year's demand to which section 166 applies,. . . ."

तो इसमें कोई भी मतदाता मेम्बरी के लिये खड़ा नहीं हो सकता अगर वह म्युनिसिपल टैक्स न दिये हो और जिसमें कि धारा १६६ लागू होती हो । लेकिन मेरा यह विचार है कि अगर वह म्युनिसिपल टैक्स के जो एरियर्स हैं उनको दे देता है तो उसके संबंध में जो प्रतिबन्ध है, डिस्क्वालिफिकेशन है वह हट जानी चाहिये । अगर वह एरियर्स दे देता है तो उसको भी यह मौका मिलना चाहिये कि वह मेम्बरी के लिये खड़ा हो सके, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का भी यह इरादा होगा और मुझे आशा है कि वह इसको स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे यह संशोधन मंजूर है और इससे बहुत सी खराबियां दूर हो जांयगी। इसलिये मैं इसको मंजूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तुत नयी धारा 13-D के पहले प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

" Provided further that in the case of (*h*) the disqualification shall cease as soon as the arrears are paid. "

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 13-D के अंत में निम्नलिखित नयी उपधाराएं (*k*) और (*l*) जोड़ दी जायं—

"(*k*) has been adjudged by a competent court of law to be of unsound mind;

(*l*) is below 25 years of age;"

जैसा कि मुझ को ज्ञात है यह जो कानून बन रहा है यह जनरल एलेक्शंस को लेते हुये चल रहा है। उसमें ऐसा था कि जो आदमी कि अनसाउंड माइंड का हो वह एलेक्शंस में नहीं खड़ा हो सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जो मैंने यह रखा है २५ साल से एज कम न हो, यह भी उसमें है और जब हम उसके साथ साथ चल रहे हैं तो हमें यह डिसक्वालिफिकेशन भी मान लेना चाहिये। और यह जो संशोधन मैंने नयी उपधाराओं को जोड़ने के लिये रखा है इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पहली बात का संबंध है वह शामिल है क्योंकि जो एलेक्टोरल रोल असेम्बली का होगा उसमें कोई अनसाउंड माइंड वाला नहीं होगा। यह है पीपुल्स रेप्रेजेंटेशन ऐक्ट, १९५० क्लाज १६ (बी)

"Is of unsound mind and stands so declared by a competent court."

तो जो अनसाउंड माइंड का होगा वह असेम्बली एलेक्टोरल रोल में नहीं रहेगा, और जब एसेम्बली ऐलेक्टोरल रोल में नहीं आयेगा तो म्युनिसिपैलिटी के एलेक्टोरल रोल में नहीं आयेगा। इसलिये इसकी यहां आवश्यकता नहीं है।

जहां तक दूसरी बात का संबंध है २५ से कम एज का आदमी वोटर तो हो सकता है लेकिन प्रेसिडेंट की उमर तो मुकर्रर ही है। इस लिये मैं इन दोनों बीजों को मंजूर करने में असमर्थ हूं।

श्री पुत्तूलाल—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D में प्रतिबन्ध के पहले निम्नलिखित नयी उपधारायें जोड़ दी जायं—

"(*k*) has been convicted for contravening any of the provisions of Civil Supplies or Control Acts of the State or Central Government."

(*l*) has been convicted for black-marketing."

उपाध्यक्ष महोदय, यह नई उपधारायें जो मैंने जोड़ने का संशोधन रखा है वह १३-डी में है जिसमें तरह तरह की डिसक्वालीफिकेशन्स का वर्णन है। यह ऐसा अहम संशोधन है जिसमें ब्लैक-मारकेटिंग या किसी भी सिविल सप्लाईज के ऐक्ट के मातहत जिस पर मुकदमा चलाया जा चुका है और जिन को सजा हो चुकी है, उनको भी इन चुनावों में खड़ा होने का अधिकार नहीं होना चाहिये, यह इस का मतलब है। उपाध्यक्ष महोदय, १३-डी में जितने भी प्रकार की डिसक्वालीफिकेशंस का वर्णन किया गया है उसमें यह नयी उपधारा की डिसक्वाली-फिकेशन किसी से भी कम महत्व की नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो निश्चित मत के हैं कि ऐसे लोगों को तो वोटर भी नहीं होने देना चाहिये और उनसे फ्रेन्चाइज का अधिकार भी ले लेना चाहिये जो कि जनता के साथ किसी कन्ट्रोल या सिविल सप्लाईज ऐक्ट के

मातहत बईमानी करके अनुचित फायदा उठा करके और जनता को धोखा दे करके तरह तरह के बेजा फायदे उठाते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को जो कि ब्लैकमारकेटिंग में इण्डल्ज होते हैं या इस तरह के कण्ट्रोल के प्राविजन्स को तोड़ते हैं उनके लिये जितनी भी सख्त से सख्त सजायें हो सकें दी जानी चाहियें। उनके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आप को भी और सदन के सारे सदस्यों को भी इस बात की जानकारी होगी कि उनमें से कोई कोई तो ऐसे भयंकर रूप में काम करते हैं कि उनको तो सही मानों में इन्सान भी नहीं कहा जा सकता। वे निकृष्ट पाप करते हैं और उनको इस बात की भी परवा नहीं होती कि मौका आने पर एक पाव चावल के लिये या एक छटाक अनाज के लिये किसी मनुष्य की चाहे मृत्यु हो जाय कोई मनुष्य जाड़े में ठिठुर ठिठुर कर परेशान हो, उसके पास पैसा न हो, लेकिन अगर उनके पास एक रूपये गज का कपड़ा हो, वे उससे ज्यादा से ज्यादा दाम लेंगे। अब इस बात से उनको इन्सानियत का दरजा भी नहीं दिया जा सकता अगर मैं इसको डिसक्वालिफिकेशन में रखता हूं तो यह तो एक महत्वपूर्ण संशोधन है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्लैकमारकेटिंग को बुरा समझने में जितने जोर से मूवर साहब ने इस को पेश किया है उसकी मैं पूरी ताइद करता हूं। ब्लैकमारकेटिंग और उसके साथ जो दूसरी चीजें हैं वह खराब हैं और उनको जितनी जल्दी दूर किया जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार का यह संशोधन है उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। एक तो यह है कि ब्लैकमारकेटिंग परमानेण्ट चीज इस देश में नहीं होनी चाहिये उस को स्टैट्यूट पर रखकर यह कहा जाय कि इस देश में ऐसी ब्लैक-मारकेटिंग है और यह हमेशा रहेगी, और उन लोगों को सजा दी जाय, यह कहां तक मुनासिब होगा। दूसरी बात यह है कि ब्लैकमारकेटिंग में भी तरह तरह के केसेज हैं, कुछ टेकनिकल ऐसे हैं जिन को सजा हुई। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कहेंगे और सब कहेंगे कि इस तरह का वह आदमी नहीं है जिसको कि आप वंचित कर दें। फिर लाइसेंस लेने वालों का जो विरोध किया है यह भी.... ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---वह मूव नहीं किया गया है।

श्री मोहनलाल गौतम---तो इस लिये इस को यहां रखना मुनासिब नहीं है।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो तीन बातों के लिये कहा है, पहली बात तो यह है कि "हैज बीन चालान्ड फार कन्ट्रावीनिंग....."

श्री उपाध्यक्ष---कन्विक्टेड कर दिया गया है।

श्री पद्मनाथ सिंह---लाइसेंस भी जोड़ दिया गया है?

श्री उपाध्यक्ष---वह अभी मूव नहीं हुआ है।

श्री पद्मनाथ सिंह---महज कन्विक्टेड के बारे में मुझे कहना था। कन्विक्शन जो होता है कोर्ट्स से माननीय सदस्य इस को स्वीकार करेंगे कि वह बिल्कुल ऐसा होता हो जिसमें कोई नुक्ता न रखा जाना असम्भव हो। जो फैसले होते हैं और अदालतों में जो काम करने वाले हैं वे जानते हैं कि एक कोर्ट का फैसला अपील में दूसरे कोर्ट से रद्द हो जाता है और फिर उस पर आगे बढ़ते बढ़ते आखिर तक कभी टेक्निकल ग्राउंड पर खत्म हो जाता है कभी फैक्ट्स पर खत्म हो जाता है इसके अलावा जो कनविक्ट हुये हैं वे पब्लिक की निगाहों में कैसे हैं इसको

[श्री पद्मनाथ सिंह]

दिखाने का उन्हें एक अवसर मिलना चाहिये। एक और बात है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक कारण से तो कन्विक्ट हो गया लेकिन जीवन के और भागों में वह ईमानदार है जनता का प्रिय है, और सद्व्यवहार और सदाचार का सबूत दे सकता है तो ऐसी परिस्थिति में किसी एक मामले में अगर वह दुर्भाग्य से कन्विक्ट हो गया है .....।

श्री ऐजाज रसूल—तो ब्लैकमारकेटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं आप ?

श्री पद्मनाथ सिंह—मैं ब्लैकमार्केटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन किसी आदमी ने अगर जीवन में ऐसी गलती कर दी हो और फिर वह सुधरना चाहता हो तो क्या उसे सुधरने का अवसर नहीं देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जिनका कन्विक्शन होता है उसके बाद यह तो देखना ही चाहिये कि पब्लिक के सामने जाकर वे जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन के पीछे जो रूप आया हुआ है वह कुछ अच्छा नहीं होगा और जनता के सामने उसे जाने देने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे आशा नहीं थी कि माननीय मंत्री जी ऐसे निर्दोष संशोधन को भी अस्वीकृत कर देंगे। सदस्यता के लिये खड़े होने के लिये जितने भी प्रबन्ध हमने अभी तक लगाये हैं और स्वीकार किये हैं उनमें यह सब से आवश्यक प्रतिबन्ध था। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता का और हम सभी का और सरकार का भी यह उद्देश्य था और आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा कि इस प्रकार की सभी कार्यवाही रोकी जाय जिसके कारण चन्द लोग शहरों में बैठ कर हमारे आर्थिक ढांचे पर छा जायं, उसको विकृत करें और एक आर्थिक कोढ़ के रूप में हमारे समाज में और आर्थिक संघटन में फैल जायं। ब्लैकमारकेटिंग के संबंध में अगर किसी व्यक्ति को सजा हुई हो तो इस में तो मैं यह समझता हूं कि यह सब से बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिये और ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह हमारे चुने हुये प्रतिनिधि के रूप में नहीं जाना चाहिये। मुझे याद है, श्रीमन्, माननीय पंडित जवाहरलाल जी के वे शब्द जो कि उन्होंने समय समय पर दोहराये और कहे कि ब्लैकमारकेट करने वाले जो इस देश में हैं उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिये। यहां तक उन्होंने कहा कि सब से नजदीक वाले पेड़ पर उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिये। मान लिया थोड़ी देर के लिये कि हम उन्हें फांसी पर न चढ़ायें और केवल सजा ही दें, तो क्या हमें उनको एक डेटरेण्ट पनिशमेंट भी नहीं देना चाहिये ताकि भविष्य में ब्लैकमारकेट की प्रवृत्तियां कम हों ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम स्टेट्यूट पर परमानेण्टली इसे नहीं रख सकते और हमें यह नहीं मानना चाहिये कि ब्लैकमारकेट परमानेण्ट रूप से इस देश में चलता रहेगा। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, उनके विचार हैं कि ब्लैकमारकेटिंग इस देश में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिये, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आज देश में ब्लैकमारकेटिंग नहीं है। ब्लैकमारकेटिंग होती है और लोगों को सजा मिलती है। रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं और सवालों के जवाब में भी माननीय सिविल सप्लाइज मिनिस्टर बतलाते हैं कि इतने केसेज हुये और इतने सौ आदमी प्रासीक्यूट किये गये। कभी कभी मन्थली रिपोर्ट भी निकलती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे सैकड़ों व्यक्ति जो कि पिछले सालों में ब्लैकमारकेटिंग के बड़े बड़े मुकदमों में फंस चुके हैं या जिनको सजा मिल चुकी है उनको मंत्री जी चाहते हैं कि वे हमारी नगरपालिकाओं के शासन में अक्षण्य रूप से घुसने का अवसर पा सकें ?

मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस पर दोबारा पुनः विचार करें और कम से कम इन दो संशोधनों में किसी एक को अवश्य मान लें—

"(*k*) has been convicted for contravening any of the provisions of Civil Supplies or Control Acts of the State or Central Government.

(*l*) has been convicted for black-marketing."

अगर वह पहले को नहीं मानते हैं तो दूसरे को तो अवश्य ही उनको मान लेना चाहिये और हमें आशा है कि वह इसको अवश्य स्वीकार करेंगे। अब तो हमने चालान्ड शब्द को भी हटा दिया है और उसके स्थान पर कंविक्टेड शब्द को इस्तेमाल किया है। ब्लैक मारकेटिंग करने वालों की समाज में इतनी भी इज्जत नहीं होती है कि वह असेम्बली में जा सकें, म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जा सकें तो उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा और वह सोचेंगे कि हमारी समाज में इज्जत कम हो रही है तो ब्लैक-मारकेटिंग करने में रुकावट होगी। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन इस संशोधन के पक्ष में राय दे और माननीय मंत्री जी इसको कबूल कर लें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन के समक्ष उपस्थित है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। इस सदन में अनेक बार इस प्रकार की बहस हुई है कि हम इस सूबे को अगर स्वस्थ बनाना चाहते हैं और यहां के शासन को नीचे से लेकर ऊपर तक यानी नगरपालिकाओं से लेकर विधान सभा और पार्लियामेंट तक जो भी शासन प्रणाली है उसको स्वच्छ बनायें और जो हम स्वराज्य का स्वप्न देख रहे हैं उसका असली रूप देखें। तो हमें यह चाहिये कि चाहे दुनियां उसके साथ हो लेकिन हमें ऐसे आदमी को हटा ही देना चाहिये जो ब्लैकमारकेट करता हो। खास तौर से करप्शन वगैरह के मामलों में हम लोगों ने इस सदन में कई बार आवाजें बुलंद की हैं।

हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि ब्लैकमारकेट में सजा पाये हुये लोगों के कई रूप हो सकते हैं और वह कोई शास्वत चीज नहीं है यानी अर्से तक टिकने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि वह अर्से तक टिकने वाली चीज है। जब हम इस सदन में दूसरे देशों का इतिहास लेकर अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तब हमें ऐसे प्रश्न पर दूसरे देशों का उदाहरण देना आवश्यक है। बैल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, और अमेरिका वगैरह में हम तरह तरह की डैमोक्रेसी के रूप देखा करते हैं। क्या चीन हमारे यहां से नजदीक नहीं है। बहुत से हमारे देश में वहां से लोग लौटकर आये हैं और उन्होंने यह नमूना हमारे समक्ष उपस्थित किया है कि वहां जमींदारों से ५/५ वर्ष तक वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। आज हमारे यहां ब्लैकमारकेट करने वाले लोग जब कि देश में अन्न की इतनी कमी है, लोगों के पेट काटते हैं और अन्न को चुराकर छिपा कर अलग ले जाते हैं। तो मोरल टरपीट्यूड की डिसक्वालिफिकेशन लगाई जाय। मैं तो यह चाहता हूं कि यह लोग जो जीवन की हत्या करने वाले लोग हैं, इन पर डिसक्वालिफिकेशन लगानी चाहिये। आजकल ब्लैकमारकेट के मामले में अदालतों में शहादत नहीं मिलती है। उनमें से इक्का दुक्का कामयाब होते हैं। खैर आपने उनके लिये कोई रोक नहीं लगाई है तो मैं समझता हूं कि शासन ठीक तरह से चल नहीं सकता है। इस लिये मैं थोड़े में ही माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि और बातों को आप भले ही छोड़ दीजिये लेकिन ब्लैकमारकेट से हमारे देश के शासन में एक घुन लग गया है और उससे हम बदनाम हैं। इसलिये इनको कहीं न कहीं रोकथाम करनी ही चाहिये। यानी वोट देने के अधिकार स वंचित रहें।

यह नगरपालिकाओं के चुनाव का अवसर आया है। हमारे मंत्री महोदय काफी प्रोग्रेसिव हैं और उत्तम विचारधारा रखते हैं। तो वह विचारधारा रखते हुये कि यहां की शासन प्रणाली ऊंची हो और जिन लोकल बाडीज का शासन भार उनके सुपुर्द है, वहां ब्लैकमारकेटियर्स जो हैं, जो कंविक्टेड

[श्री रामकुमार शास्त्री]

(सजा पाये है) भी हैं जिसमें किसी किस्म का सन्देह नहीं है, जो स्पष्ट हो चुका है और जो समाज के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं उनके लिये डिस्क्वालिफिकेशन रखना अनिवार्य है। इस वास्ते मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से भी हो जो भी उपयुक्त जगह हो वहां वह इस रोक को रख दें। इससे उपयुक्त अवसर अब नहीं आ सकता ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री मोहनलाल गौतम---रामनारायण जी का कोई संशोधन इस सदन के सामने नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---रामनारायण जी का ही संशोधन है, शायद आप भूल गये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मंत्री जी खड़े हुये बोलने के लिये और उन्होंने एक दलील दी कि हमारे ऐक्ट में ब्लैकमारकेट वाली चीज नहीं आनी चाहिये क्योंकि यह बहुत खराब है और हम चाहते हैं कि यह बहुत जल्दी बन्द हो जाय लेकिन अगर यह चीज ऐक्ट में आयेगी तो बहुत दिनों तक रह जायगी। अजीब यह उनका आर्ग्युमेंट है। अगर ब्लैकमारकेट हमारे देश में है इस वक्त चल रही है और जो जरूर चल रही है और उसके लिये अगर आप कायदा कानून बनाने के लिये बैठें तो यह कह कर इसको हटाने की कोशिश करें कि यह खराब चीज है, इस लिये कानून में आना ही नहीं चाहिये। यह अजीब आर्ग्युमेंट है। मंत्री जी ने उस रोज अपने आर्ग्युमेंट में कहा था, अपने आर्ग्युमेंट में कि साहब अकाल पड़ जाय तो दो दो साल रोकना पड़ेगा। तो अकाल ऐसी चीज को वह चाहते हैं कि वह देश में आये और अकाल को आप बार बार दोहरा सकते हैं जिससे हर एक माननीय सदस्य इस सदन का नफरत करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, वह शब्द तो आये लेकिन यह ब्लैकमारकेटिंग वाला शब्द न आये। अजीब हालत है । अगर आप दरअसल चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में ब्लैकमार्केटिंग खत्म की जाय तो आपको हर तरह से इसको डिसकरेज करना होगा। हर तरफ से इस बात का प्रयत्न होना चाहये कि जो ब्लैकमार्केटिंग के लिये सजा पाये हों उनको कभी भी अख्तियार न होना चाहिये कि वे म्युनिसिपैलिटी के किसी भी पद के लिये खड़े हो सकें। यह संशोधन एक साफ सा संशोधन है। हमारे एक मित्र ने इस बारे में कहा कि साहब नीचे की कोर्ट्स से सजा हो जाती है लेकिन ऊपर की अदालत से सब खारिज हो जाते हैं। इसलिये ऐसा प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। मैं आपको बतलाऊं कि अपेलेट कोर्ट में जब तक वह चीजें खत्म नहीं हो जाती तब तक कंविक्शन नहीं माना जाता है। तो इस तरह की दलील देने से काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाऊं कि एक आदमी जिसने २५ सौ दूकानें ए०पी० राशन की ले रखी थीं उसने लाखों रुपये ब्लैकमार्केट करके कमाये । उसको हम लोगों ने जाकर पकड़ा। तीन बार महीने हुये गवर्नमेंट की तरफ से विधान सभा के सदस्यों को यह अख्तियार दिया गया था कि वह लोगों को जा कर पकड़ें। उनको फूड अफसर बनाया गया था। एक दिन इस पर यहां सदन में बातें भी हुईं । गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि किसी ने जाकर पकड़ा ही नहीं। मैं खुद गया था और जाकर पकड़ा लेकिन उन आदमियों पर अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया। इस किस्म से जो लोग अनुचित काम करते हैं और जनता को ब्लैकमारकेट करके परेशानी में डाल देते हैं ऐसे लोग भी अगर म्युनिसिपैलिटीज में खड़े हो सकें और जिस तरह से वह चाहें अपने पद का दुरुपयोग कर सकें और आगे चलकर अपने पद की वजह से ब्लैकमराकेट को बढ़ाने की कोशिश करें, क्या यह बात यह सदन कभी भी पसन्द कर सकता है कि इस किस्म की चीजें हों।

मैं समझता हूं कि सदन का हर एक सदस्य इस बारे में एक राय का होगा कि जो ब्लैकमारकेटिंग करता है उसको इस बात की इजाजत नहीं होनी

चाहिये कि वह किसी म्युनिसिपैलिटी की किसी जगह पर खड़ा हो सके। और अगर उसको इजाजत मिलती है तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में, हमारे नगरों में ब्लैकमारकेटिंग खूब बढ़ेगी और जहां पर वह जायेंगे वह जाकर मनमाना करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्री रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि इसको मानने से कुछ मौका ब्लैकमारकेटिंग के बन्द होने का उपस्थित हो जायगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से श्री रामनारायण त्रिपाठी ने रखा है जहां तक उसकी भावनाओं का संबंध है वह बहुत सुन्दर भावना रखने वाला संशोधन है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर जहां तक इस सरकार का संबंध है, वह केवल ब्लैकमारकेटिंग में सजा पाये हुये आदमियों को ही समझती है, केवल उन्हीं को नहीं बल्कि मैं तो उनसे भी आगे जाना चाहता हूं जितने और भी लोग हैं जिनको किसी किस्म की इम्मारलिटी के अफेन्स में सजा हुई है या पकड़े गये हैं वह सब म्युनिसिपल बोर्ड या किसी चुनाव में खड़े होने के अयोग्य हैं। मैं हाउस के सामने यह बात नहीं रखता कि विरोधी दल ने अपने इस संशोधन में उस किस्म के आफेन्सेज को अच्छा समझा है वह तो इस ऐक्ट के अन्दर हैं। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है हमारी पार्टी के चुनाव में यह नियम है और सदन के सदस्यों के लिये भी नियम है कि जो आदमी ब्लैकमारकेटिंग में सजायाफता हो वह किसी पद के लिये खड़ा नहीं हो सकता। जितने लोगों को इम्मारेल आफैन्सेज में सजा मिली हुई है वह इसमें नहीं आ सकते हैं। अब आप इन आफेन्सेज को ऊंची जगह पर रखते हैं या नीची जगह पर यह दूसरी बात है। मैं तो इस संशोधन की भावनाओं को सुन्दर बताता हूं और इस सदन से और माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह एक ऐसा संशोधन और ले आयें जिससे हर चीज साफ हो जाय। केवल ब्लैकमारकेटिंग में सजा पाया हुआ आदमी ही नहीं बल्कि जिन्होंने और आफेन्सेज में सजा पायी हो उनको भी इसके अन्दर रख देना चाहिये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज अगर इस किस्म का संशोधन भवन में इस तरफ से रखा गया होता तो दूसरी तरफ से यह पुकार होती कि ऐसा नहीं होना चाहिये और अगर ऐसा कर दिया जायगा तो इससे गलत आदमी पकड़ लिये जायेंगे। यह आवाज विरोधी दल की तरफ से उठायी जाती। इसके विषय में जहां तक हमारा संबंध है हम अपने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि वह एक ऐसा संशोधन ले आयें जिसमें हर एक चीज साफ हो जाय। अगर इम्मारेलिटी की बात इस ऐक्ट के अन्दर है तो वह इतनी साफ नहीं है तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह एक संशोधन लाकर इस तरह की जितनी भी चीजें हों उन सब को वह डिसक्वालिफाई कर दें और मैं माननीय रामकुमार जी शास्त्री से सहमत हूं कि अगर ऐसी चीजें ऐक्ट में आ जायंगी तो उनके आने से समाज के अन्दर एक लहर पैदा होगी और एक भावना आवेगी, चाहे वह डर से हो या किसी और कारण से हो लेकिन उससे समाज का सुधार होगा और उसके बाद लोग जरा सा घबरायेंगे, अगर कोई ऐसा ही बेहया हो कि मेम्बर होना ही न चाहता हो और ब्लैकमारकेटिंग ही करते रहना पसन्द करे तो दूसरी बात है, ऐसे आदमियों के लिये वहां कोई स्थान नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर थोड़ी सी सफाई हो जाय तो अच्छा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय रामकुमार जी शास्त्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सदन को बताई है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को उनकी बात अवश्य ही मान लेनी चाहिये क्योंकि शास्त्री जी उस दल में बैठने वाले व्यक्ति हैं जो सरकार का

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

साथ देता है । श्री रामनरेश शुक्ल ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि वह चाहते क्या हैं, पता नहीं चला कि उन्होंने विरोध किया या समर्थन किया। वह शायद इस दावपेच में रहते हैं कि क्रान्तिकारी भी रहें और सरकार का विरोध भी न करना पड़े। भवन के सामने जो उनका भाषण हुआ है वह इस बात को साबित करता है और इस बात का द्योतक है कि पता नहीं लग सकता कि वह किस तरफ बहते हैं एक दुधारी राजनीति तेज तलवार है उस पर चलना कठिन है। माननीय शुक्ल जी नहीं बच सके। जो कानून उपस्थित है अगर वह उसका समर्थन करते हैं तो वह माननीय मंत्री जी की नजरों में अच्छे हो सकते हैं लेकिन जब वह बाहर जायंगे या श्री रामकुमार शास्त्री जी जैसे शख्सों के सामने आयेंगे तो उनकी बदनामी होगी, इस लिये उनकी समर्थन की भी हिम्मत नहीं होती। दूसरी तरफ वह त्रिपाठी जी के संशोधन का भी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि विरोधी दल वाले चाहे कितनी भी उत्तम बात रखें उसका समर्थन करना तो उनके विचार और बुद्धि के परे है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से माननीय शुक्ल जी के भाषण को सुना। शुक्ल जी फरमाते हैं कि यदि इस प्रकार का संशोधन हमारी पार्टी की ओर से आ जाता और मंत्री जी उस में कुछ संशोधन करा लेते तो मैं उस का समर्थन करता। मैं आप के द्वारा.....

श्री रामनरश शुक्ल—मैंने यह बात नहीं कही कि हमारी पार्टी की तरफ से यह संशोधन आता तो मैं इसका समर्थन करता और चूंकि उधर से आया है इसलिये इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं तो उस वक्त बहुत ताज्जुब में पड़ा जब यह संशोधन यहां उपस्थित था कि राजनीतिक पार्टियों से संबंधित या विचार धारा का कोई व्यक्ति हो और यदि उसका इस कारण निष्कासन किया गया हो तो वह म्युनिसपल चुनाव में खड़ा हो सकता है।

असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनावों में ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं। माननीय स्वशासन मंत्री और बहुत से सम्मानित सदस्यों ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया। आज इस ऐसे सुन्दर संशोधन का कि जो लोग चोरबाजारी में सजा पाये हुये हों उन्हें नगरपालिकाओं में खड़ा होने की आज्ञा नहीं होना चाहिये। विरोध किया जाता है, दूसरी ओर माननीय स्वशासन मंत्री ऐसे व्यक्ति और उनके बहुत बड़े माननीय नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ऐसे व्यक्ति बीसियों सभाओं में यह फरमा चुके हैं कि जब हमारे हाथ में सत्ता आजावेगी तो चोरबाजारी करने वालों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जायगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्हें जवाहर लाल जी जैसे बड़े नेता जो देश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना और अमल करना चाहिये। यदि यह संशोधन अस्वीकार किया जाता है तो इसके मानी यह होते हैं कि हमारे देश में चोरबाजारी करने वालों की हिम्मत बढ़ेगी। इसके नामंजूर होने से चोरबाजारी को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे लोग हमारी नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लेंगे जो चोरबाजारी करके धनवान हो गये हैं। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को अनुभव है कि राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे हों और पैसा खर्च करके राजनीतिक संस्थाओं पर कब्जा कर लें। हां, माननीय मंत्री जी ऐसे व्यक्ति अपवाद स्वरूप हैं। यदि इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे चोरबाजारी करने वाले लोगों को छोड़ा जा रहा है कि वे चोरी करें और सजायें भोगें लेकिन अपने पैसे के बल से नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लें और नगरपालिका पर उनका अधिकार होने के बावजूद भी अपना काम अच्छी तरह से चला सकें। उसमें कोई रुकावट न हो। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय स्वशासन मंत्री जी को इस संशोधन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। अवस्था बड़ी नाजुक है। यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं होता है

तो हमारे देश में चोरों को ताक़त मिलती है। इसके मानी होते हैं कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों के अखाड़े बन जावें, हमारी म्युनिसिपैलिटियां ऐसे लोगों के अखाड़े बन जावें, जो सदा चोरबाजारी करते रहे हों और करते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, बाहर जनता हंसेगी इस कानून को सुनकर कि ऐसे लोगों को रास्ता दिया जा रहा है उन्हें अधिकार दिया जा रहा है जो चोरबाजारी करते हैं और उनके हाथ में लाखों की आबादी वाले नगरपालिकाओं का शासन दिया जा रहा है कि वे उनका इन्तजाम करें, रहने सहने और जीवन का। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से और सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुये सदस्यों से और खास कर माननीय मंत्री से, निवेदन करना चाहता हूं कि साथी श्री रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन को स्वीकार कर लें।

यह एक कसौटी का संशोधन है क्योंकि अगर यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जायगा तो यह साबित होगा कि सरकार चोरबाजारी को प्रोत्साहन देना चाहती है। इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अपील को दुहराते हुये यह प्रार्थना करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से अनुमति चाहूंगा कि इस मौजूदा संशोधन के स्थान पर एक दूसरा संशोधन उपस्थित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय। श्रीमन् वह इस प्रकार है—

खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D के प्रतिबन्ध के पहले निम्नलिखित नयी उपधारा जोड़ दी जाय—

" has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government. "

श्रीमन्, इस संशोधन के पेश करने का मेरा केवल एक उद्देश्य है वह यह कि अभी माननीय त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव भवन के सामने उपस्थित किया है कि चोरबाजारी को एक अपराध स्वीकार करके उसको एक अयोग्यता मान ली जाय म्युनिसिपैलिटी की उम्मीदवारी के लिये। श्रीमन् चोरबाजारी सचमुच में इतना भीषण अपराध है कि किसी न किसी प्रकार से राज्य को उसे ऐब स्वीकार करना पड़ेगा और ऐसा काम करने वालों को कोई न कोई कठोर दंड अवश्य दिया जाना चाहिये लेकिन इसके साथ ही साथ कई कानूनी दिक्कतें भी उपस्थित हो जाती हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, जो संशोधन हाउस के सामने है श्रीमन्, उसके बजाय एक बिलकुल ही दूसरा संशोधन उपस्थित किया जा रहा है। यद्यपि उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन पहिले यही संशोधन लिया जाना चाहिये उसके बाद वह लिया जा सकता है क्योंकि वह संशोधन मेरे संशोधन के अन्दर नहीं है बल्कि उसके बजाय एक नया संशोधन ही पेश किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—क्या यह एक नया संशोधन है?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—जी नहीं, वह नया संशोधन नहीं है उसी संशोधन को दूसरी प्रकार से रखा जा रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरे संशोधन की जो शब्दावली है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको पूरे तौर पर परिवर्तन कर दिया गया है। इसलिये पहले मेरे संशोधन पर बहस हो जाय।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---यह संशोधन नया नहीं है, आपने जो भाषा रखी है उसको बदल कर यह दूसरी भाषा कर दी गई है । इसलिये यह आल्टरनेट सजेशन है दूसरा संशोधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं यह संशोधन पर संशोधन है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---मैं प्रार्थना करूंगा कि संशोधन फिर से पढ़ दिया जाय ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है---

खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D के प्रतिबन्ध के पहले निम्नलिखित नयी उपधारा जोड़ दी जाय---

" has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government."

श्री वीरेन्द्रपति यादव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है वह स्वतः ही क्रम संख्या ९० पर हाउस के सामने विचारार्थ है। इसलिये जब उसका नंबर आयेगा तो स्वतः ही उस पर विचार हो जायेगा । इस समय उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने मान लिया है कि यह संशोधन पेश है इसको समझते हुये मैंने इसे पेश करने की इजाजत दे दी । परन्तु अब इस पर काफी वैधानिक आपत्तियां हो रही हैं । माननीय सदस्य को क्या कहना है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमान्, नियम ११४ के अनुसार आर्डर आफ अमेंडमेंट्स यह है---

" Order of Amendments—Amendments shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill to which they respectively relate, and in respect of any such clause a motion shall be deemed to have been made; "That this clause stand part of the Bill."

[संशोधनों का क्रम-संशोधन पर विधेयक के खंडों के क्रम के अनुसार, जिनमें क्रमशः उनका संबंध हो, साधारणतया विचार किया जायगा और किसी ऐसे खंड के संबंध में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा "कि यह खंड विधेयक का अंश माना जायगा" ।]

तो श्रीमन्, यह आर्डर पहले से नियत है और माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन पर बहस चल रही है । इस नियमावली में अल्टरनेटिव अमेंडमेंट के बारे में कहीं कोई चीज नहीं है इसके अलावा माननीय परिपूर्णनन्द जी, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन को हटा कर एक नया संशोधन रख रहे हैं । यह अल्टरनेटिव अमेंडमेंट नहीं है बल्कि एक नया अमेंडमेंट है । माननीय त्रिपाठी जी के दो संशोधन हैं । तो के० की जगह पर वे चाहते हैं कि उनका संशोधन मान लिया जाय और एल० को डिलीट कर दिया जाय । अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी यह बतलाते कि उनकी मंशा यह है कि के० इस प्रकार से लिखा जाय और नीचे वाला जहां का तहां रहे तो बात दूसरी थी । लेकिन आप एक नया संशोधन रखना चाहते हैं इसलिये आर्डर के हिसाब से माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन पर पहले बहस हो जानी चाहिये।

श्री सुल्तान आलम खां---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं अर्ज कर रहा था कि जब चेयर ने इस बात का फैसला दे दिया कि यह अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट है और वह अमेंडमेंट

मूव भी हो गया तो फिर किसी बहस का मौक़ा बाक़ी नहीं रहता । दूसरी चीज में यह कह रहा था कि माननीय परिपूर्णानन्द जी का जो अमेंडमेंट है वह जनरल है और जितने ऐक्ट हैं सब पर अप्लाई करता है, उसका स्कोप बड़ा है जब कि वीरेन्द्रपति जी का अमेंडमेंट इंडियन पेनल कोड के मोरेल टर्पीट्यूड में जो इनवाल्वड् हैं उन पर अप्लाई करता है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट टु अमेंडमेंट है और इसलिये मैंने यह भी सोचा कि भवन एक तरह की दोनों बातों पर विचार कर ले । मैंने अमेंडमेंट टु अमेंडमेण्ट मानते हुये इसे पेश करने की इजाजत दे दी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---पर यह मालूम तो हो कि वे अमेंडमेंट के जरिये किस शब्द को हटाना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय परिपूर्णानन्द जी चाहते हैं कि जो संशोधन पेश है उसके स्थान पर यह संशोधन रख दिया जाय ।

श्री परिपूर्णानन्दवर्मा---मान्यवर, जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर रहा था कि मेरी जो के० की भाषा है उस भाषा को मैंने परिवर्तित रूप में सदन के सम्मुख रख दिया और साथ ही साथ यह भी निवेदन किया कि एल० वाला पोर्शन हटा दिया जाय । इसलिये मैं समझता हूं कि यह मेरा अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट सर्वथा उचित है और सदन इसको स्वीकार करेगा ।

एक सदस्य---जरा अपना अमेंडमेंट एक बार और पढ़ तो दें ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मेरा संशोधन यह है--

" has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government. "

श्री उपाध्यक्ष---और दूसरा जो एल० है वह हटा दिया जाय ?

श्री परिपूर्णानन्दवर्मा---जी हां ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---कौन सा शब्द हटा रहे हैं यह तो बतलावें । माननीय त्रिपाठी जी के दो संशोधन हैं ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विचार करने के लिये देता है । ब्लैकमारकेटिंग बहुत बड़ा अभिशाप है, एक सामाजिक अभिशाप है और इस अभिशाप से जितना शीघ्र समाज मुक्ति पा सके उतना ही उचित और वांछनीय होगा और इसलिये आवश्यक होगा कि कोई राज्य इस विषय में किसी न किसी प्रकार का ऐसा सामाजिक दंड नियुक्त करे जिससे यह अभिशाप कम हो किन्तु साथ ही इसका एक कानूनी और वैधानिक विषय भी उपस्थित हो जाता है । मैं अपने माननीय मित्रों का ध्यान एक बहुत बड़े लेखक की एक विज्ञप्ति की ओर आकर्षित करता हूं । समाजवादी दल के प्रधान लास्की ने इसके विषय में एक बहुत बड़ी मीमांसा की है कि ऐसा कौन सा अपराध है कि जिस अपराध को वास्तव में स्थायी मान कर उसके ऊपर कोई स्थायी उपाय किया जाय और किसे अस्थायी माना जाय और इस विषय का निरूपण करते हुये लास्की महोदय ने स्वयं कहा कि बहुत से अपराध जैसे ब्लैकमारकेटिंग इत्यादि ये ऐसे अपराध हैं जिनको कोई स्थायी अपराध नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके विषय में कानून बराबर बदलते रहते हैं । आज किसी चीज का कंट्रोल है और उस वस्तु के लिये जो नियम हैं उनके उल्लघंन के लिये कोई अपराधी हो सकता है और कल दूसरे नियमों में उसका उल्लघंन अपराध नहीं बल्कि राज्य के

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

लिये और समाज के लिये बड़ा आवश्यक समझा जा सकता है। महंगी, तेजी और मन्दी के आर्थिक नियम जो होते हैं इन नियमों के संबंध में लास्की ऐसे प्रकांड विद्वान का मत है कि यह ऐसी चलती चीजें हैं जिसके विषय में समाज का क्या निश्चित मत है कहा नहीं जा सकता। इसलिये श्रीमन् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसे कि अर्थशास्त्री और राजनीतिशास्त्री का मत होगा कि समय समय पर यह चीजें और इनका अर्थ अस्थायी नहीं होगा। आजकल के समय में आर्थिक और ऐसे नियम बनते रहते हैं और जो आज जरूरी होंगे लेकिन कल दूसरा होगा और इनको समाज और राज्य निश्चित नहीं कर सकते। हमने जैसे नियमों का आज निरूपण किया है उसका कल क्या रूप होगा? ऐसा हो सकता है कि आज जो नियम हम निरूपण करेंगे वह कल बदलेंगे इसलिये यह आवश्यक है कि मारल टरपीट्यूड का एक विधान बना दें जिसमें किसी चीज को जिसको आज हम अनैतिक कह सकते हैं उस को कल हम नैतिक कह कर सामाजिक दोषों से मुक्त न कर दें। इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमारे शास्त्री जी ने कहा कि ऐसे विषयों में हमें विदेशों की मिसाल से काम लेना चाहिये और मैं उनसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशों की मिसाल खासकर चीन की, इसके विषय में उचित नहीं होगी और यह शायद हमारी जानकारी जितनी है, उसकी सीमा के बाहर होगा। इसलिये कि जहां तक जमींदारों को वोट का अधिकार न देने का सवाल है तो जहां चीन में चुनाव का प्रश्न ही नहीं है वहां तो वोट देने का सवाल ही नहीं उठता कि किसको दिया जाय और किससे छीना जाय। इसलिये चीन ने जो परम्परा निकाली है यदि उस परम्परा का कोई भी रूप यदि हम अपने यहां स्वीकार कर लें तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। अभी पेकिंग रेडियो ने यह कहा था कि १८ अगस्त को २१८ ऐसे अपराधियों को सजा दी गई इसलिये कि राजद्रोह के कारण वह अवांछनीय समझे गये थे। ऐसी चीजें हमारे आदर्शों को न स्वीकार होगा और न वह वांछनीय ही समझा जायगा। तथापि, इसके विषय में कोई तर्क की आवश्यकता नहीं है कि चोरबाजारी एक बड़ा अभिशाप हमने समझा है लेकिन साथ ही साथ चोरबाजारी का जितना व्यापक रूप पहले था आज वह नहीं है। आजकल के जमाने में मंहगाई के दूसरे स्वरूप के कारण उसकी रूपरेखा बदल गयी है और कल न जाने इस सभा भवन को ऐसा नियम बना कर रखना पड़े जिसमें किसी दूसरे प्रकार का अपराध अनैतिक अपराध बन जाय। इसलिये माननीय त्रिपाठी जी से मेरा अनुरोध है, उनकी भावनाओं का आदर करते हुये, उनके विचारों का आदर करते हुये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो इस सभा भवन को स्थायी अपराध की रूपरेखा निश्चित करने और बदलने और उसके अनुरूप नियमों को परिवर्तित करने की आवश्यकता समय समय पर नहीं पड़ा करेगी और इससे हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा हो जायगा।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रूखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि क्लोजर मूव नहीं होना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिपूर्णानन्द जी का जो संशोधन है और उसके पीछे उनकी क्या धारणा है उसको भी मैंने सुना। उन्होंने लास्की साहब के ऊपर अपनी धारणा बनायी है। मैं लास्की साहब के ऊपर अपनी धारणा बनाने के पहले अपने देश के सब से बड़े नेता पं० जवाहरलाल जी की विचार धारा से अपने को मजबूत करना चाहता हूं। पं० जवाहरलाल जी का विचार तो यह है कि चोरबाजारी करने वालों को तो फांसी दे दी जाय। रामनारायण जी का जो संशोधन है वह तो केवल म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में उम्मीदवार होने से रोकता है। मैं भी इस राय का नहीं हूं कि उन्हें फांसी दे दी जाय। उसमें बहुत हल्के जुर्म हो सकते हैं। बहुत बड़े जुर्म भी हो सकते हैं। कानपुर के किसी

बड़े व्यापारी या मिल-मालिक को फांसी देने की बात सोची जा सकती है । लेकिन अगर कोई दस सेर अनाज सूबे के सिवाने से इधर-उधर ले जा रहा हो तो .. (एक सदस्य—बिलकुल सही है) देवरिया की बात मेरे सिर पर है । इसलिये मैं भुक्तभोगी होने के नाते ज्यादा सही जानकारी सदन को कराना चाहता हूं लेकिन मैं इतनाँ कह सकता हूं कि चम्पारन का धान अगर न होता तो जितनी भुखमरी है उससे न मालूम कितनी अधिक भुखमरी हो जाती । तो फांसी देने का सुझाव तो मैं नहीं करता । यह ब्लैकमार्केटिंग ऐसी चीज है जिससे, हम तो विरोधी पक्ष पर बैठे हुये हैं और जो कुछ सरकार कर सकती है उस कार्यवाही में जो कुछ हमको सुझाव सूझते हैं हम कर देते हैं । लेकिन सब से अधिक बदनामी की बात तो सरकार की होती है और कभी-कभी चोरबाजर करने वालों ने सरकार की गाड़ी को रोकने की चेष्टा भी की है और सरकार को बिलकुल एक तरह से पैरेलाइज कर देने की बात सोची है । तो ऐसी हालत में अगर म्युनिसिपैलिटियों में अगर वह न आ सकें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिये बहुत दलील दी जाय और उनके बिना म्युनिसिपैलिटियों का काम न चले । मारल टरपीच्युड की शर्त माननीय परिपूर्णानन्द जी कहते हैं रखना चाहिये । मारल टरपीच्युड वाले अपराधियों को किसी तरह से इसमें हिस्सा नहीं लेने देना चाहिये । हम भी इसके कायल हैं । वक्त आने पर माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी उसको कबूल भी करेंगे । लेकिन एक बात जरूर है कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसमें यह भी कहा गया है कि नैतिक अपराधी तो हो लेकिन नैतिक अपराध के सिलसिले में निश्चय करना कि चुनाव में हिस्सा लेगा या नहीं इसे सरकार के हाथ में दे दिया जायगा । मैं सरकार के ऊपर कितना विश्वास करता हूं कितना नहीं करता हूं यह मैं कहना नहीं चाहता । लेकिन एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा किसी को अपने ऊपर भी भरोसा करना मुनासिब नहीं होता है । मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से बड़े-बड़े कुकर्म कर लेता है तो मैं इस सरकार को यह कहूं कि उन सारी कमजोरियों से ऊपर है और जो सरकार के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हो जाने की वजह से दुनिया की जितनी भी कमजोरियां हैं उन सारी कमजोरियों से ऊपर उठ गये हैं, मेरा मन नहीं करता कि मैं इस पर विश्वास करूं । वह तो एक व्यक्ति था जो आज हिन्दुस्तान में नहीं है और उसके अलावा मैं किसी को वह चाहे लंगोटी लगाने वाला हो चाहे धोती पहनने वाला हो या पायजामा पहनने वाला हो किसी वेष भूषा का हो किसी तरह से रहे मैं इस बात को कबूल करने के लिये तैयार नहीं हूं कि वह आदमी अपनी सारी कमजोरियों से ऊपर उठ गया है । इसलिये जितनी भी सेफगार्ड रहे जितनी भी लोगों के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा रहे, क़ानून के जरिये उतनी ही हमारे माननीय मंत्रियों के लिये भी अच्छी बात होगी । माननीय मंत्रियों के ईमान पर हम को भरोसा होते हुये भी इसकी आवश्यकता मैं महसूस करता हूं । वह जो कुछ करते हैं वह अपने ईमान के साथ करते हैं । इसका फैसला होगा, सारा समाज फैसला करेगा । मैं यह नहीं कहता कि वह जो कुछ करते हैं उसके पीछे उनकी सिंसियरिटी नहीं है, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है और इसलिये एक आदमी को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे देना भी मनुष्य को बरबाद करता है । मैं कोई उपदेश देना नहीं चाहता । मैं जानता हूं, माननीय मंत्री जी मुझसे ज्यादा अक्ल रखते हैं । इसलिये अपने ऊपर सारा बोझ ले लेना कि किस नैतिक अपराधी को वह चुनाव में हिस्सा लेने देंगे और किस को वह रोक देंगे यह एक ऐसा काम वह अपने हाथ में ले रहे हैं जिस काम के लिये उनको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी । इसलिये कम से कम ब्लैकमार्केटिंग के लिये तो उनको यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि वह आदमी जो ब्लैकमार्केटिंग कर चुका है उसको हिस्सा नहीं लेने देंगे ।

एक बात जरूर है, जो माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कही कि यह जो जुर्म है वह स्थायी नहीं है । कंट्रोल की व्यवस्था ही स्थायी नहीं है । इसलिये इसको स्थायी नाम दे देना, क़ानून में स्थान दे देना, अनुचित होगा । मैं समझता हूं कि इसमें कुछ वजन है और यह सही बात है । लेकिन आज नियंत्रण की इकोनामी है, व्यवस्था है । कंट्रोल हमारे देश में है और जैसा कि मैं रोज देखता हूं, हमारी केन्द्रीय सरकार इस पक्ष में है कि यह कंट्रोल की इकोनामी अगले

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

कुछ दिनों तक रहेगी और कम से कम जब तक यह पंचवर्षीय योजना है तब तक वह कंट्रोल की एकोनामी रखना चाहते हैं। फिर मैं समझता हूं कि कंट्रोल संबंधी अपराध करने वालों को इससे वंचित कर देना, इस चुनाव में हिस्सा न लेने देना, बहुत उचित बात है और मैं अपील तो नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ परम्परा ही दूसरी हो गयी है, इसलिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस पर सदन को उदारता के साथ विचार करना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों संशोधनों की भाषा को देखा है और अब इस सदन को यह फैसला करना है कि आया वह दोनों धाराओं को इस अधिनियम में रखना चाहते हैं या दोनों में से एक निकाल कर किसी एक को रखना उचित समझते हैं, जो हमारे समाज को फायदा पहुंचायेगी।

मैं सब से पहले, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य जो एम० एल० ए० की हैसियत से इस सदन में बैठते हैं उनके दिमाग और बुद्धि के ऊपर इस राष्ट्र, इस देश की ६ करोड़ जनता का अधिकार है, क्यों कि उस समय के लिये वह ६ करोड़ जनता १० रुपया रोज उनको डी० ए० देती है। इसलिये मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन में बैठे हैं उनको अपने दिमाग से काम लेना चाहिये जो ६ करोड़ जनता के फायदे का है क्योंकि उस पर १० बजे सुबह से लेकर ५ बजे शाम तक जनता का अधिकार है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब कि कानून की व्यवस्था की बात आती है तो यह सदन का कर्तव्य हो जाता है कि कानून की बातों में वह निष्पक्ष भाव से, मोस्ट डिस्पैशनेटली, विचार करके उनका सुधार करें, ताकि जो ६ करोड़ जनता उनको १० रुपया रोज डी० ए० देती है उनके हित की बात करें बजाय इसके कि उनके हितों को कत्ल करें या हितों को ठेस पहुंचायें। मैं समझता हूं कि काफी सतर्कता की जरूरत है और जो कोई भी कानून यह सदन पेश करता है, मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह ६ करोड़ जनता की जिन्दगी पर प्रभाव डालता है और जब कि उस कानून की पाबन्दी अदालतें कराती हैं तो बहुत से व्यक्ति जो अदालत में जाते हैं उनकी जिन्दगी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है।

इसलिये मैं निहायत अदब के साथ यह दरख्वास्त करूंगा कि कानून का प्रश्न जब इस सदन में उपस्थित हो बनाया जाने के लिये तो किसी भी पार्टी का हित उस कानून के बनाने में नहीं आना चाहिये और सदन का ... ... ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—मैं उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं या हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अमेंडमेंट पर बोल रहा हूं और मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जिस नियत से, जिस भावना से और जिस सद्भावना से दोनों अमेंडमेंट सदन के सामने पेश किये गये हैं मैं उन भावनाओं की तारीफ करता हूं। अब मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कानून के दृष्टिकोण से मैंने इन दोनों अमेंडमेंटों को पढ़ा है और देखा है और उनको साइंटिफिकली एनालाइज किया है। जहां तक श्री परिपूर्णानन्द जी का अमेंडमेंट है मैं यह कह सकता हूं कि वह जो दफा है, वह जिस भाषा में है वह आज की नहीं है, वह पुरानी है, और जिन साहबान ने आजतक एलेक्शंस लड़े हैं वे जानते हैं कि हर वक्त नामिनेशन फाइल करते हुये आब्जेक्शन रेज किये जाते थे और उन में यह प्वाइंट अक्सर लिया जाता था कि कोई प्रार्फेस जो कि नामनी ने जो दरख्वास्त दे रहा है ऐसा नहीं किया जो कि मारल टरपीच्यूड इन्वाल्व करता है। इसलिये जहां तक उसकी लैंग्वेज का प्रश्न है वह परफ़ेक्ट लैंग्वेज है उसके ऊपर बहुत ही साफ दिमागों की ताकत खर्च की गई है। इसलिये अगर इतनी ऊंची बुद्धि को लेकर

उसका प्रयोग न करें और इस सदन का समय बर्बाद करें तो मैं समझता हूं कि यह हिमाकत होगी क्योंकि मैं समझता हूं कि कई बड़े-बड़े दिमागों ने असेम्बली में बैठकर उसको गढ़ा है, मढ़ा है, उसको मांजा है और उसको इस तरह कम्प्रिहेंसिव बनाया है कि कोई भी अफेंस उस दफा के बाहर नहीं छूट सकता। इसलिये मैं इस सदन से यह दरख्वास्त करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि माननीय सदस्य जिन्होंने कि अमेंडमेंट पेश किया है वह धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि ब्लैकमारकेटिंग हमारे देश के अन्दर जिस उग्र-रूप में आज उपस्थित है उसका हमें महान् दुख है और जो लोग उस ब्लैकमार्केटिंग को नजरअन्दाज कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत आसान चीज नहीं है क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करता है, कोई डाकू डाका डालता है तो वह इतना बड़ा भारी जुर्म नहीं है। मामूली दृष्टि से देखने से मालूम होता है कि ब्लैकमारकेटिंग एक छोटी सी चीज है। लेकिन वह छोटी चीज नहीं है। वह रोजाना हजारों और लाखों की जिन्दगी के ऊपर असर डालता है। इसलिये यह जो जुर्म है ब्लैक मार्केटिंग का वह ऐंटी सोशल ऐक्टिविटी है और वह व्यक्ति जो इस जुर्म को करता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्याय की दृष्टि से अगर आप देखें और छान बीन करें और अगर जूरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल को एनालाइज करें और निष्पक्ष भाव से अपने दिमाग से फैसला करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि आपको बता सकता हूं कि यह जुर्म जो है वह राष्ट्र के प्रति इतना बड़ा जुर्म है जिसको कि राष्ट्र के खिलाफ हाई ट्रेचरी कहा जा सकता है और जिसके लिये फांसी की ही केवल एक सजा हो सकती है जो कि कानून की निगाह में ऐसे व्यक्ति के लिये प्रिस्क्राइब की जा सकती है। मुझे दुख है कि आज भी इस देश के अन्दर एक बड़ा भारी जुर्म हो रहा है जो इस प्रकार का है। मैं स्पष्ट कह सकता हूं, मेरे पास दलील है, तर्क है और मैं सदन के दिमागों के अन्दर विश्वास पैदा करा सकता हूं कि यह जुर्म काबिले माफ़ी करने के नहीं है। यह कैपिटल पनिशमेंट का जुर्म है और जो लोग इस प्रकार का जुर्म करते हैं वे भारत वर्ष के दुश्मन हैं वे पंचमांगी हैं। इस राष्ट्र को सदा के लिये खत्म कर देना चाहते हैं। वे अन्दर इस प्रकार की बुराई पैदा करके इस की शक्ति को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य समझते हैं कि यह छोटी बात है उनको वह उत्तरादायित्व जो कि छै करोड़ जनता ने उनके कंधों पर रखा है कतई नहीं भूलना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कह सकता कि जिस रूप में ब्लैकमारकेटिंग के केसेज अदालतों के सामने उपस्थित होते हैं उस रूप में वे मारल टर्पिच्यूड के अन्दर आ सकेंगे या नहीं। मोटी दृष्टि से तो यही दिखाई देता है लेकिन यह मुमकिन हो सकता है कि बाज ऐसे इंस्टांसेज हों जो कि मारल टर्पिच्यूड में न आते हों। मैं इसको अभी अपने दिमाग़ में तय नहीं कर पा रहा हूं लेकिन अगर यह सदन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हर कोई केस उसके अन्दर कवर हो जाता है तो जो अमेंडमेंट माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मूव किया है मैं उसका पूरा पूरा समर्थन करता हूं। अगर कोई इस प्रकार के केसेज हो सकते हों जो कवर न होते हों तो मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर ब्लैकमरकेटिंग का नाम आजाय तो वह बहुत उचित होगा।

श्री सुल्तान आलम खां--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं श्री परिपूर्णानन्द जी ने जो अमेंडमेंट इस भवन के सामने पेश किया है उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन इसके यह मानी नहीं कि इससे पहले जो अमेंडमेंट त्रिपाठी जी ने पेश किया था मैं उसे गलत समझता हूं या उस अमेंडमेंट को सही नहीं समझता हूं। ऐसी बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि त्रिपाठी जी ने जो अमेंडमेंट दिया है वह अमेंडमेंट भी अपनी जगह पर सही है। जो आज कल दशा हमारे मुल्क के अन्दर और हमारे सूबे के अन्दर हो रही है उसे कौन नहीं जानता? बिलखुसूस उस तकरीर के बाद जो अभी मुझसे पहले

[श्री सुल्तान आलम खां]

मेरे दोस्त ने की है, मैं समझता हूं कि इस बात के न समझने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन की वबा हमारे सूबे और मुल्क में काफी तौर पर चल रही है और उसे रोकना हमारा सब का फर्ज है लेकिन सवाल तो यह पैदा होता है कि जिस वक्त हम कोई अमेंडमेंट रखें, या कोई दफा बनायें और वह मुस्तकिलन स्टेट्यूट बुक पर आये तो वह ऐसी दफा होनी चाहिये जो एक मुस्तकिल माने रखती हो जिससे हर वक्त हर तरीके पर इंटरप्रिटेशन किया जा सके और काम लिया जा सके। जो अमेंडमेंट त्रिपाठी जी ने पेश किया उसमें उन्होंने ब्लैकमार्केटियर्स और उन लोगों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन रखने के लिये सोचा कि जिन को सिविल सप्लाइज या कन्ट्रोल ऐक्ट के मातहत सजा हो गयी है लेकिन यह भी बात सोचने की है कि बेशक वह लोग जो ब्लैक मार्केट करते हैं या सिविल सप्लाइज ऐक्ट को वायलेट करते हैं वह बड़ी से बड़ी सजा के मुस्तहक हैं, इसके मुताल्लिक इस भवन के अन्दर या बाहर कोई दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे सूबे और हमारे मुल्क के अन्दर ऐसे जरायम नहीं होते कि जिनको हम इतना ही कंडेम कर सकें और जिनको हम इतना ही बुरा समझें? बहुत से जरायम हैं, कत्ल है, डकैती है, रेप है, किडनैपिंग है, और वह जरायम भी हैं जो स्टेट के खिलाफ होते हैं और वह भी बड़े कंडेमनेबिल जरायम हैं। स्टेट की डिसलायलटी की सजा और मुल्कों में देखिये तो वह गोली मार देने की सजा होती है। जब हम जरायम के सिलसिले में ऐसी डिसक्वालिफिकेशन रखना चाहते हैं तो हम ऐसा एक काम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट क्यों न रखें कि जिसके मातहत ब्लैकमार्केटियर्स को भी डिसक्वालिफाई किया जाय और इसी किस्म के जो जरायम करने वाले दूसरे लोग हैं उनको भी डिसक्वालिफाई कर दिया जाय। अगर इस कसौटी पर इन अमेंडमेंट्स को रखा जाय तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो अमेंडमेंट श्री परिपूर्णानन्द जी ने दिया है वह ज्यादा अच्छा है और काम्प्रीहेन्सिव है। एक अमेंडमेंट जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि आगे चलकर इसी दफा के अन्दर और भी दिया गया है जिसके जरिये से यह कहा गया है कि इस किसम के लोगों को डिसक्वालीफाई किया जाय। मैं आपकी इजाजत से उसे पढ़ना चाहता हूं और वह यह है कि—

" has been challaned for contravening any of the provisions of Civil Supplies or Control Acts of the State of Central Government "

इसके अलावा एक अमेंडमेंट इसके अन्दर ऐसा भी है जिसमें इंडियन पेनल कोड की दाफाओं के मातहत क्राइम करने वाले जो मारल टरपीच्यूड में आते हैं, डिसक्वालीफाई किये गये हैं लेकिन जो अमेंडमेंट श्री परिपूर्णानन्द जी ने पेश किया है उसमें वह तमाम जरायम आ जाते हैं जो इंडियन पेनल कोड के मातहत आते हैं और इसके अलावा जो ऐक्ट वक्तन फ़वक्तन इस लेजिस्लेचर से पास होते रहे हैं उनके मातहत भी आ जाते हैं। अगर वह दूसरा अमेंडमेंट मंजूर कर दिया जाय और इस अमेंडमेंट को रहने दिया जाय तो फिर त्रिपाठी जी ने जो ख्वाहिश जाहिर की है वह पूरी नहीं हो सकती। इसलिये जितने सिविल-सप्लाईज के ऐक्ट हैं वह इंडियन पेनल कोड के मातहत नहीं आते हैं, वह सेपरेट ऐक्ट हैं जो अमेंडमेंट इन सब पर अप्लाई कर सके वह वही हो सकता है जो श्री परिपूर्णानन्द जी ने पेश किया है। अभी जो मेरे दोस्त श्री गेंदा सिंह तकरीर कर रहे थे, वे बड़ी माकूल तकरीर करते हैं और मैं उनकी तकरीर से बड़ा नफा उठाता हूं, उन्होंने एक बात अपनी तकरीर में यह कही और उन के कहने का मकसद यह था कि वे अमेंडमेंट के एक हिस्से से मुत्तफ़िक हैं लेकिन उनका यह ख्याल था कि यह अख्तियार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस डिसक्वालिफकेशन को दूर कर सकती है। श्री गेंदा सिंह जी को शायद इस बात का खतरा था कि अगर इस किस्म का अख्तियार गवर्नमेंट के पास रहा तो हो सकता है कि उसका बेजा इस्तेमाल हो। मगर मैं गेंदा सिंह जी को एक चीज याद दिलाऊंगा कि यह बिल जो इस वक्त हम पास कर रहे हैं, यह एक

आरजी बिल है और यह सब को मालूम है और गवर्नमेंट इस बात पर कमिटेड है कि एक कारपोरेशन बिल या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पूरा बिल आने वाला है जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तमाम पिक्चर जो है उसका सेटअप बदल जायगा। जितने अख्तियारात आज गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है शायद यह तमाम अख्तियारात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के पास पहुंच जायंगे और जिस वक्त लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड आपके सूबे में कायम हो जायगा तो करीब-करीब वह सारे अख्तियारात जो गवर्नमेंट इस वक्त एक्सरसाइज करती है वह सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के पास पहुंच जायंगे और मैं समझता हूं कि उस वक्त श्री गेंदा सिंह जी की यह दिक्कत भी रफ़ा हो जायगी। ऐसी सूरत में इस बिल को जो इस वक्त आरजी तौर पर हमारे सामने आया है, इस अमेंडमेंट में वह तमाम चीजें आ जाती हैं। जो त्रिपाठी जी चाहते हैं और इसके अलावा इंडियन पेनल कोड के जो अफेन्सेज हैं और इसके अलावा वह भी ऐक्ट जो इस लेजिस्लेचर से पास हों, चाहे वह अब तक पास हो चुके हों या आयन्दा पास हों, इन सब में जो अफेन्सेज में मारल टरपीच्यूड होता है वह सब इस के मातहत आजायेंगे और इस तरह यह अप्लाई होने लगेगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में कोई दिक्कत बाकी नहीं रह जाती कि हम इस अमेंडमेंट को नामंजूर कर लें जो हर सूरत से काम्प्रीहेन्सिव है। ख्याल यह है कि इस में डिसक्वालिफ़िकेशन को दूर करने का अख्तियार गवर्नमेंट के पास हो। लोगों को इस बात का शक है कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स सही एकसरसाइज नहीं करेगी। मैं समझता हूं, अव्वल यह मैंने बार बार कहा है कि डेमोक्रेसी की बुनियाद इसी पर चलती है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें और कोई वजह नहीं है कि एक पापुलर गवर्नमेंट जो पापुलर वोट से आई है वह सही तौर पर उनको एकसरसाइज न करे। लेकिन अगर यह चीज अपनी जगह पर सच हो तो मैंने जैसा अर्ज किया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड जब बन जायगा तो वह गवर्नमेंट की तमाम पावर्स को एकसरसाइज करेगा और उसके बाद यह दिक्कतें भी रफा हो जायंगी। तो मैं समझता हूं, कि ऐसी सूरत में मुनासिब यही मालूम होता है श्री परिपूर्णानन्द जी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसे यह हाउस बिलइत्तफाक मंजूर कर ले और त्रिपाठी जी अपने अमेंडमेंट को वापिस ले लें। इसलिये अगर इस अमेंडमेंट में तमाम अफेन्सेज को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई तो वह इतनी बड़ी लिस्ट हो जायगी कि जो किसी सूरत से पूरी नहीं हो सकती और तरह-तरह से लोगों के दिमाग में अफेन्सेज के नाम आयेंगे और जिन को अगर इनकारपोरेट करना चाहेंगे तो इस तरह वह बहुत बड़ी एगजास्टिव लिस्ट हो जायगी और फिर हम वह एगजास्टिव लिस्ट नहीं बना सकेंगे। क्योंकि हम ५० जुर्मों के नाम लिख दें, लेकिन फिर भी ऐसे जुर्म रह जायेंगे जिन के नाम हम नहीं रख सकेंगे। तो इसलिये इस अमेंडमेंट के जरिये से जितने जरायम इंडियन पेनल कोड के मातहत होंगे या किसी ऐक्ट के मातहत होंगे जो अब तक इस सूबे में नाफिज हैं या जो आइन्दा इस सूबे में बनाये जायं और नाफिज किये जायं वे सब आ जायेंगे। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि अगर इस तरह का अमेंडमेंट मंजूर हो जायगा तो इससे बड़ी कमी पूरी हो जायगी। इस ऐतबार से मैं यह समझता हूं कि जिस दिक्कत को दूर करने के लिये और जिस कमी को इस बिल के अन्दर त्रिपाठी जी ने महसूस किया और प्वाइंट आउट किया वह अपनी जगह पर सही चीज थी और उसके बाद ये तमाम चीजें हुईं कि इस बिल को देखना पड़ा और दुरुस्त करना पड़ा। मैं त्रिपाठी जी को उनकी इस दूरअन्देशी के ऊपर और बिल को गौर से पढ़ने के ऊपर मुबारकबाद देता हूं और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जो अमेंडमेंट परिपूर्णानन्द जी ने पेश किया है उसे बिलइत्तफाक़ राय से मंजूर करें।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री परिपूर्णानन्द जी द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन है उसमें शब्द "moral turpitude" के बाद शब्द "and" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "which offence has been"

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)]

जोड़ दिये जायं और शब्द "declared" के बाद शब्द "as such" निकाल दिये जायं और शब्द "by the state Government" के बाद शब्द "such moral turpitude as to unfit him to be a member" जोड़ दिये जायं ।

पहला जो संशोधन था वह इस प्रकार था—

"Has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government."

"डिक्लेयर्ड ऐज सच बाई दि स्टेट गवर्नमेंट" से एक भ्रांति पैदा होती थी कि अगर ऊपर शब्द "परसन" लगा दिया जाय, यानी इस प्रकार हो—

" the person has been sentenced to imprisonment for offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government "

तब "declared" से यह अर्थ आभासित होता है कि वह व्यक्ति विशेष जिसको सजा हुई हो डिक्लेयर कर दिया जाय जैसा कि मकसद नहीं है मैं समझता हूं कि परिपूर्णानन्द जी स्वयं यह विचार नहीं रखते थे। उनका विचार यह था कि वह आफेंस जो है उसको राज्य ने ऐसा घोषित कर दिया हो कि वह मारल टरपीचयूड का एक आफेंस है और जो उनका अर्थ था वह इन शब्दों से नहीं निकल रहा था जैसा कि संशोधन उन्होंने पेश किया था। जैसा कि मैं समझ सका हूं और जो संशोधन मैं पेश कर रहा हूं वह कांस्टीट्यूशन के शब्दों से ही बिल्कुल मिलता-जुलता है। उसका संशोधित रूप इस प्रकार हो जायंगा—

" has been sentenced to imprisonment for offence involving moral turpitude which offence has been declared by the State Government such moral turpitude as to unfit him to be a member. "

जो कांस्टीट्यूशन के शब्द हैं उनमें "ऐज टु अनफिट हिम टु बीऐन एलेक्टर" ये शब्द हैं। तो बिलकुल उसी को अक्षरशः उठा कर रख दिया गया है।

जहां तक ब्लैकमारकेटिंग और दूसरी बातों के बारे में जो लम्बी लम्बी बातें इस सदन में कही गयीं मैं समझता हूं कि इधर और उधर, दोनों तरफ बैठे हुये सभी व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि समाज के लिये अवांछनीय हैं, जो ब्लैकमारकेटिंग और दूसरे मामलात में पड़े हैं वे तो दरअस्ल मारल टरपीचयूड के दोषी हैं और उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिये जो उनको ऊंचे स्थान पर लेजाने वाला हो। इसी दृष्टिकोण को अन्तर्हित रखते हुये मेरे विचार से परिपूर्णानन्द जी ने यह संशोधन पेश किया था। और इस संशोधन के शब्दों में इतनी सौजन्यता और सुन्दरता नहीं थी जिससे सभी बातें जो वह चाहते थे स्पष्टतया आ सकें। इसलिये मैंने उनके शब्दों में यह जोड़ने की धृष्टता की है और मेरा विश्वास है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। अब वह संशोधन इस तरह से हो जाता है कि—

" has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude which offence has been declared by the State Government such moral turpitude as to unfit him to be a member. "

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से माननीय परिपूर्णानन्द जी के संशोधन में निम्न संशोधन करना चाहता हूं। इस संशोधन की अन्तिम पंक्ति में

"declared as such by the State Government" के स्थान पर शब्द "black-marketing" रख दिये जायं । मेरा संशोधन स्वीकार हो जाने के बाद संशोधन इस तरह से हो जायगा—

" has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and black-marketing. "

श्रीमन्, जैसा कि उन्होंने पुराना संशोधन रखा था वह पूरी तौर से अब पढ़ा जाय तो इस तरह से हो जाता है—

" A person notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral terpitude and black—marketing."

जैसा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने संशोधन रखा है उसके अनुसार डिस्क्वालीफाई को डिफाइन करना पड़ेगा । इसके साथ शुक्ला जी ने जो संशोधन रखा है वह उसको और काम्पलेक्स बना देता है । उसमें लिखा है कि "involving moral turpitude which offence has been declared by the State Government such moral turpitude as to unfit him to be a member."

इसमें "moral terpitude" दो जगह आ गया है ।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री ऐजाज़ रसूल— On a point of Order, Sir, (श्रीमान् जी मैं विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं ।) जनाब स्पीकर साहब, क्या मैं यह दरियाफ्त कर सकता हूं कि हमारे तिवारी जी ने त्रिपाठी जी के संशोधन में अमेंडमेंट चाहा था और अब वह श्री परिपूर्णानन्द जी के संशोधन में इस तरह से अमेंडमेंट करके दुबारा तक़रीर करने का उनको मौका है ।

श्री अध्यक्ष—जी हां ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि मौरेल टरपीच्यूड की कहीं भी इस म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में परिभाषा नहीं है । इंडियन पेनल कोड में जो परिभाषा है वह केवल नैतिक अपराधों के लिये और क्रिमिनल अपराधों के लिये है, जैसे कि इसकी धारायें, ३७९,३६६ और ३७६ हैं ये केवल नैतिक और क्रिमिनल अपराधों के लिये हैं और आर्थिक अपराधों के लिये नहीं हैं। ब्लैकमारकेट आर्थिक अपराधों में आता है । मैंने डिक्शनरी भी देखने की चेष्टा की तो मोरल टरपीच्यूड में ब्लेकमारकेट नहीं आता है। मैं यह चाहता हूं कि जैसा माननीय त्रिपाठी जी का संशोधन था कि इसमें ब्लैकमारकेट आ जाना चाहिये । इसलिये इसमें मेरे संशोधन को स्वीकार करने से ब्लैकमारकेट स्पष्ट हो जायगा

" has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and black—marketing.... "

इसमें स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेअर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और यह डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मारेल टर्पीच्यूड में ब्लेक मार्केट भी आता है । मेरे अमेंडमेंट से साफ़ स्पष्ट हो जायगा कि मारेल टर्पीच्यूड और ब्लैकमारकेट दोनों आफेन्स हैं। मुझे आशा है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी मेरे सुझाव को मानेंगे और शुक्ल जी का जो संशोधन है वह तो काम्प्लेक्स हो जाता है । उसमें मारेल टर्पीच्यूड शब्द को दो बार दोहराया गया है और यह स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि मारेल टर्पीच्यूड में ब्लैकमारकेट आता है या नहीं । इस मार्केट को मारेल टर्पीच्यूड में लेना मैं समझता हूं ग़लत है । इस लिये ब्लैकमारकेट और मारेल टर्पीच्यूड दोनों आने चाहिये ।

यह आज हमारा सौभाग्य है कि इस सदन में ४ संशोधनों पर एक साथ बहस हो रही है । हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि कितनी असाधारण

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

परिस्थितियों में ऐसा हुआ है । जब ऐसी असाधारण परिस्थितियों में विचार कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि असाधारण क़दम भी हमें उठाना चाहिये । चीन के अन्दर ब्लैक मार्केट खत्म करने के लिये आत्मसुधार आन्दोलन जिसे यांग्चू मूवमेंट कहते हैं शुरू किया गया था जिसके अन्दर ब्लैक मार्केट करने वाले को चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों न हो, उसको सजा दी जाती थी । मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ब्लैक मार्केटिंग शब्द को छोड़ कर वह इस प्रदेश में एक ऐसा आन्दोलन शुरू करें कि जनता के जिन वर्गों में इस प्रकार का ब्लैक मार्केट आ गया है, उनमें से उस अपराध की भावना वह खत्म कर दें । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अब इतनी भाषायें आ गई हैं कि उन पर इस समय कुछ ठीक ठीक विचार नहीं किया जा सकता कि कोई अल्फाज ऐसे न हो जायं जिससे कोई क़ानूनी दिक्क़त बाद में नजर आये । तो अगर आप मुनासिब समझें तो इसको कल ले लिया जाय ताकि जो बहस हो रही है वह इसके विषय पर कम है क्योंकि इसमें तो क़रीब-क़रीब सब एक मत के हैं कि मारेल टर्पीट्यूड होना चाहिये, ज्यादा बहस ड्राफ्टिंग पर है, उस पर विचार करने के लिये कल इसे ले लिया जाय तो बेहतर होगा ।

श्री अध्यक्ष—माननीय राम नारायण त्रिपाठी, आप को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कल ले लिया जाय ।

(संशोधन पर विचार स्थगित किया गया)

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ९ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 13-E की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न लिखा जाय—

"13-E (1) No person, whose name has not been for the time being entered in the electoral roll of any ward, shall be entitled to vote in that ward, except as expressly provided by this Act."

श्रीमान् यह मैंने इस धारा में नये रूप से रखा है ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाय । १३-ई जो है वह इस प्रकार है—

"No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward".

यह शब्दावली जो प्रयोग की गयी है वह अस्पष्ट है । इसके दो मानी हो सकते हैं और उनमें परस्पर विरोध सा आ जाता है जो अप्रासंगिक है । वह इस प्रकार है—

"No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward".....

इसका यह अर्थ है कि शायद कोई खास एलेक्टोरोल में कोई पर्सन एंटर किया जाता है, पर्सन का नाम एंटर नहीं किया जाता, जब कि नाम एंटर होना चाहिये, न कि पर्सन । मेरे कहने का मतलब यही है कि पर्सन एंटर नहीं किया जाता, पर्सन का नाम एंटर किया जाता है । इसलिये मैंने यह रक्खा है—

"No person, whose name has been for the time being entered in the electoral roll of any ward".

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी "name" के महत्व को समझेंगे और मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, रिप्रिजन्टेशन आफ दि प्युपिल्स ऐक्ट सन् १९५१ ई० की धारा ६२ में पेज २५ पर इस प्रकार से दिया हुआ है कि—

"62. No person, who is not, and except, as expressly provided by this Act every person who is for the time being entered in the electoral roll of any constituency shall be entitled to vote in the constituency."

यह भाषा यहां पर रखी गयी है । इसलिये इसमें कोई आपत्ति नहीं है । मैं यह समझता हूं कि इसको यहां पर रहना चाहिये और मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, रिप्रजन्टेशन आफ दि प्युपिल्स ऐक्ट को माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं । हो सकता है कि कोई वाक्य रह गया हो । माननीय मंत्री जी ३,४ मर्तबा इसको पढ़ चुके हैं ।

मेरा जो दृष्टिकोण है उस पर मंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला है । इसमें जो यह लिखा हुआ है कि—

"No person, whose name has not been for the time being entered in the electoral roll of any ward."

इसका मतलब यह है कि एलेक्टोरल रोल में किसी भी आदमी का नाम लिखा जायगा न कि उस आदमी को उसमें एंटर किया जायगा । मेरा मतलब यह है कि यह—

"No person, whose name has not been for the time being entered in the electoral roll of any ward."

उसमें जोड़ दिया जाय । अगर यह उसमें जोड़ दिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है । हूज नेम (Whose name) उसमें होना चाहिये और आदमी उसके अन्दर एन्टर नहीं होता है । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप ही इसमें कुछ मदद करें जिससे यह चीज स्पष्ट हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—जब माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं ।

श्री मोहनलाल गौतम—जिन दिक्क़तों का जिकर किया गया है वह दिक्क़तें पेशतर नहीं पेश आई हैं और इस ऐक्ट के अनुसार बड़ा भारी एलेक्शन हो चुका है । इसमें कोई आवश्यकता बदलने की नहीं मालूम होती है । मुझको रिप्रजन्टेशन आफ दि प्युपिल्स ऐक्ट का हवाला बार बार इसलिये देना पड़ता है कि उस ऐक्ट की एलेक्शन वाली धाराओं को समझते हुये इस बात की कोशिश की गयी है कि जहां तक हो सके इसमें से वह शब्द निकाल दिये जायं । इसलिये मुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है । अगर कोई शब्द इधर-उधर हो गया है तो वह मजबूरी से किया गया है क्योंकि यह चुनाव दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 13-E की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय—

"13-E. (1) No person, whose name has not been for the time being entered in the electoral roll of any ward, shall be entitled to vote in that ward, except as expressly provided by this Act."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 13-E की उपधारा (3) तथा (4) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"except the one vote to which he is entitled."

श्रीमन्, धारा 13-E की उपधारा (3) में यह लिखा हुआ है कि—

"No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward his votes in all such wards shall be void."

इसमें प्रत्यक्षरूप से यह प्रकट हो जाता है कि कोई आदमी एक दफा से ज्यादा वोट नहीं दे सकता लेकिन अप्रत्यक्षरूप से यह अवश्य है कि एक वोट तक इनवैलिड नहीं होगा और आगे होगा। इसमें यह स्पष्ट होना चाहिये क्योंकि इस धारा का अर्थ यह है कि—

"if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void."

इसका मतलब यह है कि जो वार्ड है अगर वहां पर वह वोट देता है तो वहां का उसका वोट वैलिड होगा तो इस लिये उपधारा (३) में इसको जोड़ देने की आवश्यकता है कि—

"except the one vote to which he is eititled." 13—E (1) में लिखा है कि

"No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled."

और इसके आगे १३—एफ की उपधारा (२) में यह सहूलियत दी है कि जहां प्लुरल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी हो वहां पर अगर एक मतदाता एक जगह से ज्यादा वोट देता है तो उसका केवल एक ही वोट पहली जगह माना जायेगा और बाक़ी जगह वायड माना जायगा। तो जो सहूलियत वहां दी गयी है वही सहूलियत यहां भी मिलना चाहिये। यह धारा १३ एफ़ (२) इस प्रकार है कि—

"If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidat shall be taken into account and all other votes given by him to such candidat shall be rejected as void."

इस में स्पष्ट है कि जहां प्लुरल मेम्बर वार्ड हो वहां पर एक वोट जरूर गिना जायगा और बाक़ी वायड हो जायंगे। अगर यही सहूलियत सिंगुलर मेम्बर वार्ड में भी दी जाय तो ठीक होगा, एक वोट तो जायज़ मानना ही चाहिये। मुझे आशा है कि इस चौथे केस में भी उस को वंचित न करना चाहिये। इसलिये तीसरी और चौथी उपधारा में इन शब्दों को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इस को मानने से बेईमानी बहुत ज्यादा बढ़ जायगी और जो लोग बोगस वोट डालना चाहते हैं उन पर चेक नहीं रहेगा। इस तरह से जो लोग कई वार्ड में नाम दर्ज करा लेंगे और जा कर हर जगह वोट डालेंगे उनको कोई डर न रहेगा क्योंकि वह समझेंगे कि हमारा एक जगह तो वोट सुरक्षित ही है। लेकिन अगर यह

डर होगा कि ऐसा करने से वोट ही बेकार हो जायगा तो वोट डलवाने वाले भी ऐसी हिम्मत न करेंगे और बेईमानी की कोई गुंजायश न रहेगी। ऐसा करने से धोखा देने वालों को प्रोत्साहन होगा। लेकिन जहां तक प्लुरल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी का सवाल है वहां पर इस तरह की धोखे की बात आती ही नहीं। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जहां तक उपधारा (३) का प्रश्न है जैसा कि बिल में लिखा है उसका एक वोट माना जायगा या नहीं। जो इस की भाषा मैंने पढ़ी उसका अर्थ है कि एक वोट भी नहीं माना जायगा। इस में तो आप मान ही लेंगे और अगर आप इसको मान लें तो चौथे में आप न करें। मैं उसे वापिस ले लूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे यह स्वीकार नहीं है, और न कुछ कहना है।

श्री नारायण दत्त तिवरी—मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं —

खंड ९ में प्रस्तावित धारा 13-E की उपधारा (5) को बदल कर इस प्रकार पढ़ा जाय —

"No person shall vote at any election if he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन से मोरल टर्पीच्यूड वाले मनुष्य को वोट देने का भी अधिकार नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को फ़्रैंचाइज का भी अधिकार न हो। चुनाव में खड़े होने का सवाल तो दूर है। मेरे पहले संशोधन के ऊपर एक मत हो कर सदन ने इस बात की राय जाहिर की कि कम से कम मोरेल टर्पीचयूड वाले लोगों को उम्मीदवार होने का हक़ नहीं दिया जाना चाहिये। यदि हम ऐसे आफ़ेंस के लिये वोट देने का भी हक़ छीन लेंगे तो यह एक प्रोग्रैसिव स्टेप होगा। इसमें प्रमुख भावना यह है कि जनता के सामने मिसाल क़ायम हो। इससे जुर्म कम होंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब बहुत ही अच्छा है और जो पहला म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट है उसमें यह चीज है, सैक्शन १६-ई में लेकिन इसे निकाल दिया गया है। हमने असेम्बली के रोल्स को ही अपना रोल माना है और हम इसकी बिलकुल उसी तरह से नक़ल कर रहे हैं। इसलिये इसमें कोई और घटाव बढ़ाव करने में हमारे सामने दिक्क़त पैदा हो जायगी और हमें अपना आधार बदलना होगा। यदि कैंडिडेट्स के लिये यह बात हो तो उस पर बहस हो सकती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता।

श्री चन्द्र सिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें तो यह है कि—"No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the police."

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

यह इसलिये रखा गया है कि जब कोई व्यक्ति जेलखाने में होता है तो उसका दिमाग़ का संतुलन ख़राब हो जाता है और वह सही दिमाग़ से काम करने के अयोग्य हो जाता है । जब कोई मुसीमबत से घिरा हो तो वह सही दिमाग़ से काम नहीं कर सकता है । इसीलिये रखा गया है कि पुलिस की कस्टडी में हो, जेलखाने में हो··

श्री अध्यक्ष--आप संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं, उससे बाहर जा रहे हैं ।

श्री चन्द्र सिंह रावत--जो संशोधन पेश किया जा रहा है उससे वे चाहते हैं कि उसको बदल कर वह रख दिया जाय जो कि उन्होंने पेश किया है इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके लिये यह कोई सब्स्टीच्यूट नहीं है । जो आदमी जेलखाने में हैं, जिसके दिमाग़ का संतुलन ठीक नहीं है, उसके लिये यहां पर व्यवस्था की गयी है । लेकिन उसके बजाय वे दूसरी ही बात सब्स्टीच्यूट करना चाहते हैं । मेरा कहना यह है कि वह इस प्रकार के केस को कवर नहीं करता है, न तो उसको यह अमेंड करता है, न उसमें कुछ "ऐड" करता है और न उसका कोई सब्स्टीच्यूट ही है, न किसी किस्म का कोई परिवर्तन ही करता है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो सब्स्टीच्यूट रखा गया है वह नाका-बिल है । इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया था उसका माननीय मंत्री जी ने स्वागत किया लेकिन उनका कहना यह है कि उनके सामने मजबूरी रहती है क्योंकि वे हर्फ बहर्फ पीपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट की नक़ल करना चाहते हैं । लेकिन उनकी यह दलील मेरे मस्तिष्क में तो नहीं आयी और न मैं इनको स्वीकार करने के लिये तैयार हूं । मैं नहीं समझ सका कि उनको इससे क्या दिक्क़त हो जायगी और अगर इस संशोधन को मंजूर कर लिया जायगा । जो दिक्क़त उनको इस संशोधन से होने वाली है वह यह हो सकती है जैसा कि वे कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स उनको फिर से तैयार करनी होंगीं लेकिन जहां तक मेरी समझ है, ऐसा कोई ग्राउन्ड नहीं है । जहां तक मैंने इस अमेंडिंग बिल को अध्ययन किया मैं तो समझा हूं कि दोनों भवनों से इसके पास हो जाने के पश्चात् भी डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स को उन तमाम प्रोसेज में से जाना होगा क्यों कि जो असेम्बली की लिस्ट है वह भी आब्जेक्शन्स के लिये खुली होगी और लास्ट डे तक उसमें आब्जेक्शन्स हो सकेंगे । जो असेम्बली की लिस्ट है उसमें वार्ड्स भी नहीं हैं उसमें वार्ड्स तैयार करने होंगे तो यह निर्विवाद है कि इलेक्टोरल रोल्स की लिस्ट बनेगी । तो मेरा कहना यह है कि लिस्ट बनते वक्त यह बात ध्यान में रख ली जाय । अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे फिर इस बात पर विचार करके मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया, मुझे आफसोस है कि मैं उनको अच्छी तरह से समझा नहीं सका । मैं चाहता यह हूं कि वही असेम्बली की इलेक्टोरल रोल्स ले ली जांय क्योंकि दूसरी इलेक्टोरल रोल्स बनाने से परेशानी बढ़ जायगी । एक दूसरी बात भी है जिसकी वजह से यह चीज नहीं ली जा सकती क्योंकि नये वातावरण में जब कि एडल्ट फ्रेंचाईज आ रहा है उसमें इलेक्टर के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगायी जा रही है बल्कि इस पर पाबन्दी लगाई जा रही है कि मेंबर कौन-कौन हो सकेगा और उस पर कल विचार किया जायगा । इसलिये इलेक्टर्स पर कोई पाबन्दी लगाना ठीक नहीं है । इसलिये मैं इसको मंजूर करने में असमर्थ हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 13-E की उपधारा (5) को बदल कर इस प्रकार पढ़ा जाय--

"No person shall vote at any election if he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं—

खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-E की उपधारा (5) की पंक्ति १ में शब्द "shall" और "at" के बीच शब्द "vote" के स्थान पर शब्द "claim his right of vote" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है और शब्द 'वोट' का प्रयोग किया गया है। "No person shall vote at any election" इन शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको वोट देने का अधिकार इसलिये नहीं दिया गया कि उसके लिये यह संभव नहीं था कि जब कि वह जेल में हो या पुलिस हवालात में हो तो वहां से चल करके पोलिंग स्टेशन पर आ कर वोट दे सके और न इसका प्रबंध ही सरकार कर सकती थी। यह ठीक है "No person shall vote at any election"

इससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि उसे वोट देने का अधिकार है लेकिन उससे इस अधिकार को छीना जा रहा है। तो इस शब्द के बजाय अगर यह रखा जाय "No person shall claim his right of vote" तो इससे यह भाषा भी कुछ अच्छी लगने लगेगी और उससे इस प्रकार का माने होता है कि जो कैदी या हवालाती है उसे वोट देने का अधिकार तो है लेकिन वह अपने मत देने के अधिकार की मांग नहीं कर सकता क्योंकि वह जेल में है या हवालात में है। इस तरह से उसके राइट को हम मानते हैं। सिर्फ वोट शब्द रहने से पता चलता है कि हम उसके अधिकार को छीन रहे हैं और उसे अधिकार देने नहीं जा रहे हैं। हालांकि दोनों में अधिक अन्तर नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर ये शब्द "No person shall claims his right of vote" रख दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि बार बार रेप्रेजेंटेशन आफ पिपुल ऐक्ट को दोहराना पड़ता है। सन् १९५१ का जो ऐक्ट है उसके धारा ६२ की उपधारा (५) में दिया हुआ है "No person shall vote at an election" दोनों के अल्फाज़ एक ही रख दिये गये हैं क्योंकि इससे सहूलियत होगी। मुक़दमेबाजी भी कम होगी और एलेक्शन पेटिशन वग़ैरह जो दायर होंगे उनकी रूलिंग वगैरह जो होंगी वे भी दोनों के लिये एक समान ही लागू होंगी। इसके अलावा वकीलों के लिये भी कम गुंजायश होगी कि वे "shall vote" और "shall claims his right of vote" की बात लेकर ज्यादा परेशान करें। इन सब बातों को सोचते हुये दोनों के अल्फाज़ ज्यों के त्यों एक से ही रखे गये हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य इसको प्रेस न करें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—चूंकि सरकार की तरफ से रेप्रेजेंटेशन आफ पिपुल ऐक्ट की भाषा को अथारिटी मान लिया गया है इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 13-E की उपधारा (5) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that this disqualification shalll not apply to political prisoners or detenues."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमान्, जैसा कि मूल धारा 13-E की उपधारा (5) है वह इस प्रकार है—

" No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custidy of the Police. "

माननीय मंत्री जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया कि वह इस संबंध में रिप्रेजेंटेशन आफ दि पिपुल्स ऐक्ट के अनुसार चल रहे हैं । जहां तक मुझे मालूम है मेरी यह सूचना है कि रिप्रेजेंटेशन आफ दि पिपुल्स ऐक्ट के अनुसार पोलिटिकल प्रिजनर्स वोट दे सकते हैं । और डेटेन्यूज के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वह वोट दे सकते थे और हमें तो यह भी सूचना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेलखाने के अन्दर थे लेकिन एलेक्शन जीत गये । मद्रास के अन्दर ऐसे लोग थे जो जेलखाने के अन्दर थे और बाहर उनका नाम होने की वजह से वे खड़े हुये और एलेक्शन जीत गये । पंजाब में तो एक साहब ऐसे चुने गये जो जेल में थे और वह वोटर थे और इसलिये वह मेम्बरी के लिये खड़े हुये थे और चुन लिये गये । माननीय मन्त्री जी ने रिप्रेजेंटेशन आफ दि पिपुल्स ऐक्ट को मान लिया है और दसियों बार उन्होंने कहा है कि वे इसको मानते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी की आलोचना नहीं करना चाहता । मैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो उन्हों ने सिद्धान्त बनाया है उसी को हम डिपिक्ट करना चाहते हैं और उसके अनुसार वे मेरा संशोधन मान लें । मैं इसमें ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहता इसलिये कि मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी खुद ही ज्यादा बहस में न पड़ कर उसी आदर्श को सामने रखते हुये डेटेन्यूज और प्रिजनर्स के लिये वोटिंग का अधिकार कर देंगे और डेटेन्यू के लिये तो अवश्य ही मान लेंगे ।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अल्फाज इस समय हैं वे वही हैं जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में हैं और जो बात माननीय नारायण दत्त जी ने कही कि लोग जेल में थे और खड़े हुये; खड़े होने को यह धारा रोकती नहीं है और उसके वोटर होने को भी नहीं रोकती । इससे वोटर्स की लिस्ट में से नाम भी नहीं कटता । उसमें नाम रहेगा और इसलिये खड़े होने का अधिकार होगा जब तक कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन उसके खड़े होने में न आ जाय । वोट देने का अधिकारी न होते हुये भी वह कैंडीडेट हो कर चुना जा सकता है । तो जो उन्होंने कहा वही हूबहू इसमें है और मैं आशा करता हूं कि वह इसको प्रेस नहीं करेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री जी को पहले सूचना देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि पोलिटिकल डेटेन्यूज ने पिछले चुनाव में एलेक्शंस में वोट दिये हैं । जहां तक मुझे ख्याल है ऐसा कहीं भी नहीं है कि वह वोटर नहीं है लकिन खड़ा होगा । यानी वोटर तो नहीं होगा लेकिन मेम्बरी के लिये खड़ा हो जाय । माननीय मंत्री ने कहा कि वोटर तो नहीं हो सकता लेकिन मेम्बरी के लिये खड़ा हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, उन्होंने कहा है कि वोटर तो रहेगा और खड़ा भी हो सकेगा लेकिन जेल में रहने के कारण वोट नहीं देगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् यह तो और भी आश्चर्यजनक बात है कि वोटर है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है । मैं 13-g का पार्ट (n और (q) उनके सामने रखता हूं—

" (n) manner in which votes are given by the presiding officer, polling agents or any other person who being an elector for a ward is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote. "

और (q) इस प्रकार है:—

" (q) Generally on all matters relating to conduct of elections . "

तो सरकार नियम बना सकती है और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के लिये जो वहां वोटर हैं और ड्यूटीज़ दूसरी जगह कर रहे हैं उनके लिये पोस्टल बैलट सरकार बनायेगी । जो लोग वोटर्स हैं लेकिन जेल के अन्दर डेटेन्यू हैं क्या वे पोस्टल बैलट के जरिये से वोट नहीं दे सकते ? क्या माननीय मंत्री जी ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिसके अनुसार कोई भी डेटेन्यू पोस्टल बैलट के द्वारा अपना वोट दे सके ? पोस्टल बैलट की प्रणाली तो स्वीकृत है । पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के अनुसार जो नियम बने हैं उनमें भी पोस्टल बैलट को स्वीकार किया गया है और जैसा मैंने पहले कहा कि पोलिटिकल डेटेन्यूज़ को, नजरबन्दों को भी वोट देने का अधिकार है और अगर माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि पोलिटिकल राजनीतिक बन्दियों ने वोट नहीं दिये हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी यह सूचना जहां तक मुझे मालूम है, ग़लत है । तो श्रीमन्, मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर उन्होंने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि अपने राजनीतिक विचारों के कारण जो लोग नजरबन्द हैं मतदाता होते हुये भी पोस्टल बैलट के जरिये मतदान न कर सकें यह बहुत बड़ा अन्याय होगा और जो माननीय मंत्री कहते हैं कि हमने बालिग मताधिकार रखा है उसके बिलकुल विपरीत है । तो इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि वह इसके खिलाफ न जायं और मैं उनका ध्यान आप की आज्ञा से धारा १३ (सी) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

" A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in the municipality;

(*b*) in the case of any other seat, he is an elctor for any ward in the municipality. "

तो इसके अनुसार भी जब कि उसका नाम एलेक्टोरल रोल में है और वह कैंडीडेट भी हो सके और वोट न दे सके, मैं यह समझता हूं कि यह सिद्धांत चुनावों के इतिहास में पहली बार होगा । यह सिद्धांत बिलकुल एक नया सिद्धांत होगा । मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि माननीय मंत्री इस सिद्धांत को हमसे स्वीकार न करायें ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सी बातें होंगी जो हम को सीखनी पड़ेंगी । यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी कांस्टीटुएंसी से खड़ा हो सके लेकिन वह वोटर न हो । इसके लिये कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है । यूं अगर आप टीचर्स कांस्टीटुएंसी से खड़ा होना चाहें तो खड़े हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप वोटर हों । तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जायगी हम बहुत सी बातें सीखते चले जायंगे । इसलिये सारी दुनिया को चैलेंज कर देना तो ठीक नहीं है । लेकिन अगर माननीय नारायणदत्त जी अपने संशोधन को इस तरह से रखना चाहें तो मैं उसको मंजूर कर सकता हूं ।

" Provided that nothing in this subsection shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force. "

अगर इस तरह से रखें तो मैं मंजूर कर सकता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मुझे कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 13-E की उपधारा (5) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

" Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force. "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उम्मद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13—G के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that such orders of the State Government shall provide for the counting of votes including recount of votes immediately after the polling of votes, in the presence of polling agents, if any, of the candidates, or in the presence of candidates themselves if present and that the ballot boxes shall not be removed from the polling station until the presiding officer has finished the counting of votes and announced the result of the poll to the polling agents or to the candidates"

श्री अध्यक्ष—यह आपका संशोधन कहां पर रखा जायगा, किस जगह होगा ?

श्री उम्मेद सिंह—वह 13-G की सब क्लाज (q) के आखिर में जुड़ेगा, यह प्रोवाइजो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मंशा सिर्फ यह है कि जैसा अभी असेम्बली के एलेक्शन में हुआ था कि लोगों को यह शुबहा हो गया था कि उस दरमियान में जब कि बाक्सेज पुलिस कस्टडी में थे या पुलिस स्टेशन से पुलिस कस्टडी में जाने के दरमियान में थे बहुत गड़बड़ी हुई और अखबारों में भी यह बात आई थी। तो इसको रोकने के लिये और एलेक्शन के खर्चे को बचाने के लिये भी, क्योंकि कार्टेज में पोलिंग बूथ्स और पुलिस कस्टडी में ले जाने के लिये और फिर वहां से रिटर्निंग आफिसर तक ले जाने में खर्चा होता है। तो यदि वह प्रेजाइडिंग आफिसर हो, जैसे ही पोलिंग खत्म हो, एलेक्शन एजेंट्स के सामने या कैंडीडेट्स के सामने फौरन काउंटिंग करा दे और हर एक पोलिंग बूथ पर उसी तरीके से काउंटिंग हो जाय तो यह अच्छा होगा और किसी को शुबहा करने की गुंजाइश नहीं होगी। यह बहुत सीधा साधा संशोधन है जिसका मतलब स्पष्ट है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन बात यह है कि इसकी तुक कुछ मिलती नहीं दिखाई देती। रलेवेंट तो होना चाहिये। इसकी रेलेवेंसी आप कैसे बताते हैं ?

श्री उम्मेद सिंह—13—G में है कि सरकार नियम बनायेगी कंडक्ट आफ एलेक्शंस के लिये, तो हमारी मंशा यह है संशोधन की, कि उस नियम में यह लाजमी होगा यह बढ़ाना, जैसा कि हमारे संशोधन में है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आपकी दिक्कत मैं समझ रहा हूं कि वह सही लैंग्वेज में नहीं रखा गया है और फ्रेजियालाजी की गलती है, लेकिन अगर इसके उसूल को माननीय स्वशासन मंत्री मान लें तो वह ठीक हो सकती है। इसमें कोई खराबी नहीं है संशोधन में, लेकिन वह फिट नहीं बैठ रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैं तो इसको मानकर चलूंगा कि अगर यह स्वीकार हुआ तो इसकी तुक मिलती है या नहीं, इर्रेलेवेंट तो नहीं होता। लेकिन यह निरर्थक सा है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। बिलकुल निरर्थक है। किसी और जगह आप चाहते तो मैं मूव करने देता, लेकिन यहां बिलकुल निरर्थक मालूम होता है। इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। इसलिये आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे इजाजत है श्री मलखान सिंह जी का संशोधन पेश करने की। उसमें कुछ चेंज कर दिया गया है। अब वह इस प्रकार है—

खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नई धारा 13-G के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ा जाय —

"Provided that the following measures will be incorporated in making rules regarding the conduct of elections :—

(1) Election agents will be allowed to place check marks against the serial number of votes, exercising their right to vote, in their lists which will be allied with the presiding officer's list at the close of the polling and the differences, if any, recorded.

(2) During lunch interval all ballot boxes will be locked in their respective rooms and police guards will be posted at the entrance of such rooms.

(3) Election agents will be allowed to take down the number of the last voting slip issued just before the close for and recommencement of the polls after the lunch interval as well as just before the close of polls in the evening.

(4) After the ballot boxes are sealed, they will be wrapped up in a cloth-cover and resealed.

(5) Counting of votes, so far as possible, will be done at each booth after the polling on same day.

(6) Wherever counting of votes at booths may not take place on the same day, it will be done the next day. During the night the ballot boxes shall be kept in a room which will be locked up and sealed and the candidates or their agents shall have a right to put their own locks if they so desire and to keep their own seals. The candidates will be alowed to appoint their own guards to keep watch over the place where the boxes are deposited.

(7) A deposit of Rupees three only will be required to challenge a bogus voter."

इसका ८ और ९ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह कई प्रकार के सुझाव इस संशोधन के द्वारा सदन के सामने कांडक्ट आफ एलेक्शंस के संबंध में जो रूल्स बने हैं उनके संबंध में रखे गये हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उम्मेद सिंह जी ने कहा था पिछले एलेक्शंस में इस बात का शक लोगों को हुआ और अध्यक्ष महोदय आप भी अवगत हैं कि काफी अखबारों में भी इसकी चर्चा हुई कि बाद में सील्स तोड़ डाले गये, लोगों के बाक्सेज के चिन्ह बदल दिये गये और इसकी शंका आम तौर पर एलेक्शंस में हो जाया करती है। अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत से एलेक्शंस में उम्मेदवार रहे होंगे और हमारे विधान सभा के सदस्य भी। लोगों को एक अजीब घबड़ाहट रहती है, पता नहीं ३ दिन के बाद क्या हो । हमारे बैलेट बाक्सेज वहीं पहुंच जायेंगे। सरकारी तरफ के लोग किसी न किसी तरह से ऐसी गड़बड़ी कर दिया करते हैं जिससे कि इन बैलेट बाक्सेज में गड़बड़ी हो जाती है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये एक सुझाव मेरा यह है कि जहां तक मुमकिन हो यह काउंटिंग आफ वोट्स फौरन पोलिंग के बाद ही हो जाय और अध्यक्ष महोदय यह सुझाव अव्यावहारिक इस लिये नहीं है कि म्युनिसिपैलिटीज

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

का एरिया कम्पैक्ट होता है और उसके बूथ पर अगर प्रिसाइडिंग आफिसर को यह अख्तियार दे दिया जाय कि रूल्स के अन्दर जहां पर कि कोई खास दिक्कत न पड़ जाय वहां वहीं काउंटिंग कर दी जाय, तो उसमें जनता की एक बड़ी भारी आशंका निर्मूल हो जाती है। उसके बाद जो भी एलेक्शंस का रिजल्ट होता है कम से कम एलेक्शन की प्रणाली पर किसी को शक करने का अधिकार नहीं रहता।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन में बार बार यह कहा गया है कि डिमोक्रेसी में सिस्टम आफ वोटिंग और एलेक्शन के जो तरीके अपनाये जायं उन पर जनता का विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे दल की तरफ से संशोधन उपस्थित किया गया है, इसलिये हम क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी होने का दावा नहीं करते हैं परन्तु माननीय स्वशासन मंत्री जी भी जानते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य भी जानते हैं कि जो मौजूदा टाउन एरियाज ऐक्ट है, और जो संशोधन के लिये सदन के सामने आने वाला है, उसमें भी यह प्राविजन है कि आवश्यकतानुसार उसी जगह पोलिंग के बाद काउंटिंग आफ वोट्स हो सकती है। उसमें एक तो जो शंका लोगों को होती है वह निर्मूल हो जाती है, दूसरे सरकार का बहुत सा खर्चा बच जाता है और जो पुलिस गार्ड्स का इंतजाम करना पड़ता है और जो तमाम दिक्कतें बैलेट बाक्सेज को ले जाने में उठानी पड़ती है; उनसे बचत हो जाती है। तो पहला सुझाव तो अध्यक्ष महोदय यह है।

दूसरा सुझाव, अध्यक्ष महोदय, यह है कि उस दिन शाम को यदि काउंटिंग न हो सके और देर हो जाय तो फिर एक प्रासेस इसमें और बताया गया है और वह प्रासेस यह है कि हर पार्टी के उम्मीदवार को या उसके एलेक्शन एजेंट को बतला दिया जाय कि किस रूम में बैलेट बाक्सेज रखे जायेंगे और जब बैलेट बाक्सेज उस रूम में रख दिये जायं, तो फिर कोई भी उम्मीदवार, चाहे वह किसी पार्टी का हो, अगर वह चाहे तो उस रूम में अपना भी डबल लाकिंग कर सके। अगर एक ही लाक की गुंजाइश हो तो वह उसमें अपनी सील लगा सके ताकि दूसरे दिन उसको इस बात का पूरा विश्वास रहे कि रात में कोई गड़बड़ी नहीं की गयी। इन बातों की तरफ जब मैं इशारा करता हूं तो मेरी यह कतई मंशा नहीं है कि सरकार स्वशासन मंत्री या उनके दल के लोग टेम्परिंग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक नीचे तब्के के सरकारी कर्मचारियों का हाल है, आम तौर पर यह बात मानी जाती है कि हमारी सोसाइटी पर्फेक्ट नहीं है, उसमें करप्शन है और यह संभावना है कि कांग्रेस के दल के नहीं, सोशलिस्ट पार्टी के दल के नहीं, ऐसे लोग जो रुपया वाले हैं, पैसा वाले हैं वे उनको इल्लीगल ग्रैटिफिकेशन देकर इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि टेम्परिंग हो जाय। अध्यक्ष महोदय, ऐसी भी मिसालें हमारे सामने पिछले दिनों में आयी हैं कि प्रेसाइडिंग आफिसर या जो पुलिस गार्ड थी उसकी कनाईवेंस से बैलेट बाक्सेज चोरी चले गये और लोग उठा कर भाग गये क्योंकि उम्मीदवार को शक था कि वह नहीं जीतेगा और जब बैलेट बाक्सेज नहीं मिलेंगे चोरी चले जायेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि फिर से चुनाव होगा और फिर हम अपनी किस्मत आजमायेंगे।

उसके बाद इसमें यह फिर प्रार्थना की गई है कि अगर इतने से संतोष न हो तो अधिकार होना चाहिये तमाम पार्टीज के लोगों को कि यदि वे चाहें तो अपने भी आदमी वहां पर रात में रख सकें। जहां तक मेरा ख्याल है, सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जहां तक मैंने रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट को अध्ययन किया है उसमें कोई इसकी गुंजाइश तो नहीं है लेकिन ऐसी मिसालें हमारे सामने आयी हैं कि रात में पोलिटिकल पार्टीज के लोगों ने इस बात की कोशिश की कि वे बैलेट बाक्सेज की निगरानी करें और उसमें उनको कोई रुकावट नहीं डाली गयी और इस बात की उनको इजाजत थी कि वे यदि चाहें तो रात में अपना पहरा दें। लेकिन चूंकि ऐसी व्यवस्था किसी एलेक्शन नियम में नहीं थी इसलिये यह तो केवल उसी की गुड विल पर था जो आफिसर ऐट दी स्पाट था कि यदि वह चाहे तो इसकी इजाजत दे और यदि न चाहे तो न दे।

माननीय स्वशासन मंत्री ने यह कहा कि उन्होंने रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अनुसार ही तमाम दिक्कतें दूर करने के लिये इस विधेयक को उपस्थित किया है। उसमें हम अवश्य मानते हैं कि बोगस वोटर्स को चैलेंज करने के लिये दस रुपये की बात है। लेकिन दस रुपया सचमुच किसी ग़रीब उम्मीदवार के लिये बहुत अधिक है। यदि उसके लिये दस बोगस वोटर्स को चैलेंज करने की बात आयेगी, तो सौ रुपया हो जायेगा और यह बहुत अधिक है। दूसरी तरफ यह भी दलील है कि अगर इसके लिये एक रुपया या फ्री कर दिया जाय तो, उसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जायगा तो लोग अनावश्यक तरीके से इस बात की कोशिश करने लगेंगे कि हर वोटर के लिये नहीं तो बहुत से वोटरों पर इस बात का एतराज कर दिया जाय कि वे बोगस वोटर्स हैं। इन खराबियों को ध्यान में रख कर और इसकी व्यवहारिता को ध्यान में रख कर तीन रुपये की इस संशोधन में व्यवस्था की है कि तीन रुपया ही जरूरी समझा जाय जब कि बोगस वोटर्स के चैलेंज का सवाल हो। हम यह भी समझते हैं कि यह एक मेरा मुनासिब सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय, नम्बर ४ पर अगर आप गौर करें तो पिछली मर्तबा बैलेट बाक्सेज की सीलिंग का जो सवाल है, सीलिंग करने की व्यवस्था थी, लेकिन आमतौर पर एतराज उठाये गये और अध्यक्ष महोदय, आप को मालूम है कि ऐसे भी एतराज उठाये गये कि बैलेट बाक्सेज इस किस्म के बनाये गये थे जो कि बिना सील ब्रेक किये हुये तोड़े गये और बहुत से लोगों ने इस बात पर दावा किया कि अगर ऐसा न होता तो फलां उम्मीदवार नहीं जीतता। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता, कोई केस हमारे सामने नहीं है लेकिन कम से कम यह जो मेरा सुझाव नम्बर ४ है, इसमें अगर क्लाथ कवर की व्यवस्था की जाय तो अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है कि जब एलेक्शन हो रहे थे तो हमारे सूबे में दो तीन दिन पहले एलेक्शन कमीशन के थ्रू एलेक्शन आफिसर के पास इस बात की खबर भेजी गई, तमाम रिटर्निंग आफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कि अगर कोई कैन्डीडेट या उसका एजेन्ट अगर चाहे तो कपड़े के थैलों में अपने डिब्बे को बन्द कर लें और सील करना चाहें तो उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जायगी। तो यह मेरा सुझाव कोई नया नहीं है बल्कि उसी लाइन पर है जैसा सरकुलर हुआ था। हो सकता है कि इसकी व्यवस्था रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में न हो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कमसे कम माननीय स्वशासन मंत्री जी को जिनका कि अधिकांश समय चुनाव में बीता है, इस बात की जानकारी जरूर होगी कि यह कपड़े के थैलों से सील करने की व्यवस्था एलेक्शन कमीशन ने मान ली है। अध्यक्ष महोदय, एक बात पिछली मर्तबा एलेक्शन के जमाने में हमारे नोटिस में आई थी कि कोई ऐसी व्यवस्था रूल्स में नहीं थी कि अगर हम किसी वक्त जानना चाहें कि किस नम्बर से किस नम्बर तक की वोटिंग हो गई है। तो यह किसी तरह से नहीं मालूम हो सकता था क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य समय काफ़ी लेंगे ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अभी कुछ समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष—आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विवादार्थ समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में संकल्प की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना दे देना चाहता हूं। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक संकल्प हमारे पास भेजा है जोकि इस सदन में पेश करना चाहते हैं, उसकी सूचना मैं आपको आज दे देता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

यह सदन संकल्प करता है--

प्रथम यह कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९५२ के संबंध में चाहे जिस प्रकार का भी प्रस्ताव हो, उस पर कोई भी भाषण १० मिनट से अधिक न हो सकेगा ।

दूसरे यह कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११४, ११५ और ११६ के साथ पढ़े जाकर नियम १११ के अधीन शेष खंडों पर खंडानुसार बहस १९ दिसम्बर, १९५२ की बैठक के अन्त में समाप्त हो जायगी ।

और उस दिन की समाप्ति पर ऐसे सब खंड जो उस दिन न लिये जा सके हों और उनसे सम्बद्ध वे संशोधन जिनके प्रस्तुत किये जाने की इच्छा कोई सदस्य प्रकट करें, बिना किसी बहस के मतदान के लिये उपस्थित किये जायंगे ।

अन्ततः उपर्युक्त नियमावली के नियम ११८ के अन्तर्गत आने वाले विषय की बहस के लिये सदन की बैठक शनिवार, २० दिसम्बर, १९५२ को होगी जिसके अन्त में विधेयक मतदान के लिये उपस्थित कर दिया जायगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) किसी खंड में शाब्दिक अथवा आनुषंगिक संशोधन उस प्रकार लिया जा सकता है जैसा कि अध्यक्ष निर्दिष्ट करें,

(ख) अध्यक्ष को अधिकार होगा कि प्रत्येक खंड या कई खंडों से संबंध रखने वाले संशोधनों को चुनकर एकत्रित कर दें ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न है ।) रूल ७३ में नोटिस का रेजोल्यूशन .....

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो मैंने कहा कि कल अगर कोई आपको आपत्ति हो तो उठा सकते हैं ।

श्री राजनारायण—जी, हां लेकिन .....

श्री अध्यक्ष—मैंने आपसे कहा कि यह संकल्प तो मैंने इसलिये आज पढ़ कर सुना दिया कि आप इसके लिये तैयार रहें ।

श्री राजनारायण—इसकी प्रतिलिप हम लोगों को नहीं मिली है वह मिल जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—हां, प्रतिलिप आप को मिल जायगी ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१८ दिसम्बर, १९५२ ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४४ एल० ए०—१९५२—८५०